राजस्थान विधान सभा का कार्य-विवरण

अङ्क ११] द्वितीय विधान सभा के ग्यारवें सत्र, १६६१ का ११ वां दिवस [संख्या ६

बृहस्पतिवार, दिनांक २१ सितम्बर, १६६१

विधान सभा की बैठक म० पू० ११ बज कर २२ मिनट पर विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री रामनिवास मिर्धा, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

[राजस्थान नहर, आबकारी, पंचायत, स्वायत्त-शासन, गृह, पशु पालन, स्वास्थ्य, कृषि, सिंचाई, यातायात तथा वन–विभाग]

श्री अध्यक्ष : प्रश्न। श्री भीमसेन।

राजस्थान नहर फीडर

२४३. **श्री भीमसेन** (लूणकरणसर) : क्या मन्त्री, राजस्थान नहर निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने को कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि इस साल बरसात के कारण राजस्थान नहर फीडर के दोनों किनारों पर पानी इकट्ठा होने से नहर की चिनाई को नुकसान पहुंचा है ?

(२) क्या यह भी सही है कि राजस्थान नहर फीडर बीच बीच में कच्ची है ?

(३) क्या यह सही है कि ऐसी हालत में फीडर को पूरी तौर पर पक्की न करने की हालत में पानी देने से जितना लाभ होगा उससे कहीं अधिक नुकसान होने का अन्देशा है ?

राजस्थान नहर मन्त्री (श्री रामचन्द्र चौधरी) : (१) जी नहीं।

(२) जी हां। फीडर के इधर उधर के कुछ छोटे हिस्से और घग्घर नदी के पास वाला हिस्सा अभी कच्चा है।

(३) जी नहीं।

श्री भीमसेन : क्या यह सही है कि नहर के बीच बीच में कच्ची रहने से पानी पहुँचा सकेंगे उसमें नुकसान होगा ?

श्री रामचन्द्र चौधरी : नहीं नुकसान नहीं होगा, कम्पेक्शन किया हुआ है।

Page No.2

एक माननीय सदस्य : अभी आपने बताया कि फीडर के इधर उधर के कुछ छोटे हिस्से और घग्घर नदी के पास वाला हिस्सा कच्चा है क्या इससे नुकसान नहीं होगा ?

श्री रामचन्द्र चौधरी : इसमें नुकसान होने का प्रश्न नहीं है। कुछ मिट्टी डाल कर भी नहरें बनाई जाती हैं।

एक माननीय सदस्य : इसमें ऐसा रहा है कि आबपाशी.... (अश्रव्य)

श्री रामचन्द्र चौधरी : मैं आपके प्रश्न को समझ नहीं सका।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर सिटी) : इसमें कहा गया है कि बीच का हिस्सा कच्चा है। यह बीच का हिस्सा कच्चा किस कारण से है?

श्री रामचन्द्र चौधरी : पिछले साल घग्घर नदी में पानी काफी समय तक भरा रहा और वह सूख नहीं सका। इस कारण से वहां नहर नहीं बनी। अभी महीने, डेढ़ महीने का समय मिला है। अभी लाइनिंग नहीं हो पाया है। कोई टुकड़ा दूसरी जगह भी कच्चा है। यह घग्घर में पानी आने के कारण नहीं पूरा किया जा सका।

श्री मुरलीधर व्यास : प्रश्न पूछा है कि नहर पर बाहर पानी इस वजह से आ गया कि वह कच्चा बना हुआ है?

श्री रामचन्द्र चौधरी : प्रश्न यह नहीं है कि पानी बाहर इस वजह से आया है।

श्री भीमसेन : कच्ची नहर है उससे भी काम चल सकता है तो फिर उसको पक्की बनाने से क्या फायदा है?

श्री रामचन्द्र चौधरी : कच्ची नहर से भी काम चल सकता है। पहले तो सभी नहरें कच्ची बनती थी। अब पक्की बनने लगी हैं। कच्ची में पानी का एब्ज़ोर्शन लॉसेज ज्यादा है। इसलिये इससे पानी की बचत की गई है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट, श्री किशनाराम।

आबकारी विभाग में प्रशिक्षित निरीक्षक

२४४. **श्री किशनाराम** (रतनगढ़) : क्या आबकारी मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) आबकारी विभाग में आबकारी विषय में नासिक ट्रेन्ड इन्सपेक्टर्स कितने हैं और उनको किस किस जगह लगा रखा है? सूची सदन की मेज पर रखी जावे।

(२) क्या यह सही है कि श्री गंगानगर डिस्टीलरी में, जहां करोड़ों रुपयों की शराब बन कर फरोख्त होती है, एक अन्ट्रेन्ड आदमी को रखा गया है? यदि हां, तो क्यों?

(३) आबकारी विभाग में इन्सपेक्टर्स के तबादलों का क्या आधार (Criteria) है?

आबकारी मन्त्री (श्री रामचन्द्र चौधरी) : (१) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(२) श्री अमरजीतसिंह निरीक्षक दिनांक २५.५.६१ से गंगानगर डिस्टीलरी पर नियुक्त हैं। वह नासिक ट्रेन्ड नहीं है

Page No.3

(श्री रामचन्द्र चौधरी)

परन्तु इस निरीक्षक को इस विभाग की ओर से रिफ्रेशर्स कोर्स की ट्रेनिंग दी गई है जिसमें वह सफल सिद्ध हुआ है। इसके अलावा यह भी जरूरी नहीं है कि डिस्टीलरी पर नासिक ट्रेन्ड निरीक्षक ही रखा जावे। राजस्थान बनने के बाद कोई भी निरीक्षक नासिक ट्रेनिंग के लिये नहीं भेजा गया। इस वक्त निरीक्षक की योग्यता एवं तजुर्बा देख कर ही नियुक्तियां की जाती हैं।

(३) निरीक्षकों के तबादले के लिये कोई भी क्राइटेरिया मुकर्रर नहीं किया गया है। आम तौर पर एक जगह पर एक निरीक्षक दो या तीन वर्ष तक रखा जाता है और एक जिले में पांच साल तक। अलबत्ता शिकायत या और किसी दूसरी वजह से तबादला पहले भी किया जाता है।

(कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

श्री किशनाराम : यह अमरजीतसिंह से पहले कौन इन्सपेक्टर था और क्या यह नासिक ट्रेन्ड था ?

श्री रामचन्द्र चौधरी : मैंने अर्ज किया कि नासिक ट्रेनिंग में राजस्थान बनने से पहले लोगों को भेजा जाता था। राजस्थान बनने के बाद नहीं भेजा जाता है। सारे राजस्थान में १० या ११ ऐसे इन्सपेक्टर हैं। अब उनको यहीं से ट्रेनिंग दी जाती है और जो सफल होते हैं उनको रखा जाता है।

श्री किशनाराम : पहले कौन इन्स-पेक्टर था ? वह भी पास था या नहीं ?

श्री रामचन्द्र चौधरी : आप इसके लिये अलग प्रश्न पूछें तो बताऊं।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर सिटी) : एपोइन्टमेंट तो इसलिये किया गया है कि नासिक ट्रेन्ड है ?

श्री रामचन्द्र चौधरी: नासिक ट्रेन्ड की आवश्यकता नहीं है। पहले नासिक ट्रेन्ड होते थे। राजस्थान बनने के बाद यहीं यहीं ट्रेनिंग दी जाती है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

श्री किशनाराम : आपने ११ व्यक्तियों की सूची दी है उनमें से कितने पास हैं और यहां पर इसको ही क्यों रखा गया ?

श्री अध्यक्ष : आप व्यक्तिगत प्रश्न न पूछें। हर एक व्यक्ति के बारे में मत पूछिये। अमुक को लिया गया और अमुक को नहीं लिया गया; इस प्रकार के व्यक्तिगत प्रश्न नहीं होने चाहियें। सभी माननीय सदस्यों की दिलचस्पी हो; इस प्रकार का प्रश्न पूछें। व्यक्तिगत प्रश्न सदन में नहीं उठाये जाने चाहिये।

नेक्स्ट। श्री रामकिशन।

ग्राम पंचायतों में गबन के मामले

२४५. **श्री रामकिशन** (नोहर) : क्या पंचायत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(क) तहसील नोहर की ग्राम पंचायतों के हिसाब ऑडिट कब कब किये गये हैं और किन किन सालों का ऑडिट सम्पन्न हो चुका है ?

Page No.4

(श्री रामकिशन)

(ख) ऑडिट के हिसाब में अब तक गबन के कितने मामले पाये गये हैं ? सालाना विवरण सदन की मेज पर रखा जावे।

(ग) कितने गबन के मामलों का अब तक अदालत में चालान किया जा चुका है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

पंचायत मन्त्री (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता) : तहसील नोहर की पंचायतों के ऑडिट का विवरण निम्न है :

वर्ष	दिनांक
१६५७ : ५८ का	१३.१२.५८ से १६.१२.५८
१६५८ : ५६ का	सितम्बर एवं अक्टूबर,१६५६
१६५६ : ६० का	जनवरी से मार्च, १६६१

(ख) गबन के मामले के वार्षिक विवरण की सूची सदन की मेज पर रखी गई है।

(ग) चालान अभी तक किसी मामले में नहीं हुआ है। जांच की कार्यवाही जारी है।

(कृपया परिशिष्ट २ देखिये)

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर सिटी) : गबन के मामले कितने हैं ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : ऑडिट रिपोर्ट में ऑब्जेक्शन होते हैं और उन्होंने बताया है उसकी लिस्ट ऑलरेडी इसके साथ दे दी गई है।

श्री मुरलीधर व्यास : मुझे मिली नहीं है। उनके खिलाफ सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : लोकल ऑडिट जब जिसके खिलाफ ऑब्जेक्शन करता है तो जिसके खिलाफ ऑब्जेक्शन होते हैं उसके पास रिपोर्ट को भेज देते हैं और वहां पर उसकी कार्यवाही की जाती है।

श्री मुरलीधर व्यास : कार्यवाही भी पंच करते हैं। पंच नहीं करें तो सरकार सोचती है कि नहीं ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : उन ऑब्जेक्शन्स को मीट करने के लिये पंचायतों को कहा जाता है। वे मीट नहीं करती हैं, उनकी रिपोर्ट आती है और उससे गबन पाया जाता है तो कार्यवाही की जाती है।

श्री मुरलीधर व्यास : आपके पास रिपोर्ट आई कि नहीं ? ये तो ५८—५६ के केसेज़ हैं, आज तो १६६१-६२ चल रहा है और जो कार्यवाही होनी चाहिये वह कार्यवाही नहीं हुई।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : सब कार्यवाही हो रही है।

श्री मुरलीधर व्यास : क्या कार्यवाही हुई ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : पुलिस को भी दिये गये हैं, और भी कार्यवाही कराई जा रही है।

श्री अध्यक्ष : श्री भैरोंसिंह।

Page No.5

नगरपालिकाओं के निलम्बित सदस्य

२४६. **श्री भैरोंसिंह** (श्रीमाधोपुर) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(क) वित्तीय वर्ष १६६०–६१ में किस किस नगरपालिका के किस किस सदस्य को कब कब किस किस अपराध में सरकार द्वारा निलम्बित किया गया ? कृपया प्रत्येक को दी गई चार्जशीट की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(ख) जिन सदस्यों को निलम्बित किया गया उनके मामले कब कब से सरकार के विचाराधीन थे ?

(ग) निलम्बित किये गये सदस्यों के मामले कब कब ट्रिब्यूनल को भेजे गये ?

(घ) ट्रिब्यूनल के कौन सदस्य हैं ?

(ङ) ट्रिब्यूनल के फैसले के अनुसार किन किन को कब कब बहाल किया गया ? यह फैसले कब कब हुए थे ?

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री सम्पतराम) : माननीय अध्यक्ष, इस क्वेश्चन में काफी लम्बी सूचना मांगी गई है, वह अभी एकत्रित नहीं की जा सकी है अतः इसका जवाब अभी नहीं दिया जा सकता।

श्री भैरोंसिंह : तक कब इसकी सूचना आ जायेगी ?

श्री सम्पतराम : जल्दी ही।

श्री भैरोंसिंह : जल्दी कब ? यह सेशन तो २२ को समाप्त हो रहा है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट !

श्री भैरोंसिंह : माननीय अध्यक्ष, यह तय किया जाना चाहिये। क्वेश्चन बड़ा इम्पोर्टेन्ट है, या तो यह बताया जाय कि कल आपको दे दिया जायेगा, या इसका उत्तर दे दिया जायेगा।

श्री अध्यक्ष : इकट्ठा होते ही उत्तर दे दिया जायेगा। हमारे पास आ गया तो आपको भेज दिया जायगा।

श्री भैरोंसिंह : कब आ जायेगा, गवर्नमेंट कुछ कहे तो सही ?

श्री अध्यक्ष : आपको कितना समय लगेगा ?

श्री सम्पतराम : जल्दी से जल्दी कोशिश करेंगे पर मेरे खयाल से दस, पन्द्रह दिन तो लगेंगे।

श्री भैरोंसिंह : तो मैं अध्यक्ष महोदय से निवेदन करूंगा कि मार्च में प्रश्न पूछा गया था अभी तक मन्त्री महोदय उसका उत्तर नहीं दे सके तो अब दस, पन्द्रह दिन में उत्तर दे सकेंगे तो क्या गवर्नमेंट मशिनरी असेम्बली के क्वेश्चन्स के बारे में भी इतनी स्लेक है कि इतने समय में भी जवाब तैयार नहीं करा सकती ?

श्री अध्यक्ष : रावराजा श्री सरदारसिंह !

श्री लक्ष्मीचन्द (सांचोर) : प्रश्न संख्या २४७ !

Page No.6

जयपुर शहर में चोरियां

२४७. रावराजा श्री सरदारसिंह [उनियारा—श्री लक्ष्मीचन्द (सांचोर) द्वारा पूछा गया] : क्या गृह मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि जयपुर शहर में चोरियों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है ? अगर हां, तो सन् १९५९ और ६० में किस किस के यहां और कितना माल, नकद, जेवर व कपड़े चोरी में गये ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(२) क्या यह सही है कि मास जुलाई, १९६० में मोती डूंगरी के आसपास बावजूद एस० पी० आदि के गश्त करने पर भी चोरियां हुईं ?

(३) अब तक कितनी कितनी और कौन कौन सी चोरियां बरामद हुई और बाकी के बरामद नहीं होने के क्या कारण हैं ?

गृह मंत्री (श्री रामकिशोर व्यास) : (१) जी नहीं ।

(२) जी नहीं ।

(३) सन् १९५९ की २९८ चोरियों का पता लगा लिया गया है, १७ की तफतीश नहीं की गई तथा ६७८ को अदमपता या अदम सबूत में खत्म किया गया । सन् १९६० की २७८ चोरियों का पता लगा लिया गया है, १० की तफतीश ही नहीं की गई, ३ जेर तफतीश हैं तथा ७३७ को अदम पता या अदम सबूत में खत्म किया गया क्योंकि अथक प्रयास के बावजूद भी उनका पता नहीं लग सका ।

श्री लक्ष्मीचन्द : अदम सबूत में आपके केसेज़ ज्यादा निकालते हैं क्या ?

श्री रामकिशोर व्यास : बहुत से पेटी केसेज़ हैं ।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट । श्री भैरोंसिंह !

विभागीय खरीद

२४८. श्री भैरोंसिंह (श्रीमाधोपुर) : क्या पशु पालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(क) जवाहर फार्मेसी, जयपुर से रिन्डरपेस्ट सेक्शन में किस किस वर्ष में कितनी कितनी ब्रान्डिंग इंक किस आधार पर किन किन रेट्स पर खरीदी गई और किसके द्वारा ?

(ख) क्या यह सही है कि जुलाई सन् १९६० में उक्त फार्मेसी से arthosyringe खरीदने थे परन्तु उक्त फार्मेसी उनको सप्लाई नहीं कर सकी और विभाग की ओर से सप्लाई करने की अवधि में वृद्धि की जाती रही है ? यदि हां, तो क्यों और अब यह सप्लाई कब होगी ?

पशु पालन मंत्री (श्री नाथूराम मिर्धा): (क) जवाहर फार्मेसी से सन् १९५९–६० में ६८० एवं सन् १९६०–६१ में १,७४० ब्रान्डिंग इंक की बोतलें खरीदी गईं । उपरोक्त ब्रान्डिंग इंक ४.१५ न० पै० प्रति बोतल के हिसाब से उप संचालक, रिन्डरपेस्ट के द्वारा टेन्डर्स पर खरीदी गईं ।

Page No.7

(श्री नाथूराम मिर्धा)

(ख) जुलाई, सन् १६६० में आर्थासिरिंज के क्रय की कोई कार्यवाही नहीं की गई। प्रश्न ही नहीं उठता।

प्रश्न संख्या २४६

श्री अध्यक्ष : श्री अनूपसिंह।

(अनुपस्थित)

श्री भैरोंसिंह।

बलात्कार

२५०. **श्री भैरोंसिंह** (श्रीमाधोपुर) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि दिनांक १६–६–६० को ग्राम चिराणा जिला झुंझुनू में एक पगली औरत के साथ कुछ व्यक्तियों ने बलात्कार किया ? यदि हां, तो किन किन के खिलाफ यह शिकायत हुई थी ?

(२) क्या यह सही है कि इस मामले की रिपोर्ट सम्बन्धित अधिकारियों को सरपंच, ग्राम पंचायत चिराणा द्वारा की गई ?

(३) इस मामले में अब तक क्या कार्यवाही हुई है ?

गृह मंत्री (श्री रामकिशोर व्यास) : (१) जी हां। गाड़ी नम्बर आर. जे. बी. ३५६ के ड्राइवर श्री बहादुरसिंह, कन्डक्टर श्री राधेश्याम, खलासी श्री मेघसिंह राजपूत के विरुद्ध स्थानीय जनता द्वारा शिकायत की गई थी।

(२) जी हां।

(३) गोपनीय जांच से बलात्कार किया जाना प्रतीत हुआ। अतः मुकदमा दर्ज किये जाने व तफ्तीश किये जाने के आदेश दे दिये गये हैं।

श्री भैरोंसिंह : १६–६–६० को जिस बात की रिपोर्ट की गई थी उसमें अब तक चालान क्यों नहीं किया गया ?

श्री रामकिशोर व्यास : इन्वेस्टिगेशन से जो रिजल्ट्स निकले उनसे केस फाइल कर दिया गया था। ऊपर मामला आया तो यहां से फिर तफ्तीश किये जाने के आदेश दिये गये हैं।

श्री भैरोंसिंह : वह पगली औरत है कहां ?

श्री रामकिशोर व्यास : पगली कहां है, यह तो मुझे पता नहीं।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि पगली औरत अब वहां नहीं है, इसलिये इस केस का चालान नहीं किया जा रहा है ?

श्री रामकिशोर व्यास : यह तो मुझे जानकारी नहीं। वह पगली भी है, गूंगी भी है, कहां है मुझे पता नहीं।

श्री अध्यक्ष : श्री किशनाराम।

निरीक्षकों की होम डिविजन से बाहर नियुक्ति

२५१. **श्री किशनाराम** (रतनगढ़) : क्या आबकारी मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री किशनाराम)

क्या यह सही है कि गंगानगर जिले के कुछ थर्ड ग्रेड इन्सपेक्टर्स को जिनकी तनख्वाह २००) रु० से कम है, सात, आठ साल के अर्से से उनके होम डिविजन से बाहर रखा गया है ? यदि हां, तो उनकी सूची सदन की मेज पर रखी जावे ।

आबकारी मन्त्री (श्री रामचन्द्र चौधरी): गंगानगर जिले का सिर्फ एक ही इन्सपेक्टर श्री श्रीकिशन बीकानेर डिविजन से बाहर लगा हुआ है ।

श्री अध्यक्ष : श्री भैरोंसिंह ।

श्री जलालखां सी. आई. की नियुक्ति सम्बन्धी कागजात

२५२. **श्री भैरोंसिंह** (श्रीमाधोपुर) : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(क) क्या यह सही है कि श्री जलालखां, सी. आई., जो अब अवकाश प्राप्त कर चुके हैं, की नियुक्ति भूतपूर्व बीकानेर रियासत में दिनांक १४-१०-२० को जिस समय उनकी उम्र २० वर्ष की बताई गई थी, हुई थी ?

(ख) क्या यह सही है कि श्री जलालखां ने अपनी इस नियुक्ति के कागज गायब करवा कर अपनी उम्र १६ वर्ष की बता कर तारीख नियुक्ति १-१०-२१ दर्ज करवा दी है ?

(ग) क्या यह सही है कि इस प्रकार गलत रेकॉर्ड तैयार करवाने से श्री जलालखां जिनका रिटायरमेंट सन् १६५५ में होना चाहिये था, वह सन् १६६० में हुआ ?

(घ) क्या सरकार श्री जलालखां की इस कार्यवाही के प्रति सख्त एक्शन लेगी ?

(ङ) क्या यह सही है कि पुलिस विभाग की सर्विस शीट सुरक्षित नहीं रहतीं और पुलिस अधिकारियों को उसमें हेरफेर करने का मौका मिलता है ? यदि हां, तो सरकार इस सम्बन्ध में क्या व्यवस्था करेगी ?

गृह मन्त्री (श्री रामकिशोर व्यास) : (क) जी नहीं, नियुक्ति के दिन उनकी आयु लगभग १६ वर्ष की थी तथा वे दिनांक २१-१०-२१ को नियुक्त हुए थे ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता ।

(घ) प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता ।

(ङ) जी नहीं, समस्त सर्विस रोल्स हिफाजत से रखे जाते हैं ।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि श्री जलालखां पुलिस में भर्ती होने से पहले कस्टम्स एन्ड एक्साइज डिपार्टमेंट में भर्ती किये गये थे ?

श्री रामकिशोर व्यास : यह तो मेरे पास सूचना नहीं है; पर लगभग १६ वर्ष की उम्र में भर्ती हो गये थे ।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि बीकानेर के उस समय के कानून के अनुसार १८ वर्ष से कम उम्र के व्यक्ति को राजकीय सर्विस में नहीं लिया जा सकता था ?

श्री रामकिशोर व्यास : उन्हें लगभग १६ वर्ष की उम्र में भर्ती कर लिया गया था।

श्री भैरोंसिंह : आप कह रहे हैं कि १८ वर्ष से पहले भर्ती नहीं किया जाना चाहिये फिर उन्हें १६ वर्ष की उम्र में भर्ती कैसे कर लिया गया ?

श्री रामकिशोर व्यास : मैं कमिट नहीं करता। मैंने तो यह कहा है कि १६ वर्ष की उम्र में भर्ती कर लिया गया था।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि उनका मेडिकल एग्ज़ामिनेशन कराया गया था और डिपार्टमेंट ने यह रिपोर्ट दी थी कि उनकी उम्र २० वर्ष के लगभग है ?

श्री रामकिशोर व्यास : बीकानेर स्टेट के समय की उस जमाने की जानकारी मेरे पास नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : मैं मन्त्री महोदय की जानकारी के लिये बता दूं कि एक्साइज डिपार्टमेंट में उनकी भर्ती का ऑर्डर हुआ, जो मेडिकल एग्जामिनेशन हुआ, उनकी सारी फोटेएस्ट कॉपीज मेरे पास हैं। पुलिस में भर्ती हुए, एस. पी. ने ऑर्डर दिया उसकी प्रतिलिपि मेरे पास है। वे सब मन्त्री महोदय चाहें तो मैं पेश कर सकता हूँ। डाक्टर ने जो मेडिकल एग्ज़ामिनेशन किया है और उसकी रिपोर्ट है उसकी कॉपी मेरे पास है। यदि मन्त्री महोदय जांच करें तो पेश कर सकता हूँ।

श्री रामकिशोर व्यास : २१ का एम्प्लॉयमेंट है, उसमें फोर्जरी हो, ऐसी मेरे पास जानकारी नहीं।

श्री भैरोंसिंह : मैं आपको रेकॉर्ड देता हूँ क्या आप इन्क्वायरी करेंगे ?

श्री रामकिशोर व्यास : जी हां, एन्क्वायरी करूंगा।

श्री अध्यक्ष : श्री किशनाराम।

रतनगढ़ अस्पताल में चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के क्वार्टर

२५३. **श्री किशनाराम** (रतनगढ़) : क्या स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

रतनगढ़ अस्पताल में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के वास्ते कुल कितने क्वार्टर बने हुए हैं ? इन क्वार्टरों में कौन कौन चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी रहते हैं ? यदि इन चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के अलावा इनमें और कोई निवास करता है, तो क्यों ? किसके आदेश से व कब से ?

स्वास्थ्य मन्त्री (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता): रतनगढ़ अस्पताल में चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के लिये १४ क्वार्टर्स बने हुए हैं। इन क्वार्टरों में निम्नलिखित कर्मचारी रहते हैं। केवल एक मिडवाइफ दिनांक १-११-६० से एक क्वार्टर में अन्य क्वार्टर उपलब्ध न होने के कारण डिस्ट्रिक्ट मेडिकल ऑफिसर की आज्ञा से रह रही है।

एक ही खाली है और सब में फोर्थ क्लास सर्वेन्ट्स रह रहे हैं :—

(१) श्रीमती विमला, महिला हरिजन

(२) श्रीमती बदानी, ,,

Page No.10

(श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता)

(३) श्रीमती सरस्वती, महिला हरिजन

(४) श्रीमती नाथी, ,,

(५) श्री रूगटीन, धोबी

(६) श्री लाला, हरिजन

(७) श्री नूरी, रसोइया

(८) खाली—यह क्वार्टर श्री सोभागराम, वार्ड कर्मचारी को दिया जा चुका है।

(९) श्री तेगाराम, चौकीदार

(१०) श्री सुखदेव, वार्ड बॉय

(११) खाली

(१२) श्रीमती पन्नी, फीमेल अटेन्डेन्ट

(१३) श्री सतीश वार्ड बॉय

(१४) श्रीमती रमादेवी, मिड वाइफ।

श्री अध्यक्ष : श्री दयाकृष्ण विजय।

कृषि विस्तार अधिकारी

२५४. श्री दयाकृष्ण विजय (छबड़ा): Will the Agriculture Minister be pleased to state :-

1. Is it a fact that uptill now all Agriculture Extension Officers in different blocks were enlisted in the rank of Gazetted officers of the State ?

2. Has the Government now made these Extension Officers non-Gazetted ?

3. If so, why has this been done ?

कृषि मन्त्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : (१) जी हां।

(२) जी हां।

(३) इस पद के अधिकारियों की ड्यूटीज़ को देखते हुए और इस पद की वेतन श्रृंखला कम होने के कारण वश इस पद को अराजपत्रित कर दिया गया।

श्री दयाकृष्ण विजय : इस प्रकार नॉन-गजेटेड करने से उनकी वेतन श्रृंखला में किसी प्रकार की बाधा तो उपस्थित नहीं होगी ? गजेटेड और नॉन गजेटेड की वेतन श्रृंखला अलग अलग है तो इनको नॉन गजेटेड करेंगे तो इनकी पे पर तो इसका असर नहीं पड़ेगा ?

श्री नाथूराम मिर्धा : दो पे स्केल्स थे एग्रीकल्चर एक्सटेन्शन ऑफिसर्स के। एक तो १५० से ३५० का—वह एग्रीकल्चर ग्रेज्युएट्स के लिये था और दूसरा ११० से २२५ का—वह नॉन एग्रीकल्चर ग्रेज्युएट्स के लिये था। उनको गजेटेड इसलिये रखा था कि ब्लॉक्स में बी. डी. ओज. को पॉवर्स नहीं थे जो एग्रीकल्चर एक्सटेन्शन ऑफिसर्स को वे पॉवर्स दिये हुए थे। अब बी. डी. ओज. हैं उनको ये सब पॉवर्स दिये गये हैं अत: एग्रीकल्चर एक्सटेन्शन ऑफिसर्स को नॉन गजेटेड रखा गया है। उनकी पे पर इससे कोई असर नहीं पड़ेगा।

श्री दयाकृष्ण विजय : जब इसको गजेटेड माना था तो इनको क्या क्या अधिकार थे ?

Page No.11

श्री नाथूराम मिर्धा : यह अधिकार थे कि हमारे डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स के पास बहुत से पॉवर्स होने से इनको गजेटेड बनाया था; क्योंकि ये उनके बहुत से फंक्शन्स को करते थे। अब बी. डी. ओज. को बहुत से अधिकार हैं इसलिए इनको नॉन गजेटेड बना दिया।

श्री दयाकृष्ण विजय : क्या यह सही है कि बी. डी. ओज़. के पद पर प्रोमोशन करते हैं तो एग्रीकल्चर एक्सटेन्शन ऑफिसर्स को बी. डी. ओज. के पद पर प्रोमोशन देते हैं?

श्री नाथूराम मिर्धा : बी. डी. ओज़. तो सब तरह के हैं।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

बामनवास में जलूस निकालते समय झगड़ा

२५५. श्री जगदीशप्रसाद माथुर (सीकर) : क्या गृह मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देंगे :—

(१) क्या यह सही है कि नादौती से बामनवास पंचायत समिति का कार्यालय बदले जाने पर बामनवास में जुलूस निकालते समय झगड़ा होने पर प्रधान के भाई एवं लड़के ने बन्दूक चलाई?

(२) क्या यह सही है कि बन्दूक से ६ व्यक्ति घायल हुए तथा पुलिस में रिपोर्ट होने पर डॉक्टरी मुआयना भी कराया गया? यदि हां, तो दोनों की प्रतियां सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(३) क्या यह सही है कि घटना के दो दिन पश्चात् पुलिस ने घायल व्यक्तियों को बुलाया तथा एफ० आई० आर० बदलने को मजबूर किया?

(४) क्या यह सही है कि प्रधान, पंचायत समिति जिले की प्रमुख राजनैतिक पार्टी के अध्यक्ष होने के कारण ही पुलिस ने मामले को दबा दिया है तथा अब तक कोई चालान पेश नहीं किया है?

गृह मंत्री (श्री रामकिशोर व्यास) : (१) जुलूस में झगड़ा होने की कोई रिपोर्ट पुलिस को प्राप्त नहीं हुई, किन्तु रिपोर्ट में यह था कि जुलूस में आतिशबाजी से एवं बन्दूकों के फायर से कुछ व्यक्तियों के चोटें आईं।

(२) पुलिस में की गई रिपोर्ट सदन की मेज पर रख दी गई है।

(३) जी नहीं।

(४) जी नहीं। मुकदमे की तफतीश से बन्दूकें चलाने वालों का पता नहीं लग सका इसलिए एफ० आई० आर० फाइनल दे दिया गया।

(कृपया परिशिष्ट ३ देखिये)

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : जब लोग घायल हुए हैं तो भी पुलिस मुल्जिमों को गिरफ्तार नहीं कर सकती है?

Page No.12

श्री रामकिशोर व्यास : कोई मुकदमा चलाना नहीं चाहता और शहादत भी नहीं देना चाहता।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : गोलियां लोगों को लगी हैं, घायल हुए हैं, बयान इस प्रकार के दिये गये है।

श्री रामकिशोर व्यास : शहादत काफी नहीं है।

श्री भैरोंसिंह (श्रीमाधोपुर) : एफ० आई० आर० मुरतिब की गई थी या नहीं ?

श्री रामकिशोर व्यास : मुरतिब की गई। केस रजिस्टर हुआ।

श्री भैरोंसिंह : किस सेक्शन में हुआ ?

श्री रामकिशोर व्यास : Under Section 262/307.

श्री भैरोंसिंह : यह रिपोर्ट किसकी हुई है ?

श्री रामकिशोर व्यास :One Narain.

श्री भैरोंसिंह : क्या जिस आदमी ने यह रिपोर्ट की है उसका यह स्टेटमेंट है कि वह मुकदमा नहीं चलाना चाहता ?

श्री रामकिशोर व्यास : प्रोसेशन पंचायत का था।

श्री भैरोंसिंह : तो क्या पार्टी कोई मुकदमा नहीं चलाना चाहती; यह स्टेटमेंट है क्या ?

श्री रामकिशोर व्यास : एविडेन्स काफी नहीं है। कम्प्रोमाइज हो गया है।

श्री भैरोंसिंह : आपने यह कहा कि मुकदमा नहीं चलाना चाहते तो इस तरह का स्टेटमेंट है कि वह नहीं चलाना चाहता ?

श्री अध्यक्ष : मन्त्री महोदय ने कहा कि शहादत नहीं आई। उसका एक कारण यह हो सकता है कि आपस में समझौता हो गया होगा।

श्री भैरोंसिंह : आपने यह कहा कि मुकदमा नहीं चलाना चाहता तो क्या इस प्रकार का कोई स्टेटमेंट है क्या ?

श्री रामकिशोर व्यास : मैंने कहा था कि शहादत नहीं आई और मुकदमा नहीं चलाना चाहते।

श्री दयाकृष्ण विजय (छबड़ा) : जो डॉक्टरी मुआयना हुआ था और तो स्टेटमेंट लिया था क्या ?

श्री रामकिशोर व्यास : शहादत नहीं होगी तो क्या हो ?

श्री दयाकृष्ण विजय : एफ० आई०-आर० बनी, तीन, चार लोग अच्छे गवाह हैं।

श्री रामकिशोर व्यास : न तो किसी का नाम बताते हैं। सिम्पल इन्जरी सब को आई है। एफ० आई० आर० लोज़ की उस वक्त नाम जाहिर नहीं किया।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर सिटी) : क्या आतिशबाजी और जुलूस निकालने के

(श्री मुरलीधर व्यास)

लिए पुलिस को इजाजत के लिए कोई प्रार्थना-पत्र दिया था ?

श्री रामकिशोर व्यास : जरूरी नहीं था।

श्री मुरलीधर व्यास : नहीं दिया तो पुलिस विभाग का क्या यह कर्त्तव्य नहीं था कि इस प्रकार आतिशबाजी और जुलूस में गोलियां चलाने वालों को गिरफ्तार करती ?

श्री रामकिशोर व्यास : मुकदमें की जरूरत नहीं थी।

श्री मुरलीधर व्यास : बन्दूकें चला दीं, लोग घायल हो गये, आतिशबाजी इस प्रकार छोड़ी: क्या कोई कानून नहीं है ?

श्री अध्यक्ष : रावराजा श्री सरदारसिंह।

टोंक में सिंचाई की दरें

२५६. **रावराजा श्री सरदारसिंह** [उनियारा--श्री लक्ष्मीचन्द (सांचोर) द्वारा पूछा गया] : क्या सिंचाई मन्त्री निम्न-लिखित प्रश्न का उत्तर देंगे :—

(१) क्या यह सही है कि टोंक में सिंचाई रेट में भिन्नता है ? अगर हां, तो क्या क्या और किन आधारों को लेकर ? कृपया उप-रोक्त रेट्स की सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(२) क्या यह सही है कि उक्त जिले में पिवाई रेट कहीं कहीं लगान में शामिल है ? अगर हां, तो कहां कहां पर ?

(३) क्या यह सही है कि पिवाई रेट कहीं २ लगान में शामिल होते हुए भी अलावा ली जाती है? अगर हां, तो कहां कहां और क्यों ?

सिंचाई मन्त्री (श्री भीखाभाई) : (१) जी हां, यह सही है कि जिला टोंक में पिलाई की रेटों में भिन्नता है । टोंक में सिंचाई रेटों की सूची प्रस्तुत की जा रही है जिसके अव-लोकन से यह प्रतीत होगा कि यह रेटें पुरानी रियासतों की रेटों के आधार पर पुरानी रियासतों वार कायम की गई थीं क्योंकि टोंक जिले में पुरानी रियासत जयपुर तथा टोंक इत्यादि का क्षेत्र आता है इसलिए टोंक जिले की सिंचाई की रेट में भिन्नता है।

(२) जी हां, ऐसी शिकायत आई थी कि निवालिया बांध के नीचे तहसील दूनी के सीतारामपुरा गांव में सिंचाई दर लगान में शामिल है।

(३) इसी गांव में सिंचाई की दर अलग से लगा दी गई थी परन्तु शिकायत आने के बाद इसकी जांच की जा रही है और यदि शिकायत सही पाई गई तो वसूल की हुई रकम वापिस कर दी जावेगी।

(कृपया परिशिष्ट ४ देखिये)

श्री लक्ष्मीचन्द : यह शिकायत कब आई है ?

श्री भीखाभाई : हमारे पास नहीं आई है; कलेक्टर, टोंक के पास सन् ६० में दर्ज रजिस्टर हुई है।

श्री लक्ष्मीचन्द : एक तो ३१ दिसम्बर, ६० होता है और दूसरा १ जनवरी, ६० होता है तो कौनसा दिन माना जाय ? इतने दिन क्या सरकार सोती रही ?

श्री भीखाभाई : जहां लैंड और सिंचाई की दरें शामिल हैं उनमें निर्णय लिए हैं। ४० पर्सेन्ट तो सिंचाई के खाते और ६० पर्सेन्ट लैंड रेवेन्यू के खाते हों। इसका अमल दरामद करने के लिए कलेक्टर को लिख दिया गया है।

श्री लक्ष्मीचन्द : जिले में जो भिन्न भिन्न रेटें हैं उनमें क्या सरकार समानता लाने का विचार रखती है ?

श्री भीखाभाई : पुरानी रेट बढ़ा दी जाती है तो लोगों में असंतोष पैदा होता है।

श्री तनसिंह (बाडमेर) : बढ़ायें क्यों, घटा दीजिये। तो बराबर हो जाय।

श्री भीखाभाई : रेशनेलाइज़ कर दिया है।

श्री किशनाराम (रतनगढ़) : राज नया बदल लिया है तो पुराने राजाओं की रेटें क्यों रखते हैं ?

श्री भीखाभाई : इतना ज्यादा हल्ला कर रहे हैं वह तो मेरी समझ में नहीं आता है। रेशनेलाइज रेट्स कायम की हैं जिससे पुरानी रियासतों के समय का ही पर्सेन्टेज़ आ जाय। घटाने का सवाल नहीं है, तनसिंहजी ने यह सुझाव दिया है।

श्री अध्यक्ष : श्री भैरोंसिंह।

अनिवार्य बीमा के प्रीमियम की रकम

२५७. श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) : क्या पंचायत मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न उत्तर देंगे:—

(१) सांगानेर पंचायत समिति में अक्टूबर, सन् १९५९ में कितने अध्यापकों की किस २ माह में कितनी २ रकम अनिवार्य बीमा के लिए काटी गई है ? कृपया इसकी माहवारी तालिका सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(२) यह रकम किस किस माह में कहां २ और कब २ जमा कराई गई है ? यदि इसमें विलम्ब हुआ, तो उसका क्या कारण है ? कृपया कारणों सहित तालिका सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(३) यह रकम कब और कहां जमा होनी चाहिये थी और क्या इन नियमों की अवहेलना की गई ? यदि हां, तो ऐसा करने का कौन दोषी है ?

स्वास्थ्य मन्त्री (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता) : (१) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(२) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(३) रकम माह समाप्त होते ही बीमा विभाग के जमा के मद में ही जमा होनी चाहिये थी एवं उसी मद में जमा कराई गई है। खजान्ची के पास अधिक काम होने के कारण समय पर रकम जमा नहीं कराई गई।

(कृपया परिशिष्ट ५ देखिये)

श्री भैरोंसिंह : किस जगह खजाने में जमा होती है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : बीमा विभाग का हैड है उसमें जमा होती है ।

श्री भैरोंसिंह : किस जगह खजाना है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : राजस्थान में ही है ।

श्री भैरोंसिंह : राजस्थान में किस जगह वह खजाना है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : अलग अलग बैंक्स में होंगे; मुझे इसकी जानकारी नहीं है ।

श्री भैरोंसिंह : मैं जानकारी के लिए बता दूं कि खजाना तो पास ही में है । यह कहा गया कि खजान्ची को जाने के लिए फुरसत नहीं मिली । मन्त्री महोदय खजान्ची को बचाने की कोशिश न करें तो अच्छा है । मार्च की रकम नवम्बर में जमा कराये और सरकार यह कहे कि फुरसत नहीं मिली, यह कहां तक वाजिब है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : सरकार किसी को भी नहीं बचाना चाहती है । कोशिश भी नहीं कर रही है । सरकार का कर्मचारी नहीं है । पंचायत समिति ने जो जबाब भेजा उसके अनुसार इत्तला दी जा रही है । विकास अधिकारी ने लिखा कि काम अधिक था ।

श्री भैरोंसिंह : ज्यादा अच्छा होता कि पत्र लिख कर मैं ही जबाब पूछ लेता उनसे बनिस्बत इसके कि सरकार से जबाब पूछा ।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : पंचायत समिति ने लिखा कि काम ज्यादा था और देरी से रकम जमा करायी तो काम ज्यादा था लेकिन कोई इसमें गलत इन्टेन्शन नहीं था ।

श्री तनसिंह (बाड़मेर) : तो इसको पंचायत समिति का जबाब मानें या आपका ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : पंचायत समिति ने सूचना दी है जो सरकार की ओर से दी जा रही है ।

श्री तनसिंह : सरकार बेक आउट क्यों करती है कि यह पंचायत समिति का जबाब है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : पंचायत समिति ने यह जबाब भेजा है, यह कहा । वैसे सरकार की ओर से ही दिया जा रहा है । कल आप कहेंगे कि मिनिस्टर घर से लिख कर लाकर दे देते हैं । पंचायत समिति से आया इसलिए कहा है ।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर सिटी) : गलत सूचना दें इस प्रकार से तो सारा दृष्टिकोण ही यह रहा कि सरकार बचाना चाहती है ।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : बिल्कुल गलत सूचना नहीं दी है । सही दी है । जो फैक्ट्स हैं वे कहे हैं । देरी हुई है कोई गबन नहीं किया है इसलिए यह इन्टेन्शन की बात है ।

श्री मुरलीधर व्यास : इस तरह से तो सारी पंचायत समितियों में गड़बड़ी होने लग जावेगी और रुपयों का हिसाब नहीं रहेगा; आप याद रखें इसको ।

Page No.16

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : एम०एल०ए० को भी जेल भिजा दिया जा सकता है यदि इस प्रकार की कार्यवाही हो तो ।

श्री मुरलीधर व्यास : इस प्रकार से चोरी होगी और गड़बड़ी होगी अगर इसको नहीं रोकेंगे तो यह सोच लें कि इसके नतीजे अच्छे नहीं होने वाले हैं....

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : गड़बड़ी हो तब न ?

श्री मुरलीधर व्यास : हमेशा करते हैं ।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : नहीं करते हैं ।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि जनरल फाइनेन्शियल रूल्स के अनुसार जो रकम पंचायत समितियों द्वारा इस मद में जमा होती है वह तीन महिने के अन्दर अन्दर तिजोरी में जमा हो जानी चाहिये ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : तीन महीने तो आपने ज्यादा कह दिया । मेरे पास इन्फोर्मेशन है कि महीने के आखिर में जमा होनी चाहिये । पंचायत समिति का कहना है कि उनके पास ज्यादा काम था इस वजह से टीक समय पर तिजोरी में जमा नहीं करवाया ।

श्री भैरोंसिंह : जनरल फाइनेन्शियल रूल्स के अनुसार हर महीने की अन्तिम तारीख तक रकम जमा हो जानी चाहिये । क्या इसमें जनरल फाइनेन्शियल रूल्स की अवहेलना की गई है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : रूल्स के अनुसार जमा हो जानी चाहिये इसमें लापरवाही मालूम पड़ती है ।

श्री तनसिंह : इसका अमाउन्ट बताया जाय कितना था ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : जो बीमा की रकम हर माह कर्मचारियों के वेतन में से कटती है, वह थी ।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि पंचायत समिति एक्ट के मुताबिक और रूल्स के अनुसार यह सारी रकम हर महीने की अन्तिम तारीख को जमा हो जानी चाहिये ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : यह तो आप मेरी सूचना के आधार पर ही कह रहे हैं ।

श्री भैरोंसिंह : मैं पंचायत समिति के रूल्स के अनुसार की बात कह रहा हूँ । पंचायत समिति के अलग रूल्स हैं ।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : पंचायत समिति के जो रूल्स हैं उसके मुताबिक वह वसूल होती है ।

श्री भैरोंसिंह : पंचायत समिति और जनरल फाइनेन्शियल रूल्स के खिलाफ किसी ने कार्यवाही की है उसके खिलाफ क्या कोई एक्शन लिया गया है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मैंने जैसा कि निवेदन किया वह रुपया जमा कर दिया गया है । उसमें डिले हुई है । उसमें इन्टेन्शन्स देखे जाते हैं या तो मिस एप्रोप्रियेशन करने का इरादा हो लेकिन जब जमा करा दिया तो मिस एप्रोप्रियेशन का सवाल नहीं ।

Page No.17

श्री तनसिंह : जब एक आदमी दस हजार रुपये की रकम छः महिने तक जमा नहीं कराये, अपने पास रखे तो या तो उसने उससे ब्याज कमाया होगा या बैंक में जमा किया होगा; यह तो मिस एप्रोप्रियेशन ही होता है ।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : रुपया यदि जमा नहीं कराया होता तो यह मिस एप्रोप्रियेशन होता ।

श्री तनसिंह : तो आखिर यह दस हजार की रकम कहां रही ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : जमा करवा दी गई है ।

श्री भैरोंसिंह : जितने दिन जमा नहीं कराई उतने दिन कहां रही ? ए० जी० के स्पष्ट इन्स्ट्रक्शन्स हैं कि यदि जमा कराई जाने वाली रकम ज्यादा दिन तक किसी के पास रहती है उसको एम्बेजलमेंट माना जाता है ।

श्री मुरलीधर व्यास : आखिर जब एक से इर्रेगुलेरिटी हो गई है तो सरकार उसको बचाना क्यों चाहती है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : हमने थोड़े ही किया; यह तो पंचायत समिति से ताल्लुक रखता है ।

चम्बल योजना के माल की चोरी, खयानत, कमी

२५८. **श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** (जौहरी बाजार, जयपुर) : क्या गृह मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देंगे :—

(१) चम्बल योजना के माल की चोरी खयानत, कमी या गायब किये जाने आदि की कुल कितनी रिपोर्ट्स कोटा पुलिस में अभी तक दर्ज की गई और उन पर क्या कार्यवाही की गई ?

(२) इन केसेज में जो जांच की गई उनमें कितना माल किस किस से बरामद किया गया और उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की गई ?

(३) इन सब केसेज में कुल कितने रुपये की मिलकियत का मामला था ?

(४) क्या यह सही है कि कोटा पुलिस को बम्बई पुलिस से चम्बल प्रोजेक्ट का माल बम्बई के बाजार में बिकने सम्बन्धी सूचना मिली ? यदि हां, तो उस विषय में क्या कार्यवाही की गई ?

(५) क्या यह सही है कि बेरेज डिविजन के स्टोर से डीजल से भरे हुए ढोल कोटा नगर के बाजार में किसी दुकानदार के यहां से पुलिस ने बरामद किये थे ? यदि हां तो उस केस में पुलिस ने किस किस के खिलाफ क्या क्या कार्यवाही की ?

(६) क्या मामले हाजा में किस्तूरचन्द मिस्त्री, श्री छोटेलाल स्टोर कीपर व दुकानदार ने पुलिस में यह बयान दिये थे कि इस चोरी की जिम्मेदारी श्री बी० एस० माथुर, असिस्टेन्ट इन्जीनियर की है ?

गृह मन्त्री (श्री रामकिशोर व्यास) :

Page No.18

(श्री रामकिशोर व्यास)

(क) चम्बल योजना के माल की दो रिपोर्ट खयानत की, चार रिपोर्ट चोरी की व एक नकबजनी की इस तरह कुल ७ रिपोर्ट कोटा पुलिस को प्राप्त हुई। उन प्रत्येक पर मुकदमा दर्ज होकर तफतीश हुई।

(ख) इन मुकदमात में माल निम्नांकित व्यक्तियों से बरामद हुआ :—

(१) मु० न० १७६ दिनांक १८-७-६० धारा ४०६ भा०द० सं० में रु० २,३८४.०८ न० पै० का माल जीवाजी पुत्र रसूल भाई बोहरा, कोटा से बरामद हुआ तथा जीवाजी का चालान कर दिया गया है।

(२) मु० नं० १७ दिनांक ३१-१-६१ धारा ४०६ भा० द० सं० में रु० ३०२.०० न० पै० का माल सूरजमल पुत्र अम्बालाल कलाल कुन्हाडी, कोटा से बरामद हुआ। तफतीश से सूरजमल के खिलाफ कोई जुर्म साबित नहीं हुआ। अतः उसका चालान नहीं किया गया। किन्तु श्री सूरजमल को चोरी का माल बेचने वाले व्यक्ति अर्थात् बचनसिंह अमरलाल तथा मुख्य अपराधी अब्दुल रज्जाक का चालान किया गया।

(३) मु० नं० १६६ दिनांक १६-१२-६० धारा ४५७/३८० भा० द० सं० में रु० १,६०० का माल प्रभुशंकर, सुशीला, बचनसिंह व मोहम्मद अमीन से बरामद हुआ। चारों का चालान कर दिया गया है।

(४) मु० न० ५६ दिनांक २१-१२-६० धारा ३८० भा० द० सं० में रु० १,१०० का माल श्री खुमानसिंह द्वारा बेचा हुआ धनसुखलाल इन्टरनेशनल इन्जीनियरिंग कॉर्पोरेशन, १६३ अमीला स्ट्रीट, फोर्ट बॉम्बे से बरामद हुआ। तफतीश से धनसुखलाल अपराधी साबित नहीं हुआ। धनसुखलाल को चोरी का माल बेचने वाले व्यक्ति खुमानसिंह का चालान कर दिया गया। इस तरह अभी तक इन केसेज में कुल ५,३८६.०१ नये पैसे का माल बरामद हो चुका है।

(ग) इन केसेज में कुल रुपये १०,५५०.६२ न० पै० का माल चोरी गया है।

(घ) जी हां। सूचना प्राप्त होते ही बम्बई पुलिस को माल कोटा भेजने को लिख दिया गया। माल प्राप्त होने पर अपराधी का चालान किया गया।

(ङ) जी नहीं।

प्रश्न संख्या २५६

श्री अध्यक्ष : डॉ० चन्द्रकला।

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या २६०

श्री लादूराम मुलाणिया।

(अनुपस्थित)

श्री लक्ष्मीचन्द।

जालोर में सिंचाई की योजनायें

२६१. श्री लक्ष्मीचन्द (सांचोर) :

(श्री लक्ष्मीचन्द)

क्या सिंचाई मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(१) सुमेरपुर से एक्जीक्युटिव इन्जीनियर, सिंचाई विभाग का दफ्तर हटा कर जालोर में कब लाया गया है तथा तब से सिंचाई की कौन सी योजनायें जालोर जिले में बनाई गई हैं ?

(२) क्या यह सही है कि हैडक्वार्टर जालोर में आने के पश्चात् एक भी योजना को आरंभ नहीं किया गया है ? यदि नहीं, तो कौन कौन सी आरम्भ की गई हैं और उनमें क्या प्रगति हुई है ?

सिंचाई मन्त्री (श्री भीखाभाई) : (१) एक्जीक्युटिव इन्जीनियर सर्वे व इन्वेस्टीगेशन का दफ्तर सुमेरपुर से जालोर १—५-६० को लाया गया था। तब से सिंचाई योजनायें बनाने की प्रगति निम्न प्रकार है।

(अ) योजनायें जिनका तखमीना बना कर स्वीकृति हो चुकी है : (१) केर बडगांव।

(ब) योजनायें जिनका तखमीना बना लिया गया है: (१) बाडी सेन्दरा (२) बाबरड़ा।

(स) योजनायें जिनका सर्वेक्षण कर लिया गया है व तखमीना बनाया जा रहा है : (१) नोसरा (२) हरजी (३) कलापुरा।

(द) योजनायें जिनकी सर्वे हो चुकी है और जो कार्य रूप में परिणत करने योग्य नहीं हैं : (१) बावन धौलपुर। (२) सागी। (३) लूणी जंकशन।

(२) योजनायें आरम्भ करने का प्रश्न अभी नहीं उठता। योजनाओं की स्वीकृति के बाद कार्य आरम्भ कर दिया जायेगा।

श्री लक्ष्मीचन्द : लूनी इर्रिगेशन स्कीम के अन्तर्गत क्या प्रगति हुई है ?

श्री भीखाभाई : इसकी जांच पड़ताल करवाने के बाद यह मालूम हुआ इनन्डेशन स्कीम नहीं हो सकती।

श्री लक्ष्मीचन्द : क्या यह सत्य है कि इसी स्कीम को लागू करने के लिये एग्जीक्युटिव इन्जीनियर के कार्यालय के लिये केबिनेट की मीटिंग में यह तय हुआ था कि जालोर लाया जाय ?

श्री भीखाभाई : मुझे इस बारे में खयाल नहीं है। सिंचाई योजनाओं को ज्यादा ध्यान दिलाने के लिये इस प्रकार से कार्यालय की तब्दीली की गई है।

श्री लक्ष्मीचन्द : क्या यह सही है कि तृतीय पंचवर्षीय योजना में इस स्कीम को लेने का निश्चय किया है और इसके लिये दो करोड़ रुपये की रकम रखी गई है ?

श्री भीखाभाई : इनवेस्टिगेशन का सवाल है। दो-दो, तीन—तीन बार इनवेस्टिगेशन होते हैं : कहीं फाउन्डेशन अच्छी नहीं होती और कहीं कुछ कमी होती है इसीलिये ज्यादातर डिफीकल्टी पैदा होती है।

श्री लक्ष्मीचन्द : क्या यह स्कीम अभी तक चालू नहीं हुई सांचोर तहसील में जहां लाखों मन अनाज पैदा होता है ?

श्री भीखाभाई: वहां पर इनवेस्टिगेशन हुआ था इनवेस्टिगेशन के नतीजे इसे टेक-अप करने जैसे नहीं हैं। फर्दर इनवेस्टिगेशन जारी है।

रावल श्री नरेन्द्रसिंह (दूदू) : जिस जगह नीचे पत्थर नहीं वहां पर तो यह व्यवस्था हो सकती है खास तौर से उस जगह जहां यह जरूरी चीज हो।

श्री भीखाभाई : आपके सुझाव का ध्यान रखा जायेगा।

पुलिस चौकी की स्थापना

२६२. **श्री दयाकृष्ण विजय (छबड़ा):** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या ग्राम सारथल, तहसील छीपा बड़ोद, जिला कोटा के लिये एक पुलिस चौकी की स्वीकृति राज्य सरकार की ओर से हो चुकी है?

(२) यदि हां, तो क्या वह चौकी उस ग्राम में अभी तक भी नहीं खुली है?

(३) क्या पुलिस चौकी की स्थापना के लिये लबे सड़क, जकात की बिल्डिंग खाली मौजूद है?

गृह मंत्री (श्री रामकिशोर व्यास) : (१) जी हां।

(२) जी हां।

(३) जकात की बिल्डिंग को पुलिस चौकी के लिये प्राप्त किये जाने का विषय विचाराधीन है।

श्री दयाकृष्ण विजय : चौकी की स्थापना की स्वीकृति कब दी थी?

श्री रामकिशोर व्यास : डेट तो मेरे पास नहीं है।

श्री दयाकृष्ण विजय : स्वीकृति दो तीन साल हुए हो गई लेकिन चौकी की स्थापना नहीं की गई।

श्री रामकिशोर व्यास : बिल्डिंग नहीं है।

श्री दयाकृष्ण विजय : बिल्डिंग एक्वायर की जा सकती है।

श्री रामकिशोर व्यास : बिल्डिंग की दिक्कत है।

श्री दयाकृष्ण विजय : वहां पर बिल्डिंग है तीन साल हुए। राज्य सरकार उसको ले सकती है। लेकर उस पर कब्जा करे।

प्रश्न संख्या २६३

श्री अध्यक्ष : श्री मोहब्बतसिंह।

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या २६४

श्री रामधन।

(अनुपस्थित)

आर० ए० सी० की चौकियां, तहसील कोलायत

२६५. **श्री रावतमल पारीक** (नोखा): क्या गृह मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(१) बीकानेर जिले की कोलायत तहसील में आर० ए० सी० की कितनी चौकियां हैं ?

(२) उनमें हर एक में कितने जवान हैं ?

(३) उनके लिये सवारी का क्या और कितना प्रबन्ध है और क्या वह काफी है ?

(४) रहने व पीने के पानी पर सरकार ने कितना खर्चा किया है? चौकी वार हर साल का अलग अलग बताया जावे ?

(५) उनकी चिकित्सा का क्या प्रबन्ध है ?

गृह मन्त्री (श्री रामकिशोर व्यास) : (१) कुल ६ चौकियां है।

(२) ३७ जवान प्रति पोस्ट।

(३) उनके सवारी के हेतु प्रत्येक पोस्ट पर राजकीय ऊंट तथा इसके अतिरिक्त एक पोस्ट पर एक मोटर है। ऊंटों की तादाद बढ़ाने के लिये एक स्कीम सरकार के विचाराधीन है।

(४) रहने के लिये कुछ भी खर्च नहीं हुआ; क्योंकि जवानों ने श्रमदान से कच्ची झोपड़ियां बना ली हैं। सन् १९६०—६१ में पोस्ट बज्जू, रजीतपुरा और बरसलपुर के लिये रु० ८३६. ६० न० पै० पीने के पानी के लिये खर्च किये गये। अन्य पोस्टों के लिये अतिरिक्त खर्चे की आवश्यकता नहीं हुई।

(५) नोख में एक डिस्पेन्सरी है जहां पर दवाइयां तथा चिकित्सा का प्रबन्ध है। बड़ी बीमारियों में रोगियों की बटालियन हैडक्वार्टर पर स्थित अस्पतालों में चिकित्सा कराई जाती है।

श्री रावतमल पारीक : यह जो आपने जीप की बात बतायी सभी जगहों पर एक है क्या ?

श्री रामकिशोर व्यास : पोस्ट पर है।

श्री रावतमल पारीक : लेकिन बज्जू, गुढ़ा, मीठडी जीप का बन्दोबस्त नहीं है ?

श्री रामकिशोर व्यास : और वेरीफाई कर लूंगा।

श्री रावतमल पारीक : कच्ची झोपड़ियों में निवास करते हैं। क्या सर्दी, गर्मी आदि के लिये वह काफी है क्या ?

श्री रामकिशोर व्यास : मैंने कहा वे श्रमदान से बनी हुई हैं जो बहुत आराम-देह नहीं होती।

(१२ म. प)

श्री रावतमल पारीक : क्या डिपार्टमेन्ट ने कभी यह खयाल किया कि पक्के मकानात बनाये जावें और अगर खयाल आया तो क्या कदम उठाये गये हैं अब तक इस बारे में ?

श्री रामकिशोर व्यास : कई बार खयाल किया गया पर यह मुमकिन नहीं लगा।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या २६६

श्री मोहरसिंह।

(अनुपस्थित)

खान के पत्थरों की चोरी का मामला

२६७. **श्री किशनाराम** (रतनगढ़) : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(क) क्या यह सही है कि खान नम्बर ६ झालाना डुकिया, जयपुर में चोरी से पत्थरों की खान खोदते हुए श्री कैलाशचन्द्र माथुर व दीगर आशामियान रंगे हाथों थाना अशोक-नगर पुलिस द्वारा पकड़ लिए गए थे और केस नम्बर १००.५९ दिनांक १०–८–५९ तहत दफा २६, ६४ रजिस्ट्रेशन फॉरेस्ट एक्ट, सन् १९५३ के रजिस्टर्ड कर लिया गया था और तब उपरोक्त आशामियान मुलजिम हो गये, तब एक हजार रुपया रिश्वत श्री ऊंकारलाल जोशी को देकर बिना किसी प्रार्थनापत्र के खान नम्बर ६ का परमिट पीछे की तारीख में श्री ऊंकारलाल जोशी, एम. ई., जयपुर ने श्री कैलाशचन्द को दे दिया था ? यदि हां, तो इस केस नम्बर १००.५९ में आज तक क्या कार्यवाही हुई है और इसका चालान कब तक कोर्ट में पेश कर दिया जायेगा ?

(ख) क्या यह सही है कि उपरोक्त एक हजार रुपया रिश्वत लेकर बिना प्रार्थनापत्र के १७–८–५९ को श्री जोशी ने श्री कैलाशचन्द्र को परमिट दे दिया ? क्या इस सम्बन्ध में सरकार के पास शिकायत आई थी और भ्रष्टाचार निरोधी विभाग ने जांच करके थाना अशोक नगर को यह बता दिया कि श्री जोशी के खिलाफ श्री कैलाशचन्द्र से एक हजार रुपया लेकर दिनांक १७–८–५९ को जाली परमिट दिया है, का जुर्म सिद्ध हो चुका है, इसलिये श्री जोशी का चालान तहत धारा ७९ आर. एफ. ए., १९५३ व श्री कैलाशचन्द्र का चालान तहत धारा २६, ६४ आर. एफ. ए., १९५३ शीघ्र ही अदालत में पेश किया जाए ?

गृह मन्त्री (श्री रामकिशोर व्यास) : (क) व (ख) श्री बी. एस. जाखड़ द्वारा एक प्रार्थना-पत्र इस आशय से कि श्री कैलाशचन्द्र माथुर तथा उनके आठ आदमियों ने खान नम्बर ६ झालाना से अनधिकृत रूप से पत्थर निकाले हैं प्राप्त होने पर प्रकरण संख्या १०० दिनांक १०–८–५९ धारा २६, ६४ फॉरेस्ट एक्ट थाना अशोकनगर में दर्ज किया गया। जांच से मामला झूठा पाया जाने पर दिनांक ५-१२-६० को अन्तिम प्रतिवेदन दिया गया। माइनिंग इन्जीनियर श्री ओंकारलाल जोशी द्वारा १,०००) रु. रिश्वत लेकर श्री कैलाशचन्द्र माथुर के नाम उक्त खान का परमिट पुरानी तारीख में बनाये जाने की शिकायत सही पाई गई; जिस पर भ्रष्टाचार विरोधी विभाग द्वारा श्री जोशी के विरुद्ध न्यायालय में चालान पेश कर दिया गया।

श्री किशनाराम : यह जोशीजी के खिलाफ शिकायत किसने की थी ? उसका नाम क्या है ?

श्री रामकिशोर व्यास : नाम मेरे पास नहीं है।

श्री किशनाराम : यह जाखड़ ही तो नहीं है?

श्री अध्यक्ष : उन्होंने कहा न कि उनके पास नाम नहीं है।

श्री किशनाराम : नाम तो है उनके पास, बताते नहीं हैं।

(विराम)

श्री रामकिशोर व्यास : नहीं बताने का क्या सवाल हो सकता है, वह तो कोर्ट में पेश किया गया है, पुलिस ने तफतीश की है। नाम तो है ही।

श्री किशनाराम : १६ तारीख को प्रश्नोत्तर काल में मन्त्री महोदय ने एक प्रश्न के उत्तर में यह कहा था कि बी. एस. जाखड ठेकेदार ने माइनिंग विभाग के अफसर के खिलाफ कुछ नहीं कहा। यह कहा गया और आज यह कहा जा रहा है। हमारे तो कुछ समझ में नहीं आता।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या २६८

श्री अध्यक्ष : श्री मोहब्बतसिंह।

(अनुपस्थित)

जयपुर-भरतपुर सरकारी बसें

२६६. श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी (डीग) : क्या यातायात मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(१) जयपुर से भरतपुर के लिये सरकारी बसों का चलना कब से आरम्भ हुआ है?

(२) क्या इस अर्से में वे निरन्तर जाती रही हैं?

(३) इस दौरान में इन बसों पर कितना व्यय हुआ है और कितनी आय हुई? प्रति मास की ब्यौरेवार सूची सदन की मेज पर रखी जावे।

यातायात मन्त्री (श्री रामकिशोर व्यास) : (१) जयपुर से भरतपुर के लिये सरकारी बसों का चलना सितम्बर, १६६० से शुरू हुआ है। यह निर्णय सरकार के आदेशानुसार लिया गया है।

(२) जी हां। केवल ११-११-६० से २८-११-६० तक कानूनी अड़चनों के कारण बन्द रहीं।

(३) इस मार्ग पर हुए व्यय तथा आय का ब्यौरा सितम्बर, १६६० से जुलाई, १६६१ तक निम्न प्रकार है :

आय १,६२, ३७५ रु०, ५५ न. पैसे।

व्यय १,८४,४५१ रु०, २३ न. पैसे।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : यह सूची आपने सदन की मेज पर नहीं रखी है शायद। मैंने माहवार सूची मांगी थी।

श्री रामकिशोर व्यास : माहवार इस लिस्ट में अर्ज है। आप सुन लीजिये।

Page No.24

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : रहने दीजिये, आपको देर लगेगी और मैं भी तुरन्त सुन कर कुछ अधिक नहीं पूछ सकूंगा। वह तो पहले मिल जाती तो सोच सकता था।

एक माननीय सदस्य : फिर वह बन्द क्यों हो गई बीच में ?

श्री रामकिशोर व्यास : स्टे आ गया था हाईकोर्ट से।

बसों की यात्रा की दरें

२७०. **श्री तनसिंह** (बाडमेर) : क्या मंत्री, यातायात विभाग यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या डामर की सड़कों पर और कच्ची सड़कों पर चलने वाली बसों की यात्रा की दरें भिन्न भिन्न हैं ?

(२) यदि हां, तो बालोतरा से असाढ़ा तक डामर की सकड़ १५ माह पूर्व बन चुकने के बाद भी बसों के मालिक पुरानी रेट से यात्रा किराया क्यों वसूल करते हैं ?

(३) क्या सरकार दर को घटाने के आदेश देने का विचार रखती है ?

यातायात मन्त्री (श्री रामकिशोर व्यास) : (१) जी हां।

(२) बालोतरा से असाढ़ा तक जहां 'ए' क्लास रूट है यानि डामर की सड़क है वहां ८ पाई फी मील के हिसाब से व जहां 'बी' क्लास रूट है वहां ११ पाई फी मील के हिसाब से तथा कच्ची 'सी' क्लास रूट पर १४ पाई फी मील के हिसाब से किराया लिया जाता है।

(३) जी नहीं।

श्री तनसिंह : यह आपने ११ पाई फी मील लिखा है यह अब हुई है रेट या पहले से है ?

श्री रामकिशोर व्यास : पहले ज्यादा थी, जब पक्की बनी तब कम कर दिया।

बीकानेर जिले के बांध

२७१. **श्री रावतमल पारीक** (नोखा) : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

बीकानेर जिले में कुल बांधों की संख्या कितनी है तथा उनकी मरम्मत में राजस्थान बनने से लेकर अब तक कितना खर्चा हुआ है ? इनकी देखरेख कौन कौन अफसर या कर्मचारी करते हैं ? उनका हैड क्वार्टर कहां है ?

सिंचाई मन्त्री (श्री भीखाभाई) : बीकानेर जिले में सिंचाई विभाग के अधीन कुल १३ बांध हैं। इन पर पिछले चार वर्षों में ४०,२४०) रु० मरम्मत के लिए खर्च किये गये हैं। इनकी देखरेख सहायक अभियन्ता, पदमपुर करते हैं जिनका हैड क्वार्टर पदमपुर में है।

श्री रावतमल पारीक : क्या सरकार ने जहां इतने बान्ध हैं वहां एक भी कर्मचारी दफ्तर में रखना उचित नहीं समझा ?

श्री भीखाभाई : इन बान्धों में कोई

(श्री भीखा भाई)

पानी तो आता है नहीं। इसलिये आवश्यकता नहीं प्रतीत होती। जो खर्चा करते हैं वह वर्क लोड और वहां की आवश्यता को देखते हुए करते हैं; इसके बिना फाइनेन्स विभाग भी राजी नहीं होता। एक असिस्टेन्ट इन्जीनियर काफी है।

श्री रावतमल पारीक : पानी नहीं आने की यह वजह नहीं है कि किसी कारण विशेष से नहीं आता। या तो वर्षा की कमी होती है तो नहीं आता या उनकी मरम्मत नहीं होती है इसलिये नहीं आता।

श्री भीखाभाई : दर असल में पानी आता भी नहीं है। हमने जो खर्चा अलॉट हुआ है उसके माफिक खर्च वहां किया है और खर्चा अलॉट वर्क लोड को देख कर होता है। फिर भी आपका आग्रह है तो इस वर्क लोड की दृष्टि से फिर जांच करवा लेंगे।

राजस्थान प्रेमिसेज (कन्ट्रोल ऑफ रेन्ट एण्ड एविक्शन) एक्ट का विस्तार

२७२. श्री अर्जुनदास (अजमेर-पश्चिम): Will the Home Minister be pleased to answer:—

(a) Is it a fact that the people of Bijay Nagar, District Ajmer made any representations that Rajasthan Premises (Control of Rent and Eviction) Act be extended to Bijay Nagar also ?

(b) If yes, when was the first representation received by the Government and what action has been taken on it ?

(c) When does the Government propose to extend this Act to Bijay Nagar ?

गृह मन्त्री (श्री रामकिशोर व्यास) : (a) Yes.

(b) The first representation was received in Home 'B' Department on 24th February, 1961 and the matter has been referred to the Collector, Ajmer.

(c) Government will take decision in the matter on receipt of a final reply from the Collector, Ajmer, who has already been reminded.

श्री अर्जुनदास : Has the Government taken any decision as to the population of a town on the basis of which the Rent Control Act should be applied.

श्री रामकिशोर व्यास : Ordinarily we consider it after figure of 5,000 has been reached.

प्रश्न संख्या २७३

श्री अध्यक्ष : श्री शंकरलाल।

(अनुपस्थित)

स्थगित प्रश्न

(दि० १३-९-६१)

सन् १९५६ में बूंदी जिले में स्थित गुढ़ा बांध की टूट तथा उससे सम्बन्धित जांच

२९०. श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल

Page No.26

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

(जौहरी बाजार, जयपुर) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि सन् १६५६ में बूंदी जिले में स्थित गुढ़ा बांध टूट गया तथा उसके विषय में एक डिपार्टमेंटल इन्क्वायरी की गई थी ? यदि हां, तो उसकी रिपोर्ट सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(२) जिस समय यह बांध टूटा था उस समय एक्जीक्यूटिव इन्जीनियर कौन थे ?

(३) क्या जिस समय यह बांध टूटा था उस समय इस बांध के टूटने के समय एक्जीक्यूटिव इन्जीनियर वहां के रेस्ट हाउस में मौजूद थे तथा बांध की चिन्ताजनक हालत का समाचार पाकर ही वे वहां आये थे ? यदि हां, तो फिर बांध न टूटने पावे, इसके लिए उन्होंने क्या क्या कदम उठाये ?

(४) क्या सही है कि देखरेख की कोई व्यवस्था नहीं थी तथा स्टोर से पट्रोमैक्स आदि कुछ भी सप्लाई नहीं हुए और रोशनी की भी कोई व्यवस्था नहीं थी जब कि पहली बार ही यह बांध भरा जा रहा था ?

(५) अगर देखरेख की कोई व्यवस्था थी तो मस्टर रोल से कितना पेमेन्ट उस रोज का किया गया ?

(६) क्या यह सही है कि बन्ध रात्रि के चार बजे टूटा और इत्तला मिलने पर भी उक्त एक्ज़ीक्यूटिव इन्जीनियर ८ बजे मौके पर पहुंचे ? यदि हां, तो इतनी देर से क्यों ?

(७) क्या यह सही है कि श्री एन. एन.- बक्शी, एक्ज़ीक्यूटिव इन्जीनियर के खिलाफ जो जांच की गई थी उसमें ओवरसीयर इन्चार्ज तथा दूसरे ओवरसीयर जो टोंक से स्पेशल ड्यूटी पर भेजे गये थे उन्होंने यह बयान दिये थे कि बांध ४ बजे टूटा था और श्री बतरा, एक्ज़ीक्यूटिव इन्जीनियर ८ बजे वहां पर रेस्ट हाउस से पहुंचे।

(८) यदि हां, तो फिर इनके विरूद्ध इस लापरवाही के लिये क्या कार्यवाही की गई ?

(९) मौके पर पहुँचने के बाद बांध के नाके को चौड़ा होने से रोकने के लिये क्या किया गया ?

(१०) क्या यह सही है कि दूसरे दिन सुपरिन्टेन्डिंग इन्जीनियर ने यह हुक्म दिया कि बांध के नाके को चौड़ा होने से रोकने की व्यवस्था की जावे ? यदि हां, तो क्या व्यवस्था की गई और उस वक्त को इस व्यवस्था पर कितना खर्च हुआ ?

सिंचाई मन्त्री (श्री भीखाभाई) : अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न का जवाब पूरा नहीं आ सका है इसलिए इसका मैं एडजोर्नमेंट चाहता हूँ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : ५६ का सवाल है और ६१ में दिया जा रहा है फिर भी पूरा नहीं आ सका। तो अब तो फिर अगले सेशन में ही हो सकता है।

श्री भीखाभाई : अगर आप सन्तुष्ट हो सकते हों तो जो है उसी को पढ़ कर सुना देता हूं।

श्री अध्यक्ष : जी हां, पढ़ कर सुना दीजिये ।

श्री भीखाभाई : (१) जी हां, विभागीय जांच सरकार द्वारा कराई गई थी और इसकी प्रतिलिपि सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(२) श्री सी. एल. बतरा ।

(३) जी हां, उन्होंने रात्रि को बांध का निरीक्षण किया था क्योंकि बांध की हालत ठीक थी इसलिए किसी तरह का कदम उठाना जरूरी नहीं समझा गया ।

(४) जी नहीं, देखरेख की पूरी व्यवस्था थी, स्टोर से सामान देने का कोई प्रश्न नहीं था क्योंकि ठेकेदार का काम चल रहा था और ऐसी सारी व्यवस्था ठेके की शर्तों के अनुसार उसी को करनी थी ।

(५) प्रश्न नहीं उठता ।

(६) जी नहीं । वे इत्तला मिलते ही मौके पर चले गये थे ।

(७) प्रश्न अस्पष्ट है ।

(८) विभागीय जांच में जिनको कसूरवार पाया गया उनके विरूद्ध सरकार ने उचित कार्यवाही की है ।

(९) लगातार वर्षा होने के कारण टूटे हुए नाके में बहाव बहुत तेज था और वहां तक पत्थर आदि पहुंचाने की व्यवस्था नहीं हो सकती थी । इस कारण इस बारे में कुछ भी नहीं किया जा सका ।

(१०) जी हां, परन्तु उक्त कारणों से ऐसा कोई इन्तजाम किया जाना सम्भव नहीं था ।

(रिपोर्ट अति विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : यह सुपरिन्टेन्डिंग इन्जीनियर ने ऑर्डर दिया था वह कब दिया था ?

श्री भीखाभाई : तारीख तो मुझे याद नहीं ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : जो उसने ऑर्डर दिया क्या वह किया गया ?

श्री भीखाभाई : जो नाका टूटा था वह चार बजे के करीब टूटा था और पानी की इतनी तेज वेलोसिटी थी, इतना तेज बहाव था कि ड्राइवर भी बह गया । तो उसको रोकने का प्रबन्ध करना सम्भव नहीं था ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : तो यह ऑर्डर एस० ई० ने कब दिया था बांध; टूटने से एक दिन पहले या दो दिन पहले ?

श्री भीखाभाई : यह तो मैंने अर्ज कर दिया पहले ही कि मेरे पास पूरी इन्फोर्मेशन नहीं है, इसलिए मैं नहीं बता सकता ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आपने यह जो प्रश्न के भाग (७) में बताया कि जो स्टेटमेन्ट हुए थे ओवरसीयर के और ओवरसीयर इनचार्ज के जो कि उस समय ड्यूटी पर थे कि बांध ४ बजे टूटा और मिस्टर बत्रा रेस्ट हाउस से ८ बजे गये थे ।

श्री भीखाभाई : यह प्रश्न स्पष्ट नहीं है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मेरा सवाल साफ है कि जो इन्क्वायरी हुई थी और जो स्टेटमेन्ट हुए उसमें है कि मिस्टर बत्रा ने भी उसके अन्दर बयान दिया है। ४ बजे तो बांध टूटा था और मिस्टर बत्रा जो मौजूद थे रेस्ट हाउस के अन्दर वे ८ बजे पहुँचे थे। तो फिर ४ घन्टे रेस्ट हाउस में क्यों पड़े रहे, क्यों नहीं इन्तजाम किया या फिर ड्राइवर की तरह बह जाने का डर था या क्या और बात थी ?

श्री भीखाभाई : जो कुछ इन्क्वायरी रिपोर्ट थी वह भी रख दी है मैंने।

श्री बृजसुन्दर शर्मा (बूंदी) : उस दिन वहां कितने और ड्यूटी पर थे बांध पर ?

श्री भीखाभाई : मेरे पास इस समय डिटेल्ड रिपोर्ट नहीं है इसलिए मैं जबाब देने में परहेज़ कर रहा था पहले ही।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : क्या उस दिन बांध पर सेन्ड बैग्स भी थे ?

श्री भीखाभाई : मैंने अर्ज किया कि वहां पर कॉन्ट्रेक्टर का काम चल रहा था और कॉन्ट्रेक्टर ने पेट्रोमैक्स आदि की व्यवस्था की थी। पर एकाएक पानी कैचमेन्ट एरिया में हो गया इसके कारण से जो पोर्शन ब्रीच हुआ उसमें इतनी तेज वेलेसिटी थी कि कोई आदमी काम ही नहीं कर सकता था।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : कौन से कॉन्ट्रेक्टर का काम चल रहा था और क्या काम चल रहा था ?

श्री भीखाभाई : मेरे पास सारी डिटेल्स नहीं हैं। जो भी डिटेल्स मेरे पास अवेलेबल हैं उनके आधार पर कह रहा हूँ। मैंने सबसे पहले यही कहा था कि मेरे पास पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं है।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : क्या वह बंध कम्पलीट हो चुका था ?

श्री अध्यक्ष : श्री जगदीशप्रसाद माथुर।

स्थगित प्रश्न
(१४–६–६१)

नगरपालिका भीलवाड़ा में निर्माण कार्यों में घोटाला

१०६. **श्री जगदीशप्रसाद माथुर** (सीकर) : क्या मंत्री, स्वायत्त शासन विभाग निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि नगरपालिका भीलवाड़ा में निर्माण कार्यों में हुए घोटाले के सम्बन्ध में जांच कमेटी ने यह रिपोर्ट दी है कि उस कार्य में डेढ़ लाख की गड़बड़ी हुई है ?

(२) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई ?

स्वायत शासन मन्त्री (श्री सम्पतराम): (१) म्युनिसिपल बोर्ड द्वारा सन् १६५८-५६ में निर्माण कार्य हुए उसकी जांच के लिए

Page No.29

(श्री सम्पतराम)

तीन सदस्यों की एक कमेटी बनाई गई थी। इस कमेटी की बैठकें न तो नियमित रूप से बुलाई गई और न जो रिपोर्ट पेश हुई उसके बारे में तीसरे सदस्य की राय ही ली गई। इसलिए इस रिपोर्ट को कमेटी की रिपोर्ट मानी जाय या नहीं, यह निर्णय अभी तक बोर्ड के विचाराधीन है। हां, जो कमेटी की रिपोर्ट २ आदमियों के द्वारा पेश हुई उसमें २० प्रतिशत के घोटाले की रिपोर्ट है।

(२) प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : जो ३ सदस्यों की कमेटी थी और दो सदस्यों ने राय दी है और तीसरे सदस्य शामिल नहीं हुए तो कमेटी की बहुमत की राय है और राय को स्पष्ट लिख दिया कि इस प्रकार के घोटाले हुए हैं तो सरकार को तो कार्यवाही करनी चाहिए थी।

श्री सम्पतराम : यह ठीक है। इस प्रकार की सूचना आने पर बोर्ड ने कमेटी बनाई। टैक्निकल आदमी उसमें नहीं रखा गया और ३ आदमियों की कमेटी बनाई थी। तीसरे आदमी को नहीं रखा। यह सारा विषय गवर्नमेन्ट के सामने आया तो असिस्टेन्ट डाइरेक्टर लोकल बॉडीज़ को इन्क्वारी के लिए लगाया। उनकी डिटेल्ड रिपोर्ट आ जायेगी तो सरकार क्या कार्यवाही करेगी, वह बता देंगे।

अतारांकित प्रश्न

लालसोट रेंज का क्षेत्रफल, तहसीलें इत्यादि

६. **श्री प्रभुलाल पुरोहित** (लालसोट): क्या वन मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देंगे :—

(१) लालसोट रेंज का कितना एरिया है और इस रेंज के नीचे कितनी तहसीलें हैं? रेंज का स्टाफ कितना है? इनमें से नाकों की दूरी क्या है इन नाकों पर इन्तजाम के लिए कितने आदमी तैनात हैं, और उनको चैक करने के लिए कितने ऑफिसर नियुक्त हैं तथा चैक करने के क्या साधन हैं?

(२) बैराठ, सीकर, सवाई माधोपुर, खंडार, भरतपुर, करौली तथा थाना रेंजों में कितनी कितनी तहसीलें हैं और कितना एरिया है तथा कितना कितना स्टाफ है और क्या क्या साधन हैं? कृपया सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

वन मन्त्री (श्री सम्पतराम) : (१) लालसोट रेंज का क्षेत्रफल ४०२ वर्ग मील है। इसके अन्तर्गत १० तहसीलें हैं। रेंज का स्टाफ : १ रेंजर, १ डिप्टी रेंजर, २ फॉरेस्टर, ४ हैड गार्ड और ३८ फॉरेस्ट गार्ड हैं। रेंज में ७ नाके हैं और इनकी दूरी रेंज से २४ से ५० मील तक है। नाके के प्रबन्ध के लिए ३२ कर्मचारी तैनात हैं। चैक करने के लिए एक रेंज अफसर व डिविज़नल फॉरेस्ट ऑफिसर समय समय पर दौरा करके चैकिंग करते हैं।

(२) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(कृपया परिशिष्ट ६ देखिये)

श्री अर्जुनदास (अजमेर-पश्चिम) : Sir, I have given.

Page No.30

राजस्थान लोक सेवा आयोग का नवां प्रतिवेदन

(सदन की मेज पर रखना)

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मंत्री): अध्यक्ष, मैं राजस्थान लोक सेवा आयोग का नवां प्रतिवेदन (१ अप्रेल, १६५८ से ३१ मार्च, १६५६ तक) सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री अध्यक्ष : यस, श्री अर्जनदास।

(१२. १५ म. प.)

सम्पादक, जनता (साप्ताहिक) के प्रति विशेषाधिकार प्रस्ताव

श्री अर्जनदास (अजमेर-पश्चिम): Sir, I beg leave of the House to raise a question of Breach of Privilege against Shri Pohumal Issardas, Editor of 'Janta' Weekly, newspaper of Ajmer, for deliberately printing false news about my speeches in the House in mis-use of his paper.

अध्यक्ष महोदय, आज चुनाव नज़दीक आ रहे हैं और कई अखबारनवीस जो खुद चुनाव लड़ने की इच्छा रखते हैं वे यही कोशिश करते हैं और जो पहले ही विधान सभा के सदस्य हैं उनके खिलाफ झूठी खबर शाया करके उनको बदनाम करते हैं और चाहते हैं कि उनके चुनावों में रुकावट पैदा करें। मैं यह भी जानता हूँ कि ऐसी चीजें अखबारों में शाया करना करप्ट प्रेक्टिस नहीं है लेकिन ब्रीच ऑफ प्रिविलेज जरूर है।

अध्यक्ष महोदय, इसके लिए हमारे पास और दूसरा हथियार नहीं है, सिवाय इसके कि हम आपके सामने आ जायें और कहें कि ऐसा करने वालों के खिलाफ जो भी वाजिब हो वह किया जाये। इस व्यक्ति ने ३ मार्च, १६५६ को मेरे खिलाफ कई बातें छापीं और कहा कि विधान सभा में यह भाषण दिया था कि म्युनिसिपैलिटी को अधिकार दिये जायें कि केबिन होल्डर्स को जबरन उठाने और without going to Court उनको उठाने का अधिकार दिया जाये। हालांकि ऐसी कोई बात मैंने नहीं कही थी! मैंने जब ब्रीच ऑफ प्रिविलेज का मोशन दिया तो ऑनरेबल स्पीकर ने उसे नोटिस भेजा और उसने जवाब दिया। क्योंकि उसका ड्युरेशन खत्म हो गया और वह हाउस में नहीं आ सका तो उसके बाद में फिर दुबारा उसने जानबूझकर जो अखबार में शाया किया है वह तो पहले से भी बदतर है और यह लिखा है। अगर आप इजाजत दें तो मैं अंग्रेजी में पढ़ कर सुना दूं।

श्री अध्यक्ष : आप तो मुख्तसर अपना भाषण दे दें।

श्री अर्जनदास : Thank you, Sir. और दूसरे अखबार में लिखा है, मैंने अर्जनदास की सारी बातें लिख दी हैं और आगे भी यह करता ही रहूंगा। इसलिए मैं हाउस से इजाजत मागूंगा कि मुझे इजाजत मिलनी चाहिए ताकि यह क्वेश्चन ब्रीच ऑफ प्रिविलेज कमेटी के पास चला जाये ताकि इसका हमेशा के लिए फैसला हो जाये।

श्री अध्यक्ष : किन्हीं माननीय सदस्य को इस पर आपत्ति है?

(किसी ने आपत्ति प्रस्तुत नहीं की)

(श्री अध्यक्ष)

The question stands referred to the Committee on Privileges.

एक दिन में एक से अधिक विशेषाधिकार प्रस्तुत करने सम्बन्धी प्रस्ताव

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मंत्री) : I beg to move the following motion under rule 306 of the Rules of Procedure:—

"The House resolves that Rule 159 (1) of the Rules of Procedure may be suspended to permit raising of more than one question of privilege in to-day's sitting".

श्री अध्यक्ष : कॉल अटेन्शन का नोटिस आया है। यह लिस्ट ऑफ बिज़नेस में भी है, इसको पहले कर दें।

श्री लक्ष्मीचन्द (सांचोर) : अध्यक्ष महोदय, ...

श्री अध्यक्ष : अभी तो सदन के समक्ष एक प्रस्ताव है जो कि माननीय मुख्य मंत्री ने रखा है और मैं उसे फिर पढ़ कर सुना देता हूँ:

"The House resolves that the Rule 159 (1) of the Rules of Procedure may be suspended to permit raising of more than one question of privilege in to-day's sitting". इस पर कोई माननीय सदस्य यदि बोलना चाहे तो....

श्री भैरोंसिंह (श्रीमाधोपुर) : हमें इसका विरोध करना है।

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : The question may be put, Sir.

श्री अध्यक्ष : You may make a little explanation. I will not permit a long debate over it.

रीज़न्स तो ये लिखे हैं कि दूसरा प्रिविलेज का मोशन और रखा है और एक दिन में एक ही प्रिविलेज का मोशन आ सकता है इसलिए उसको सस्पेन्ड किया जाये; इसके लिए मूव किया है।

श्री अर्जुनदास (अजमेर-पश्चिम): वह तो कल भी आ सकता है। कौनसी ऐसी बात है?

श्री पी० के० चौधरी : Rule 306 says, "Any member may, with the consent of the Speaker, move that any rule may be suspended in its application to a particular motion before the House and if the motion is carried, the rule in question shall be suspended for the time being".

Now the motion has been made and the question may now be put, and if it is carried the Rule stands suspended. There is no question of a debate on it.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : On a Point of Order, Sir. I raise a Point of Order.

श्री पी० के० चौधरी : The Rule is quite clear.

Page No.32

श्री अध्यक्ष : Let us see what the Hon'ble Member has to say.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : Whatever the Hon'ble Member from Phulera says is not to be taken as correct by the House. Everybody has a right...

श्री अध्यक्ष : Please state your Point of Order.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : The Hon'ble Leader of the House has moved a motion before this House. So far as the practice of moving motions is concerned, yesterday the Hon'ble Deputy Speaker, when he was in the Chair, ruled that any motion which is to be moved in the House should be given in writing. I would, therefore, request your honour to tell us whether the motion, which has been moved by the Hon'ble Leader has been given in writing? We have not received any notice of this motion and under these circumstances...

श्री पी०के० चौधरी : On a Point of Order, Sir.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : There cannot be a Point of Order when one Point of Order is already pending before the House.

श्री अध्यक्ष : Yes, let us first dispose of that.

श्री श्रीभानसिंह (बयाना) : But he should raise the Point of Order under some rule. He should quote the Rules of Procedure so that the Chair can judge...

श्री अध्यक्ष : After he finishes, we can...

श्री श्रीभानसिंह : My objectio is that the Hon'ble Member raising the Point of Order should raise it under some Rule of our Rules of Procedure.

श्री अध्यक्ष : If it is not under any rule, then he risks the chance of losing it. That is for him to see whatever he wants to say.

Yes, Shri Satish Chandra. Please be specific.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, जो मोशन आ रहा है उस मोशन से घबराते नहीं हैं। वह मोशन आज नहीं आयेगा तो कल आयेगा। मोशन से नहीं डरेंगे। मैं उसके लिए नहीं कहूंगा। कल आने वाली चीज़ आज आ जाय।

श्री श्रीभानसिंह : I would like to know from the Chair what is the Point of Order.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : If you want that we should not speak...

श्री अध्यक्ष : Please don't speak directly. Speak through the Chair.

Page No.33

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : The Chair should stop the Treasury members from obstructing the House.

श्री श्रीभानसिंह : I am not bstructing. I am bringing you to the relevant point.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : Let me speak. I know much more than what you know.

श्री अध्यक्ष : Order Please !

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूँगा कि कल भी सवाल खड़ा हुआ था समय बढ़ाने के बारे में तो माननीय उपाध्यक्ष ने व्यवस्था दी थी कि यदि कोई मोशन रखना चाहता है समय बढ़ाने के बारे में तो रिटन में दिया जाय....

श्री पी० के० चौधरी : The Deputy Speaker never said that it should be in writing. He said, "There is no motion before me". The question of writing was not there.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : Now he has clarified the position. My Point of Order is whether a motion can be moved in the House without giving a Formal motion in writing ?

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य ने यह आपत्ति उठाई है पोइन्ट ऑफ ऑर्डर के द्वारा कि जब तक कोई मोशन लिखित में नहीं आवे या माननीय सदस्यों को सर्क्युलेट नहीं किया जाय तब तक सदन के समक्ष नहीं आ सकता। इस सम्बन्ध में मैं माननीय सदस्यों को रूल ३०६ पढ़ कर सुनाऊंगा, जो इस प्रकार है :—

"306. Suspension of rules-Any member may, with the consent of the Speaker, move that any rule may be suspended in its application to a particular motion before the House and if the motion is carried, the rule in question shall be suspended for the time being."

जो भी मोशन लाया गया है वह स्पीकर को कन्सेन्ट से लाया गया है, इसलिए माननीय सदस्य ने जो आपत्ति उठाई है वह इस पर लागू नहीं होती है। प्रोसीजर में भी ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि लिखित में आ जाय व सर्क्युलेट किया जाय। इस सम्बन्ध में वह मोशन मेरे सामने लिखित में आया है, लेकिन यह आवश्यकता नहीं है कि सर्क्युलेट करने पर ही इसको सदन के समक्ष प्रस्तुत कर सकें। सदन में कभी इस सम्बन्ध में ऐसी परिस्थिति आ सकती है जब कि सर्क्युलेट करना संभव नहीं हो। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए यह आज्ञा प्रदान की गई है कि इस मोशन को सदन के समक्ष प्रस्तुत करने की आज्ञा प्रदान की जाय।

(राज्य पक्ष की ओर से करतल-ध्वनि)

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मंत्री) : Now I put the motion before the House.

श्री अर्जुनदास (अजमेर-पश्चिम) : The question is whether the rule

Page No.34

(श्री अर्जुनदास)

should be suspended or not? We can certainly speak on that subject.

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : The motion has already been moved.

श्री अध्यक्ष : But the members can oppose it. It is a procedural matter...

श्री अर्जुनदास : We will expect the Hon'ble Leader of the House to rise and tell us the reasons which have forced him to make this motion. Unless he gives an explanation, I think we will be talking in wilderness. So the debate should be started by the Hon'ble Leader of the House. Ofcourse, if the Hon'ble Leader is not prepared to speak, then we have no objection to start, but if he does speak we shall feel obliged.

श्री तनसिंह (बाड़मेर) : माननीय अध्यक्ष....

श्री अर्जुनदास : Is the Leader of the House not speaking ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : No.

श्री अध्यक्ष : नोटिस जो दिया है माननीय मुख्य मंत्रीजी ने उसमें लिखा है कि वे दूसरा प्रिविलेज मोशन लाना चाहते हैं इसलिए इस रूल को सस्पेन्ड किया जाय ताकि यह संभव हो सके कि दूसरा प्रिविलेज मोशन भी सदन के समक्ष आज आ जाय।

श्री अर्जुनदास : हम कल और परसों बैठेंगे। ब्रीच ऑफ प्रिविलेज का मोशन कल भी आ सकता है।

श्री तनसिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, हम इससे सहमत इसलिए हैं कि यह प्रिविलेज़ है, चाहे हाउस में इस ओर बैठने वाले हों या चाहे उस ओर बैठने वाले हों, वह सारे हाउस का प्रिविलेज़ है। मूव करने की भावना इसी दृष्टिकोण से हो, सारे सदन के दृष्टिकोण से हो। यदि ये बातें हों तो इस मामले में हमारा कोई एतराज नहीं होगा कि प्रिविलेज़ के मामले या इस सम्बन्ध में कोई मोशन आये। इस मामले में पास करें या नहीं करें, यह टैक्निकल क्वेश्चन है। पास कर सकते हैं। यदि हमारे खिलाफ है तो हम फेस करेंगे और बहादुरी से फेस करेंगे। यदि कोई गल्ती है, जिसके विषय में होगी वह उसके लिए रेस्पोन्सिबल होंगे। लेकिन मैं आपकी मार्फत सभी से यही निवेदन करूंगा कि प्रिविलेज़ के मामले को लेकर तुच्छ दलबन्दी या उसकी भावनाओं से प्रेरित होकर प्रिविलेज़ के मोशन को लाना चाहें और जो सहूलियत से निकाले जा सकते हों ऐसे मामलों को हमारे सामने नहीं लाना चाहिए। जहां तक इस मोशन का सवाल है, मैं अनुरोध करता हूँ कि हमारा उसके बारे में कोई एतराज नहीं है, चाहे स्वीकार कर लिया जाय।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो प्रस्ताव सदन के समक्ष रूल १५६ (१) के निलम्बन का है उसको स्वीकार किया जाय ?

(स्वीकृत)

प्रस्ताव स्वीकार किया गया।

सर्व श्री भैरोंसिंह व सतीशचन्द्र अग्रवाल के प्रति विशेषाधिकार प्रस्ताव

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मंत्री): Sir, I may be permitted to raise a question of privilege in the House today immediately after question hour. The facts of the case are as under:-

"During yesterday's afternoon sitting of the House, the Hon'ble members from Srimadhopur and Jauhari Bazar, Jaipur, have committed a breach of privilege of the House as well as of the Chair by obstructing the business of the House by their grossly disorderly conduct and also by using abusive language against the Chair."

Sir, my motion reads :-

"The House resolves that Shri Bhairon Singh, Hon'ble Member from Shri Madhopur and Shri Satish Chandra Agarwal, Hon'ble Member from Jauhari Bazar, Jaipur, be suspended from the House for six months or the remaining period of the Assembly whichever is earlier, for their grossly disorderly conduct and abusive language that they used against the Chair towards the end of yesterday's sitting of the House."

माननीय अध्यक्ष, यह जो मोशन सदन के समक्ष पेश कर रहा हूँ वह किसी राजनैतिक भावना से प्रेरित होकर नहीं कर रहा हूँ और एक दुख के साथ मुझे करना पड़ रहा है, खास तौर से तब जब कि इस विधान सभा का इतना कार्यकाल समाप्त हो गया और कुछ ही समय शेष रहा, उस मौके पर यह कार्यवाही किसी को भी करनी पड़े वह सुखद नहीं हो सकती। लेकिन कल विधान सभा में जब चेयर के लिये इस प्रकार के शब्द काम में लेना कि "Quit the Chair" सारा शोरगुल हो और इसके बाद "बदमाशी मत कीजिये"; मैं समझता हूँ यह प्रश्न सदन के किसी व्यक्ति का, इस पार्टी का या उस पार्टी का प्रश्न नहीं है। सदन में जो भी इस चेयर पर बैठें, उनकी प्रतिष्ठा सारे सदन की प्रतिष्ठा है। जैसा कि बाड़मेर से आने वाले माननीय सदस्य ने अभी कहा, इस सदन की प्रतिष्ठा रखना, डेकोरम को कायम रखना, मैं समझता हूँ हम सब जो यहां उपस्थित हैं, चाहे इस पक्ष के या उस पक्ष के हों, सब की जिम्मेदारी हो जाती है, वर्ना विधान सभा में यदि चेयर की प्रतिष्ठा को रख कर नहीं चलेंगे तो डेमोक्रेसी मखौल बन जायेगी और जिस प्रकार से सदन में कार्यवाही करना चाहते हैं उस प्रकार से नहीं कर सकेंगे।

मैं यह कहना चाहता हूँ कि जो कुछ प्रस्ताव मैंने सदन के सम्मुख रखा है यदि माननीय सदस्य ने जो कुछ कहा है उसके लिये क्षमा याचना करें चेयर से, तो मैं इसे वापिस ले सकता हूँ। इतना ज्यादा से ज्यादा लिबरल रहने की तैयारी रखता हूँ। लेकिन जो कुछ हुआ है उस पर स्पष्ट तौर से दुःख प्रकट करना चाहिये। मैं इस प्रकार का मोशन लाना पसन्द नहीं करता यदि वे क्षमा याचना करने को तैयार हों।

मैं समझता हूँ इस प्रकार के कदम से

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

कोई यह नहीं समझें कि किसी सदस्य को सस्पेन्ड करने का इच्छुक होऊं क्योंकि इसमें ६ महिनों में कोई अर्थ नहीं निकालता है; लेकिन हमारी परम्परा आज नहीं, आगे के लिये भी ऐसी स्वस्थ बननी चाहिये जिससे दूसरे लोगों को ठीक मार्ग-दर्शन मिले । इस दृष्टि से, जैसा मैंने कहा, कोई उत्साह या राजनैतिक उद्देश्य नहीं होते हुए, इस सदन में दुःख के साथ इसे प्रस्तुत करना पड़ रहा है ।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर सिटी) : अध्यक्ष महोदय, सदन के माननीय नेता ने दो माननीय सदस्यों के खिलाफ प्रिविलेज मोशन मूव किया है और उसके साथ साथ उन्होंने यह भी कहा है कि दोनों सदस्यों को ६ महिनों के लिये सदन की कार्यवाही से वंचित रखा जाय । मैं जहां तक चेयर का सवाल है और चेयर को संबोधन करने का सवाल है, चाहे चेयर पर कोई हो, यह कभी नहीं चाहता कि चेयर के खिलाफ किसी प्रकार की बात कही जाय, लेकिन मैं ऐसा महसूस जरूर करता हूँ कि आज जो प्रिविलेज मोशन सदन के सामने विचारार्थ है उसके साथ ही साथ जो कल शाम को जिस समय सदन की कार्यवाही स्थगित होने वाली थी उसके पहले की घटना के ऊपर जब मैं सोचता हूँ तो मेरा खुद का दिमाग इस प्रकार का बनता है कि कल उस समय जो घटनाएं हुईं वे इस प्रकार की घटनाएं हुई जिनमें चाहे चेयर का दृष्टिकोण हो या न हो लेकिन मैं खुद महसूस करने लगा कि चेयर का उस स्थान पर जो निष्पक्ष दृष्टिकोण होना चाहिये वह नहीं हुआ । यहां से जो भी रूलिंग हो, जो बात कही जाय उसके पीछे निष्पक्ष भावना प्रतिपादित होनी चाहिये । मैं बार बार खुद महसूस कर रहा था कि सदन को जो अधिकार मिले हैं, जिन अधिकारों के जरिये हम अपनी बात कहना चाहते हैं उस बात को कहने में हमें बार बार बाधा उपस्थित होती थी । मैं एक साधारण बात इस प्रकार की रखना चाहता हूँ कि कल जिस समय सदन में पोइन्ट ऑफ ऑर्डर रेज़ किया गया; बार बार, चार, पांच बार रेज़ कर दिया, यदि रेज़ करने के बाद चेयर का यह रिमार्क होता है विरोधी पक्ष के लिये कि आप तो यह करते ही रहते हैं तो यह स्पष्ट होता है कि पक्ष विशेष के लिये चेयर का यह कहना कि "करते ही रहते हैं; ये भाव निष्पक्ष दृष्टिकोण के लिये मैं ठीक नहीं समझता । यह हमारे पर भी आपेक्ष सा है । पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर से विरोध किया गया था । आप हमारी भावना के प्रति इस चेयर से शक क्यों प्रकट करते हैं ? मैं नहीं समझता उनका दृष्टिकोण ऐसा था या नहीं, मैं....

श्री तनसिंह (बाड़मेर) : ऑन ए पोइन्ट ऑफ ऑर्डर, सर, माननीय अध्यक्ष, रूल १६१ के मुताबिक जब इस प्रिविलेज़ मोशन के लिये हाउस की लीव हो गई, मूव हो चुका तो अब दो ही विकल्प रहते हैं; एक तो माननीय स्पीकर इसे प्रिविलेज़ कमेटी को रेफर करें और दूसरा हाउस खुद इस पर निर्णय दे, और इस समय डिसीज़न ले सकता है । मैं समझता हूँ आपने इस सम्बन्ध में कोई स्पष्ट निर्णय नहीं दिया है और इससे पूर्व कि आप निर्णय दें और हाउस में इस पर डिस्कशन करें, मैं नम्रता से निवेदन करूंगा कि इसमें कोई मामला है, हम जो कुछ राय दे सकते हैं, तब दे सकते हैं जब हमारे सामने प्रोसिडिंग्ज़

(श्री तनसिंह)

हों। मैं जैसे कल यहां उपस्थित नहीं था, मैं नहीं कह सकता कि किस व्यक्ति का क्या कॉंट्रिब्यूशन रहा है। ऐसी अवस्था में कुछ कॉंट्रिब्यूशन दे नहीं सकता। जो प्रिविलेज मोशन अभी सामने है वह ऐसा नाजुक है जिसके सम्बन्ध में कहना चाहिये कि उसके विपरीत दूसरी बातें होंगी।

मान लीजिये हम चेयर की प्रतिष्टा रखना चाहते हैं तो बेहतर यह होगा कि प्रिविलेजेज़ कमेटी को मूव हो; नहीं तो मोशन के तौर पर हुआ तो मुमकिन है फिर डिस्प्यूट हो छींटाकशी की भावना हो और जिस चीज को हम दोहराना नहीं चाहते वह फिर हाउस में आवे। तो यदि प्रिविलेजेज़ कमेटी में यह मामला जाता है तो इस पर वहां शान्ति से विचार हो सकता है। फिर भी यदि लीडर ऑफ दी हाउस चाहते हैं तो मैं चाहता हूँ कि आपका निर्णय सेक्शन १६१ के अनुसार होना चाहिये और प्रोसिडिंग्ज़ हमारे सामने हों और हम उसको देख सकें तभी हम अपनी राय बना सकते हैं; खास कर हम जो कल अनुपस्थित थे वे दूसरे बोलेंगे उन पर ही निर्भर करेंगे और हम कोई कॉंट्रिब्यूशन नहीं कर सकेंगे।

श्री अर्जुनदास (अजमेर-पश्चिम) : Sir, I think that before your honour gives any direction under rule 161, I may be permitted to say that the relevant rules are two, viz. 160 and 161. Rule 160 says that leave of the House has got to be given before the motion is made. As I understand, the Hon'ble Leader did make a motion but the leave has not yet been granted. It was never put to vote and you have never declared that the leave of the House is granted to the Leader to raise this motion. Only after the leave is granted under rule 160, the other rule comes into operation. So the question must be decided whether the leave has been granted or not? Thereafter we will discuss under rule 161.

श्री भैरोंसिंह (श्रीमाधोपुर) : अध्यक्ष महोदय, इस सम्बन्ध में सदन कुछ निर्णय ले या माननीय अध्यक्ष महोदय की तरफ से किसी प्रकार की अनुमति प्रदान की जाय, उसके पहले मैं कुछ निवेदन करना चाहूँगा।

अध्यक्ष महोदय, सदन के नेता ने मोशन मूव करते हुए जो विचार प्रकट किये मैं उनसे पूर्णत: सहमत हूँ। मैंने आज सुबह जिस समय समाचार पत्रों में पढ़ा कि कल इस झगड़े में कुछ इस प्रकार के शब्दों का आदान-प्रदान हो गया जो शब्द संसदीय नहीं हो सकते। किन कारणों से हुआ? वे कारण यदि सदन उन पर गंभीरता से विचार करे तो इस निष्कर्ष पर अवश्य पहुँचेगा कि मेरे स्थान पर अगर इस सदन के नेता भी होते और उनके अधिकारों का अतिक्रमण हुआ नजर आता तो यह मनुष्य-मात्र में एक स्वाभाविक कमजोरी है, अध्यक्ष महोदय, कि अपने अधिकारों की रक्षा में कई बार उत्तेजित भी होना पड़ता है और उसी उत्तेजना का परिणाम हो सकता है कि जिसके कारण इस प्रकार के विचार, वे शब्द इस सदन के अन्दर प्रयोग में लाये गये।

मेरी स्वयं की यह इच्छा थी कि सदन

(श्री भैरोंसिंह)

की कार्यवाही को देख कर यदि इस प्रकार के शब्द वास्तव में प्रयोग में लाये गये हैं तो इस विषय पर माननीय अध्यक्ष से निवेदन करता। लेकिन मुझे यह खेद है, अध्यक्ष महोदय, कि सदन के नेता ने छः महिने के सस्पेन्शन की धमकी देकर जो एक मोशन सदन में प्रस्तुत किया है वह मेरे सामने एक विकल्प के रूप में आया है—आया यह जो मेरी स्वयं की इच्छा थी उसके अनुसार इन शब्दों के बारे में, सदन से, माननीय अध्यक्ष महोदय से निवेदन करूं या माननीय सदन के नेता की धमकी के सामने झुकूं।

मैं ऐसा समझता हूं, अध्यक्ष महोदय, कि शायद यह प्रिविलेज मोशन इस बात का होता........

श्री तनसिंह : माननीय अध्यक्ष, ऑन ए पोइन्ट ऑफ ऑर्डर। मेरे पोइन्ट ऑफ ऑर्डर पर व्यवस्था करें। मेरे खयाल से यह स्पीच है और इस मामले में न जायं तो अच्छा है। आप व्यवस्था दें उसके बाद बातें स्पष्ट हो जायं।

श्री मुरलीधर व्यास : आपका इस बारे में डिसीज़न हो जाय तो अच्छा है।

श्री अर्जुनदास : Have we crossed rule 160, Sir? We have not yet crossed it.

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य श्री तनसिंह ने यह आपत्ति पेश की है कि रूल १६० के अन्तर्गत इस मोशन को सदन के समक्ष लाने की अनुमति प्रदान की गई है या नहीं? इस सम्बन्ध में मैं यह बतलाना चाहूंगा कि इस मोशन को और जो कल घटनायें हुईं, उनकी विशेष परिस्थितियों को देखते हुए मैंने यह स्वीकृति प्रदान की कि इस मामले को प्रिविलेज कमेटी के सामने न भेजा जाकर रूल १६१ के अन्तर्गत यहां सदन के समक्ष इस पर विचार-विमर्श किया जाय। अतः जहां तक यह अनुमति का प्रश्न है, वह दी जा चुकी है और माननीय सदस्य की आपत्ति को स्वीकार नहीं किया जा सकता।

दूसरी बात जो उन्होंने बताई वह यह है कि वे कल यहां उपस्थित नहीं थे और जो कल की कार्यवाही है उसको देखने का मौका नहीं मिला है, इसलिए वे बहस में ठीक तरह से भाग नहीं ले सकते; अतएव इस मामले में विचार-विमर्श नहीं होना चाहिए। उसके लिए मैं केवल यह कहना चाहूंगा कि अगर इस कारण हम यह स्वीकार करने लगें कि अमुक माननीय सदस्य किसी दिन उपस्थित थे या नहीं और उनकी जानकारी में कोई चीज है या नहीं, इस आधार पर इस तरह के आवश्यक मोशन को विचारार्थ न लें, तो मैं समझता हूं, यह अनुचित चीज़ होगी। उनको जानकारी नहीं है, लेकिन माननीय सदन के नेता ने जो प्रस्ताव प्रस्तुत किया है उसमें जो आपत्तिजनक शब्द थे, जो आपत्तिजनक विचार थे उनको सदन में पढ़ कर सुनाया। मैं समझता हूं, उनसे माननीय सदस्यों को सारी घटना समझ में आ गई होगी कि किन परिस्थितियों में और किन शब्दों के इस्तेमाल करने से यह मोशन सदन के सामने लाना पड़ा है। इसलिए माननीय सदस्य की जो ये

(श्री अध्यक्ष)

दोनों आपत्तियें हैं वे स्वीकार नहीं की जा सकतीं ।

एक बात माननीय श्री अर्जुनदास ने कही कि १६१ के अन्तर्गत कार्यवाही करने से पहले सदन के समक्ष रूल १६० के अनुसार कार्यवाही हो जानी चाहिए। मैं उस पर माननीय सदस्यों के भाषणों के पूर्व सदन के समक्ष प्रश्न उपस्थित करनेवाला था। उस पर माननीय सदस्यों की आपत्ति हो तो वे कह सकते हैं और आपत्ति होने के प्रश्न के ऊपर थोड़ी बहस हो सकती है और उसके बाद रूल १६० की बात है। यदि दस माननीय सदस्य खड़े हो जाते हैं तो यह आपत्ति अस्वीकार की जायेगी। यदि दस माननीय सदस्य इस मोशन के सपोर्ट में खड़े हो गये तो सदन के समक्ष प्रस्तुत करने की आज्ञा प्रदान कर दी जायेगी। तो उस छोटी सी बहस के बाद में १६० के अन्तर्गत एक मोशन आता है, उसकी माननीय सदस्य खिलाफत कर सकते हैं और यदि उसका निषेध नहीं होता है तो उसको ले सकते हैं। अगर विरोध में बोलते हैं तो थोड़ा बोलने का मौका दिया जाकर मैं उसे सदन के सामने रखूंगा। जो माननीय सदस्य इसके पक्ष में होंगे वे खड़े हो जायेंगे। रूल १६० के सब् रूल (२) के अनुसार अगर दस माननीय सदस्य खड़े हो जायं तो यह माना जायेगा कि सदन की अनुमति प्राप्त हो गई है और उसके बाद १६१ की कार्यवाही है, उसके अन्तर्गत यह मोशन आयेगा और उस पर बहस होगी।

श्री अर्जुनदास : Sir, my difficulty still persists. How can we use rule 161 before using rule 160? 161 can be used only after rule 160 has been crossed. We have not yet crossed rule 160. It would be preferable if your honour may first put the question under rule 160 and thereafter allow us to canvass under rule 161. But let us first cross 160.

श्री अध्यक्ष : Yes. We will do that after the Hon'ble Member has spoken.

(श्री मुरलीधर व्यास के खड़े होने पर)

आप बोलना चाहते हैं, कृपया संक्षेप में बोलें क्योंकि बाद में मोशन पर भी भाषण हो सकते हैं कि इसको स्वीकार किया जाय या न किया जाय। आप संक्षेप में बोलें।

श्री मुरलीधर व्यास : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं संक्षेप में यह कहना चाहता हूं कि जिन परिस्थितियों के बीच में जो वातावरण जैसा हुआ था और उस वातावरण के बीच में क्योंकि सदन के माननीय नेता ने इस प्रकार का मोशन रखा, मैं उसके प्रति शंका प्रगट नहीं करता हूं। मैं खुद महसूस करता हूं। मैं खुद उपस्थित था और उतने समय में न जाने किस प्रकार हाउस कल के लिए स्थगित हो गया, क्या पारित हुआ, क्या कहा गया और क्या नहीं कहा गया, किस प्रकार की आवाज दी थी, जैसा सदन के नेता द्वारा कहा गया कि हमारे कान तक नहीं पहुंची। अब सवाल यह है, कि ठीक बात है, कि कुछ लोग सुन पाये, किसी ने सुना, किसी ने नहीं सुना है। मैं सच कहता हूं, मेरी कई लोगों के साथ बात हुई, मैंने कहा इस प्रकार की आवाज मैंने नहीं सुनी। ठीक बात है, इसके

(श्री मुरलीधर व्यास)

ऊपर बहस हो। मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा सदन के माननीय नेता से कि जिस प्रकार का प्रस्ताव उन्होंने इस सदन में अविलम्ब, आज इस समय ही विचार करने को रखा है, मैं इतनी प्रार्थना करता हूं कि क्योंकि आखिर हम सदन में इस प्रिविलेज मोशन के ऊपर किसी एक व्यक्ति विशेष या किसी दल विशेष को लेकर विचार नहीं करते, सारा सदन विचार करना चाहता है और जब सारा सदन मिल कर विचार करना चाहता है तो विचार करनेवालों को सारी बातों को समझने का, देखने का और विचार करने का मौका मिलना चाहिए ताकि कम से कम हम यहां पर जब प्रिविलेज मोशन की दृष्टि से विचार करें तो हमको जब तक अपने आपको कार्यवाही का ज्ञान न हो, तो ऐसी परिस्थिति में मैं समझता हूं कि हम कोई न्यायसंगत काम नहीं कर सकते। इसलिए मैं सदन के नेता से प्रार्थना करूंगा कि जिस मोशन को मूव किया है वे मूव नहीं करते। यह प्रिविलेज मोशन किसी व्यक्ति विशेष या दल विशेष के दृष्टिकोण से नहीं है बल्कि सारे सदन के दृष्टिकोण से और सदन की और चेयर की प्रतिष्ठा के दृष्टिकोण से है और उस पर विचार करने का मौका सदन के समस्त सदस्यों को मिलना चाहिए। इसलिए जो मोशन मूव किया गया है, मैं प्रार्थना करूंगा कि ऐसा मौका सब को देने की कृपा करेंगे।

श्री हरिदेव जोशी (घाटोल) : माननीय अध्यक्ष महोदय, जो कुछ विचार माननीय सदस्य ने प्रगट किये हैं उनमें दो चीजें बीकानेर से आने वाले माननीय सदस्य ने बतलाई कि कल किन्हीं कारणों से सदन का वातावरण इस तरह का था कि जिससे किन्हीं माननीय सदस्यों ने कुछ बातें कहीं। उनका ऐसा फरमाना है कि उस समय किसने क्या कहा, क्या नहीं कहा, यह उन्होंने सुना नहीं। जहां तक कुछ कहने का सवाल है, जिन माननीय सदस्यों के खिलाफ प्रिविलेज मोशन आया है, उनमें से एक ने स्वयं यह स्वीकार किया है कि उन्होंने कुछ कहा। अच्छा, दूसरे यह कहा गया है कि पूरे सदन को सारी चीजें मालूम नहीं हैं इसलिए उन सब चीजों को समझने और उस पर विचार करने के बाद यह प्रस्ताव आवे। जहां तक तथ्यों का सवाल है, सदन के नेता ने तथ्यों को सामने रखा है और वह है कि किन्हीं भी परिस्थितियों के अन्दर किन्हीं भी जिम्मेदार सदस्यों के द्वारा अगर चेयर के प्रति अभद्र शब्द प्रयोग किये गये तो आया उन्हें बर्दाश्त किया जाना चाहिए अथवा उस पर कोई कॉग्नजेन्स लिया जाना चाहिए ?

चेयर के बारे में अध्यक्ष महोदय, कुछ कहा गया है। अभी समय नहीं है कि इसके सम्बन्ध में मैं कुछ निवेदन करूं। लेकिन मैं जो कुछ महसूस करता हूँ वह यह है कि चैयर ने कल जितना लेटिट्यूड दिया उतना लेटिट्यूड व्यक्तिगत मैं महसूस करता हूं कि नहीं दिया जाना चाहिये। यह चेयर की उदारता थी कि उन्होंने सारी चीजों को काफी लम्बे समय तक जाने दिया और माननीय सदस्यों को मौका दिया कि वे अनविचारपूर्वक आगे बढ़ें।

प्रश्न केवल एक ही है कि क्या सदन में ऐसी स्थितियें पैदा कर दी जावें कि सदन की कार्यवाही चल ही न सके और कुछ लोग ऐसी स्थिति पैदा करने के लिये सफल हो जावें

(श्री हरिदेव जोशी)

और सदन बराबर लम्बी देर तक उनको समय दे ? इसलिये मैं यह कहूंगा कि जो कुछ सदन के नेता ने कहा है उससे साफ है और इस पर मुझे ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है । इसलिये जो सुझाव बीकानेर से आने वाले माननीय सदस्य ने रखा है, उसका मैं विरोध करता हूं और सदन के नेता ने जो प्रस्ताव किया है उस पर सदन में अभी ही विचार किया जाना चाहिये ।

श्री तनसिंह : अध्यक्ष महोदय, मुझे कुछ स्पष्टीकरण चाहिये । ६ महिनों के लिये हटाये जाने का जो प्रस्ताव है वह हमारे सोचने के लिये है या एडमिशन के लिये है ?

श्री अध्यक्ष : यह रूल्स १६० के सब सेक्शन (२) के अनुसार है ।

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय, जैसा पहले निवेदन किया था कि जिस प्रकार की कल घटना हुई और जिस घटना को लेकर यह विशेषाधिकार का प्रश्न सदन के सामने अनुमति प्राप्त करने हेतु प्रस्तुत हुआ है इस सम्बन्ध में मैंने निवेदन भी किया था और मैं उन चीजों को फिर सदन की जानकारी में लाना चाहता हूं । जिन शब्दों का प्रयोग असंसदीय है उन शब्दों के बारे में किसी प्रकार के संघर्ष की कोई गुंजाइश नहीं रहती है । कौन से शब्द असंसदीय हैं और कौन से संसदीय हैं, इस बारे में सदन के सभी माननीय सदस्यों के लिये अध्यक्ष महोदय के अब तक के निर्णय इस सम्बन्ध में हुए हैं उनके द्वारा स्पष्ट हो जाता है । मैं भी समझता हूं कि वे शब्द जो प्रयोग किये गये वे उचित नहीं थे । लेकिन प्रश्न यह आता है कि जैसा मैंने निवेदन किया था कि जिन परिस्थितियों में इन शब्दों का प्रयोग किया गया वे परिस्थितियें इस प्रकार की थीं । अध्यक्ष महोदय, चेयर ने जिस प्रकार के आक्षेप हम लोगों पर लगाये उसके प्रतिकार स्वरूप किसी आदमी में उत्तेजना आना स्वभाविक था ।

श्री अध्यक्ष : मैं माननीय सदस्यों से इस पर बहस बढ़े, इससे पहले इस पर कुछ निवेदन करना चाहता हूं । अगर इस तरह से बहस बढ़े तो कई बातें ऐसी कही जा सकती हैं जो नहीं कहनी चाहिये, जो बातें उपयुक्त हों या न हों । अभी माननीय सदस्यों के बारे में सदन के नेता और चीफ मिनिस्टर ने जो प्रस्ताव रखा और प्रस्ताव रखते समय भाषण दिया उसमें उन्होंने बहुत ही स्पष्ट तौर से कहा कि बहुत ही खेद के साथ उनको ऐसा करना पड़ रहा है और जो जो माननीय सदस्य यहां उपस्थित थे और जिन्होंने कल की घटनाओं के बारे में सुना या पढ़ा वे स्वयं इस बात को महसूस करेंगे कि....

श्री अर्जुनदास : आप फैसला दे रहे हैं क्या ?

श्री अध्यक्ष : Please listen to me first. I have every right to place my point of view before the House. Neither I am giving any judgment nor I have any authority to do so. The motion is before the House and the House will give it judgment.

कल की घटना शोभनीय नहीं कही जा सकती । इसका उत्तर देते हुए माननीय सदस्य श्री भैरोंसिंह ने कहा कि वे स्वयं ऐसा महसूस करते हैं कि संभवतः आवेश में ऐसी बात

Page No.42

(श्री अध्यक्ष)

निकल गई हो जो उचित नहीं है। लेकिन जैसा उन्होंने कहा कि यह मोशन लाकर उन पर कुछ दबाव डाला जा रहा है, तो मैं माननीय सदस्य से यह कहना चाहता हूं कि वे इस दृष्टि से इसे न देखें। जो घटना हमारे सामने हुई और वस्तुस्थिति है उसको सामने रखते हुए जो भी कार्यवाही करनी है, बगैर ज्यादा बहस किये हुए करें। वैसे तो कई बातें असंसदीय कही जा सकती हैं, जैसा मैंने पहले कहा। लेकिन इस बात को न लें कि उन पर कोई दबाव डाला जा रहा है और वे जैसा अपना इस बारे में खेद प्रकट करते या किसी और तरीके से इसका निराकरण करते, करें। इसलिये मैं यह निवेदन करूंगा कि बगैर कोई दबाव मानते हुए सामान्यतया जैसा वे करते, करें। मगर कल की जो घटना घटी, जैसा मुझे मालूम है, मैं निश्चित तौर से कह सकता हूं कि कल की कार्यवाही हमारी व सदन की प्रतिष्ठा के प्रतिकूल है। स्पष्टतया वस्तुस्थिति यह है कि इस प्रकार की घटनाएं नहीं होनी चाहिये। सदन के नेता ने जो बात रखी है उस पर व इन सारी परिस्थितियों और बातों को ध्यान में रखते हुए संक्षेप में आप जो भी कहना चाहें कहें, बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से कहें। अपने पोइन्ट ऑफ व्यू को जस्टीफाई करने के लिये, मैं मानता हूँ कि कोई ऐसी बातें नहीं लानी चाहिये। मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि जो बहस करें इस बात को ध्यान में रखें।

इसके साथ साथ मैं एक बात और भी कहना चाहता हूँ। वह इस प्रसंग से सम्बन्धित नहीं है। कल के वातावरण को देखने से ऐसा प्रतीत होता था कि माननीय सदस्यों के दिमाग में था कि जब कोई विधेयक या प्रस्ताव आता है तो हमारे विरोधी पक्ष के माननीय सदस्य हैं उनको पूरा अधिकार है कि वे उसका विरोध करें। इसके लिये हमारे संविधान और रूल्स में भी प्रावधान हैं और हम निश्चित तौर से मानते हैं कि हमारी संसदीय प्रणाली में ऑपोज़िशन का विशेष महत्व है और उनको विरोध करने का पूरा मौका मिलना चाहिये और कानूनी तौर से जो भी हक उनको दिया गया है उसका पूरा पूरा वे इस्तेमाल करें। अगर माननीय सदस्य अपने भाषणों और बातों से सदन के दूसरे माननीय सदस्यों का मत बदलना चाहें या सरकारी नीति को बदलना चाहें तो उनको ऐसा करने का अधिकार है। लेकिन संसदीय प्रणाली की बातें करते हुए यह भी स्वीकार करना होगा कि जो मेजोरिटी है उसकी बातें हमें स्वीकार करनी चाहिये, इस माने में कि किसी निश्चित हद तक एतराज करें और विरोध करें और फिर भी विरोध पूरा न जावे तो आपकी जो परिधि है, सीमा है उसके अन्तर्गत ही विरोध कर सकते हैं, करें। अगर आप उनको लांघने की कोशिश करते हैं तो हमारी संसदीय परम्परा को आघात पहुँचाते हैं। इसलिये जो माननीय सदस्य हैं उनको चाहिये कि वे सदन की प्रतिष्ठा को बढ़ाने की कोशिश करें और ऐसा करते समय उनको हमेशा ध्यान में रखना चाहिये कि हमारी सीमाएं क्या हैं और क्या अधिकार हैं। अपनी सीमाओं में रह कर ही काम करें, मगर दूसरी सीमाओं को भी न भूलें। कल जो भी हुआ वह अशोभनीय हुआ। अगर माननीय सदस्य यह चाहते कि यह पास नहीं होना चाहिये तो यह उचित नहीं था। मुझे कहने के लिये बाध्य होना पड़ता है कि यहां पर सदन के नेता मौजूद थे,

(श्री अध्यक्ष)

उनसे बात कर सकते थे। पहले भी ऐसा कई अवसरों पर हुआ है और हमने डिबेट्स भी पोस्टपोन की हैं और क्लॉज़ेज़ भी डेफर किये हैं। लेकिन वह हम नहीं कर सके और इसके कारण जो कल स्थिति पैदा हुई वह दुःखपूर्ण पैदा हुई।

इसलिये मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि हमारे सदन की परम्परा और संसदीय प्रणाली जो है, जिसको हमने हमारे कॉन्स्टीट्यूशन में स्वीकार किया है उसमें विरोधी दल को अधिकार दिये हैं, हमें उन अधिकारों और सीमाओं में रहना चाहिये। आखिर में जो मेजोरिटी है वह जो चाहेगी वैसा विधान में स्वीकार करना होगा।

इन बातों को ध्यान में रखते हुए जो माननीय सदन के नेता ने अपील की उस पर अगर माननीय सदस्य विचार करेंगे तो ऐसी स्थिति नहीं आवेगी कि जो प्रस्ताव निश्चित तौर से एक्सट्रा ऑर्डिनेरी है और एक्सट्रा ऑर्डिनेरी परिस्थितियों में आया है उसको आगे बढ़ावें।

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय, जिस प्रकार से आपके द्वारा सारी स्थिति का स्पष्टीकरण किया गया, मैंने इस सम्बन्ध में पहले ही निवेदन कर दिया था

(१ मध्यान्ह)

और अब भी मानता हूँ कि जिस प्रकार की बातें कल हुईं दोनों ही तरफ से, वे बातें नहीं होनी चाहिये थी। सदन की जहां तक परम्पराओं का सवाल आता है, अध्यक्ष महोदय, मैं ऐसा समझता हूं कि अब तक विरोधी दल की ओर से सरकार के साथ, अध्यक्ष व उपाध्यक्ष महोदय के साथ, जितना भी जिस प्रकार से सहयोग किया जा सकता था और जितना संभव था वह सारा सहयोग किया गया और जब बिल्स वगैरह के मसलों पर विचार भी होता है तो जिस प्रकार सरकारी पक्ष की ओर से बताया जाता है कि अमुक प्रकार के विधेयक को अमुक समय में पास करना है तो वैसे ही पास होते हैं और यह भी देखा है, अध्यक्ष महोदय, कि कभी कन्ट्रोवर्शियल विधेयक सदन में प्रस्तुत हो जाते हैं, उनको विचारार्थ लिए जाने के मसले को पोस्टपोन करना पड़ता है, कई धाराएं डेफर करनी पड़ती हैं।

जहां तक कल के विधेयक का प्रश्न था, सारे विधेयक की सीरियसनैस को देख कर, विरोधी दल की भावनाओं को लेकर आप से भी निवेदन किया था कि यह बिल बड़ा कन्ट्रोवर्शियल है; हमारे अधिकारों पर एक प्रकार का कुठाराघात है और सदन के सामने इस प्रकार की परिस्थितियां नहीं हैं कि इसको आज ही सदन में विचार करने के लिए या पारित करने के लिए प्रस्तुत किया जाय।

मेरी यह भी इच्छा थी कि सदन के नेता से मिलता। उस बिल को पॉइलेट करने वाले मन्त्री महोदय से मैंने निवेदन किया था कि एक दिन के लिए इस बिल को पोस्टपोन कर दिया जाय और कल भी इसे पास करने के बारे में निर्णय लें तो कोई विशेष आपत्ति नहीं है, कल बैठ कर विचार कर सकते हैं; आपके मकान पर या और कहीं जहां आपको सुविधा हो वहां बैठ कर इस

(श्री भैरोंसिंह)

बिल पर विचार किया जा सकता है, पर इस सम्बन्ध में किसी प्रकार का आश्वासन नहीं मिला। मैंने सदन में फिर निवेदन किया था।

श्री तनसिंह : माननीय अध्यक्ष, हमें इस समय फैक्ट्स पर नहीं जाना चाहिए, आगे आने वाली बहस है; उसको अभी ले लें यह ठीक नहीं रहेगा। जब यह सब्स्टेन्टिव रूप में आयेगा तभी डिटेल्स में फैक्ट्स पर बोलें। इस समय ज्यादा फैक्ट्स पर जायेंगे तो ज्यादा कॉम्प्लिकेशन्स होंगे।

श्री भैरोंसिंह : मैं ज्यादा नहीं कह रहा हूं........

श्री अध्यक्ष : मैं तो यही आशा करता था कि हमें सम्भवतः आगे जाने की नौबत नहीं आयेगी और ऐसी ही सब माननीय सदस्यों की धारणा होनी चाहिये। इसीलिये मैंने इस बहस को जारी किया और थोड़ा आगे बढ़ाना भी जरूरी है।

श्री भैरोंसिंह : जिस समय इस बिल पर विचार हो रहा था तो कई कन्ट्रोवर्शियल बातें आई। मन्त्री महोदय से, चीफ व्हिप से और माननीय राजस्व मन्त्रीजी से सदन में अपील की। उपाध्यक्ष महोदय जो उस समय अध्यक्ष पद पर आसीन थे उनसे निवेदन किया कि इस बिल को पारित किया जाना आवश्यक नहीं; सरकार यदि आवश्यक समझती है तो इसको कल पारित किया जा सकता है। मैंने राजस्व मन्त्रीजी से निवेदन किया कि मैं इस परिस्थिति में नहीं हूं कि सदन के बाहर जा सकूं, बाहर जो सदन के नेता खड़े हैं उनसे निवेदन कर दें कि सरकार ने अब तक जो घोषणाएं की हैं डीसेंट्रेलाइजेशन की उसके विपरीत यह बिल पड़ता है। पर ऐसा लगता था कि सत्ता रूढ़ दल के माननीय सदस्य मुख्य मन्त्रीजी को नहीं बताना चाहते थे कि इस बिल से इतनी कन्ट्रोवर्सीज़ पैदा हो सकती हैं और इस बात को ही वे महसूस करके चल रहे थे कि उस कन्ट्रोवर्शियल बिल को जितना जल्दी हो सके पास किया जाय। मैं अब भी मानता हूँ कि डेमोक्रेसी में बहुमत के निर्णय मान्य होते हैं। उनके निर्णयों को मानना भी चाहिए, पर वे निर्णय यदि इस प्रकार के हों कि जिनका असर आगे चल कर बहुमत पर भी और अल्प मत पर भी पड़े, बुरा असर पड़े तो अल्प मत का कर्तव्य हो जाता है कि बहुमत को कन्विन्स करने की कोशिश करें; पर बहुमत जिद्द करके बैठ जाय कि अगला जो भी आर्ग्युमेंट्स दे रहा है वह व्यर्थ है, किसी मतलब का नहीं है, उसमें किसी प्रकार का दम नहीं है, वह जो कुछ कह रहा है गलत है और जो कुछ हम कह रहे हैं वही सही है, ऐसा एटीट्यूड बनता है तो कई बार ऐसा मुगालता हो जाता है कि सत्ता रूढ़ दल जिस तरीके से चल रहा है उस तरीके को विरोधी दल भी क्यों नहीं अपनाये ? मैं मुख्य मन्त्रीजी से निवेदन करूंगा कि सदन की परम्पराओं को चलाने का भार सत्ता रूढ़ दल पर होता है कि वह विरोधी दल के सवालों को, रिजोल्युशन्स को, इन्फॉर्मेशन्स को, सारी चीजों को किस हद तक एप्रिशियेट करने को तैयार है। पर मेरा १० वर्ष का अनुभव है, कुछ सही मसलों पर सरकार ने एप्रिशियेट किया हो, पर कई कई मसले सही होते हैं उन पर सुनवाई करने का भी नक्शा

Page No.45

(श्री भैरोंसिंह)

मेरे सामने नहीं है।

ऐसी स्थिति में मजबूर हो कर यह स्वाभाविक है उत्तेजना भी आती है। उत्तेजना का बिल आया, उस बिल के लिए यह वातावरण बना। जैसा कि सदन के नेता ने कहा, मुझे खेद है कि इस तरह की घटना हुई। मैं चाहता था कि अध्यक्ष महोदय से मिल कर इस स्थिति का निराकरण करूं और मैं और मेरे साथी सभी इस दुर्घटना के लिए खेद प्रकट करें।

हमें सदन से सस्पेन्ड करने के बारे में मुख्य मन्त्रीजी ने जो रिजोल्यूशन मूव किया है और उसमें जिस प्रकार की भाषा इस्तेमाल की गई है उसमें वे कुछ संशोधन कर लें तो हम भी खेद प्रकट करने के लिये तैयार हैं।

श्री अर्जुनदास (अजमेर—पश्चिम) : The question of resolution moved by the Leader of the House does not arise, because, at this stage, only under rule 160 the question of that motion would arise. Only after we have crossed it, your honour can give a ruling.

श्री अध्यक्ष : I understand your subtilities.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : Mr. Speaker, what the Leader of my party has said with regard to the motion moved by the Leader of the House, I have got nothing to add. I am simply pained at the fact that it would have been better if before moving this motion in the House, the leader of the House, as he is called-he is Leader of the whole House consisting of we 176 Members-would have called us and talked over the matter to us, as is done in so many other cases. But I fail to understand as to why there was necessity of bringing the formal motion in the House with regard to this particular thing.

Mr. Speaker, Sir, this House is aware of so many occasions in the past that there were incidents when not only from this side, but there have been grave provocations, disorderly behaviour from that side also, not only from the Members but even including the Ministers. I do not want to point out their names, Sir, but inspite of that this House, the Hon'ble Members of this House have been very liberal, have been going on in a most generous manner. I suppose, Sir, that yesterday even we could have avoided. We too tried to contact the Leader of the House. So far as this particular Bill is concerned, I too made an appeal not only to the Treasury Benches, but to the Minister concerned and particularly, Sir, if the proceedings are looked into, specific appeal was made to the Revenue Minister, who was the senior-most Minister in the House. Not only this, I requested the Chair for the postponement of consideration of the Bill and an Hon'ble Member coming

Page No.46

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

from the Congress side, realising the feelings and sentiments of the Opposition, supported the request. It was, of course, a matter of sentiment that we sincerely felt like that. We generally behave in an orderly manner, which suits to the very decorum of this House.

Even then whatever motion has been moved, Mr. Speaker, Sir, I do not want to say anything at the moment on that, because I am very much pained at the way this motion has been brought before the House by the Leader of the House. Anyway, I agree with the suggestion which has been advanced by the Hon'ble Member coming from Sri Madhopur that the language used in the motion is not proper. I do not know if the Leader of the House really means what he has said in this House? I hope he never means it-for we two members-inspite' of our critical opposition during the last 4½ years

I would request and expect that if he really means what he has said, he would naturally correct and rectify the language that is given in the motion. As already pointed out by Hon'ble Shri Bhairon Singh, whatever happened yesterday before us, was, of course, very painful. We are not happy over it. We considered the matter yesterday also and this morning also. I can assure this House and you, Sir, also that if this formal motion would not have come before this House, perhaps from the Opposition also, particulary our party, would have met you in the Chamber, the Leader of the House and certain friends in the House and would have shown some regret. We wish to see that Democracy flourishes in this State and for this we must see that decorum is maintained in this House.

So far as I am concerned, I can assure you. I cannot say for myself, the Leader of the House is here. I do not think, during the last 9 years, there has been a single incident involving such a situation here. The House is well aware that not even once in the last four and a half years of way tenure, there has been an occasion like that. That is why I am very much mindful of my duties in this House, particularly because I had the confidence of this House and you, Sir, in appointing me on the Panel of Chairmen. However, whatever happened, of course, is really very painful. We never meant that. We never wanted that. But the circumstances were such which compelled us to do that. Mr. Speaker, as in criminal offence, sometimes a murder, if committed out of self-defence, does not amount to murder. Circumstances have to be looked into by the Court and, therefore, if there had been murder of the decorum of the House, it was only out of defence. It is for the Court to examine, it is

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

for the House to see what were the circumstances.

With these words I resume my seat.

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मंत्री) : अभी जो माननीय सदस्य बोले थे उन्होंने मेरे प्रस्ताव की भाषा में परिवर्तन करने को कहा था, तो मैं समझ नहीं पाया कि क्या परिवर्तन करूं—"by obstructing the business of the House by their grossly disorderly conduct and also using abusive language against the Chair"—मैं समझता हूं कि ये दोनों ठीक हैं।

श्री भैरोंसिंह(श्रीमाधोपुर): पहले वाले में।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : ये दोनों फैक्ट्स हैं। डिटेल्स ये हैं कि "During yesterday's afternoon sitting of the House, the Hon'ble Members from Shri Madhopur and Jauhri Bazar, Jaipur, have committed a Breach of Privilege of the House as well as of the Chair by obstructing the business of the House by their grossly disorderly conduct and also by using abusive language against the Chair."

जैसा माननीय सदस्य ने कहा कि मोशन के कन्सीडरेशन पर विचार करना चाहिये तो अभी तो उस पर विचार हो रहा है, motion would come later on उस पर मूव हुआ है।

मैंने शुरू में ही कहा था कि इसमें धमकी का इरादा कोई नहीं था और मैंने अपनी तरफ से कह दिया था कि कोई कन्डीशन या दूसरी बातें जोड़ना उचित नहीं मालूम होता है, लेकिन सदन की प्रतिष्ठा को देखते हुए जब कभी ऐसे मौके आये हैं, कोई इस प्रकार की बातें आ जाती हैं तो क्षमा याचना या खेद प्रकट करने जैसी कार्यवाही होती है। किसी व्यक्ति विशेष का या और कोई ऐसा प्रश्न नहीं है, लेकिन केवल सदन की प्रतिष्ठा की दृष्टि से इसको लेना चाहिये। जैसा अध्यक्ष महोदय ने कहा, मैं काफी प्रसन्न हूंगा कि ज्यादा वातावरण न होकर यह प्रश्न हल हो।

श्री अध्यक्ष : मोशन नहीं रखेंगे।

श्री भैरोंसिंह : मोशन जो सदन के सामने प्रस्तुत किया है वह वापिस ले लिया जाय।

श्री अध्यक्ष : अभी आया ही नहीं।

श्री भैरोंसिंह : आपने पढ़ कर सुना दिया।

एक माननीय सदस्य : लीव ग्रान्ट होने के बाद।

श्री अध्यक्ष : पढ़ कर सुना देने से सदन के सामने नहीं आता है।

श्री भैरोंसिंह : उन्होंने पढ़ कर सुना दिया।

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : Leave may be granted.

श्री अध्यक्ष : He would not press the motion. There it ends.

श्री नरोत्तमलाल जोशी (झुन्झुनू) : I want to say something, though I had no intention to speak on this occasion. I was present throughout when the House was meeting and passing the Bill. With a stress, I was watching the attitude of the Hon'ble member coming from Shri Madhopur. I enquired from some of my friends if the Member was represented on the Bnsiness Advisory Committee ? I was told that he was a Member of the Business Advisory Committee and he was a party in framing the period during which the Bill was to be passed. But when I saw the way in which he was obstructing the business of the House, I was surprised. I agree with the observations of the Chair that Democracy exists not in consulting majority alone. But if the proceedings of the House are obstructed in this manner, I think, no Member of the House can tolerate it.

I also have to submit, Sir, that had the Leader of the House been present at that very occasion, we would have seen that the man, who obstructed the proceedings of the House, could have been thrown away there and then out of the House, but the moment was gone and the Bill was passed. Now we are in a peaceful mood and after speech is made by the two Members, I think there is little occasion to inflict this heavy punishment upon them, which we will be doing by passing this Resolution. This is a very severe punisment. If these members of the House are thrown out of the House for another six months to come, it would be hard to them. It is a Right given to every Member of the House to represent his Constituency and, if he proves incapable of representing that Constituency, he should be given an opportunity. If he obstructs the proceedings of the House for one day, he is given an opportunity by throwing him out of the House. If he again obstructs the proceedings of the House the second day, he is suspended for two or three days. Then again he is given opportunity. Then if he comes afterwards and behaves in the same way, he is suspended for a longer time. But in the present circumstances, both the Members are in a mood and practically they have apologised to the House.

I would, therefore, request the Leader of the House not to press this and the proceedings of the House, as we have been observing for the last 5 or 10 years, should go in a very smooth and peaceful way. I would, therefore, request through you, to the Leader of the House, that this question should be withdrawn and there should be no occasion for further discussion over this.

राजा श्री मानसिंह (वैर) : Can

Page No.49

(राजा श्री मानसिंह)

you clarify, Mr. Speaker, whether the motion of the Hon'ble Leader of the House regarding suspension of Membe has been officially moved or not ?

श्री अध्यक्ष : It has not been formally moved. It is not before the House.

श्री तनसिंह (बाड़मेर): माननीय अध्यक्ष महोदय, दोनों सदस्यों ने उस बात के लिए खेद प्रगट कर दिया है और उसके साथ साथ उन परिस्थितियों का भी जिक्र कर दिया। ऐसी स्थिति में मैं समझता हूँ सदन के नेता ने जो प्रस्ताव रखा है उसका पहला क्लॉज़ धमकी के रूप में है। वह स्टेज नहीं आई जैसा कि आपने, अध्यक्ष महोदय ने फरमाया था वह स्टेज आई नहीं, इस प्रकार के आपके ओबजर्वेशन्स को एप्रीशियेट किया जाना चाहिये और माननीय लीडर महोदय इस बात को स्वीकार करें कि जो कुछ वक्तव्य सम्बन्धित सदस्यों ने दिया है उससे उन्होंने खेद प्रगट कर दिया। ऐसी अवस्था में इस प्रकार के मोशन की आवश्यकता नहीं रहती।

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : This question is not before the House. If the Members do not object, at a subsequent stage motion may be withdrawn.

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष, मेरी समझ में अब तक यह नहीं आया कि जब मैं एक चीज मूव कर चुका और जिसके लिए अध्यक्ष महोदय कह चुके, फिर भी बाड़मेर से आने वाले माननीय सदस्य इस सम्बन्ध में मुझे विथड्रॉ करने के लिए कह रहे हैं, इस तरह से वे एक प्रकार से मुझ पर कन्डीशन इम्पोज़ कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : इसमें कन्डीशन का प्रश्न पैदा नहीं होता। जो कुछ माननीय सदस्यों ने बातें कही हैं उनसे अगर सदन व सदन के नेता सन्तुष्ट हैं तो इसको यहीं ड्रॉप कर दिया जाय।

श्री पी० के० चौधरी : But the question should come before the House. Why the burden is put on the Leader of the House? The House is seized of the matter. It should come before the House and the House can consider it.

श्री नरोत्तमलाल जोशी (झुंझुनूं) : A Motion, if it comes formally before the House, must be circulated. The Chair has given formal consent that the motion is in order, but if it comes before the House. Rule 160 (1) lays down:

"The Speaker, if he gives consent under rule 157 and holds that the matter proposed to be discussed is in order, shall, after the questions and before the list of business is entered upon, call the member concerned, who shall rise in his place and, while asking for leave to raise the question of privilege, make a short statement relevant thereto."

So such a motion of very grave

(श्री नरोत्तमलाल जोशी)

consequences must be entered upon the list of Business and should not be speedily gone through. There is nothing which we want to say against the will of the Leader of the House, but then the words in which these two members have given unqualified apology......

कुछ माननीय सदस्य : It is no apology.

श्री नरोत्तमलाल जोशी : It is practically.

श्री अध्यक्ष : एक बात जो मोशन के बारे में कही गई है वह नहीं होती, अगर उस बारे में स्पष्टतया, कह दिया जाता। जो मोशन सदन के समक्ष है उसके बारे में जो माननीय सदस्य ने कहा वह यदि सीधे तौर से कहते बगैर किसी शर्त लगा कर तो यह स्थिति पैदा नहीं होती। उनको इसके लिए सीधे तौर से कहना चाहिए।

श्री भैरोंसिंह : तो क्या यह समझा जाय कि इस प्रकार का कोई मोशन नहीं ?

श्री पी० के० चौधरी : Leave of the House has to be sought for the question to be discussed.

श्री अध्यक्ष : सिर्फ मोशन यह है, इसको प्रस्तुत करने की आज्ञा प्रदान की जाय और जिस मोशन द्वारा कार्यवाही करने का सुझाव दिया गया है वह बाद में आयेगा। अभी १६० (२) के बारे में कार्यवाही की जा रही है।

श्री भैरोंसिंह : दूसरा नहीं है।

श्री अध्यक्ष : जिस मोशन के बारे में आपत्ति समझी है वह नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय, जो भावनायें मुख्य मन्त्री द्वारा व्यक्त की गई उन भावनाओं में मेरे से और मेरे साथी द्वारा आपत्तिजनक शब्द उपाध्यक्ष महोदय के प्रति जो निकले हैं, मैं उनके लिए खेद प्रगट करता हूं।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मन्त्री) : क्या मैं यह मान कर भी चलूं कि श्री सतीशचन्द्रजी की भावना भी इसमें आ गई।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : दुर्भावना कब रही है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मन्त्री) : अध्यक्ष महोदय, मुझे जैसा कि, मैंने शुरू में कहा था दुःख के साथ यह निवेदन करना पड़ रहा है। इस बात की खुशी है कि दोनों माननीय सदस्यों ने सदन की परम्परा, प्रतिष्ठा की दृष्टि से अपनी तरफ से जो कुछ कहा है उससे बल मिला है। मैंने जो मोशन रखा था उसे मैं वापिस लेता हूं।

श्री अध्यक्ष : I take it that the House agrees that the matter is dropped as it is.

(१.२८ म० प०)

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर ध्यान दिलाना

श्री लक्ष्मीचन्द (सांचोर) : अध्यक्ष

Page No.51

(श्री लक्ष्मीचन्द)

महोदय, विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमावली के नियम १३१ के अन्तर्गत, राजस्व विभाग द्वारा जालोर जिले के सात् ग्राम में पुरोहित भूस्वामियों से खुदकाश्त लगान वसूल करने से उत्पन्न स्थिति की ओर राजस्व मन्त्री महोदय का ध्यान आकर्षित करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, स्थिति इस प्रकार की है........

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मन्त्री) : You have called my attention. I will give you details. You have already moved a motion.

श्री लक्ष्मीचन्द : अध्यक्ष महोदय, जो लैंग्वेज इसके लिए निर्धारित है उसके अन्दर मैंने यह प्रस्ताव रखा है। इसकी डिटेल्स अगर आप आज्ञा दें तो मैं निवेदन करूं।

श्री दामोदरलाल व्यास : That is not the procedure. I have to make a statement now in response to his motion.

श्री अध्यक्ष: Give your statement.

श्री दामोदरलाल व्यास : अध्यक्ष महोदय, वाकयात इस प्रकार के हैं कि ५ सितम्बर को नायब तहसीलदार इस गांव सात् के अन्दर लगान वसूल करने गये थे। उनको कलेक्टर ने साफ हिदायत कर दी थी- किसी भी जागीर के लिए जिसकी जागीर रिज्यूम हो चुकी है उनसे जब तक इन्टरिम कम्पनसेशन की एक किश्त न दी जाय लगान वसूल न किया जाय। चुनाचे नायब तहसीलदार ने उस हुक्म की पाबन्दी की। वहां जाकर केवल तीन पुरोहित ब्राह्मणों को जो जमीन के खातेदारी काश्तकार थे उनसे लगान वसूली की कार्यवाही की। उन्होंने अपनी तरफ से लगान वसूली के सिलसिले में एक व्यक्ति की जिसका नाम श्री तेजराज है, जमानत दाखिल कर दी। जमानत दाखिल होने के बाद भी रकम की वसूली नहीं हुई। सिरोही से दो, तीन आदमी पहुंचे जो वहां के माफीदार थे उनको कह दिया कि सरकार लगान वसूल कर रही है। इस तरह से उत्तेजना दे करके मजबूर कर दिया कि वहां धरना दें। यह सही है कि करीब दो हजार ब्राह्मणों ने धरना दिया। धरना देने के बाद एक आदमी ने तलवार से अपने पेट में जख्म कर लिया। इसमें उनका इस प्रकार का अन्ध विश्वास है कि इस प्रकार करने से ईश्वरीय कोप हो जाता है उनके प्रति जो रुपया लेते हैं। इस अन्ध विश्वास की बिना पर धरना दिया और अपने पेट में तलवार का जख्म किया। कलेक्टर को ज्यों ही इसकी सूचना मिली, वह मौके पर पहुंचा और उनको समझाया बुझाया कि कोई लगान वसूल नहीं हो रहा है। तो इस पर उन्होंने धरना छोड़ दिया। जिस के पेट में तलवार का घाव लगा था उसे अस्पताल पहुंचाया गया। वहां वह रिकवर हो रहा है और मरा नहीं है। यों कहना चाहिये कि वह दिन ब दिन ठीक हो रहा है।

अब एक आदमी उन्हीं दिनों में टी. बी. के मर्ज से जो बीमार था, मर गया। उसको लाकर बताया गया कि धरने की वजह से वह मर गया। पर जांच करने के बाद मालूम

(श्री दामोदरलाल व्यास)

हुआ वह टी. बी. का मरीज था और इस वजह से मर गया।

श्री लक्ष्मीचन्द (सांचोर) : क्लेरिफिकेशन के लिये मैं जानना चाहूँगा कि उनके खिलाफ जो कुर्की निकल गई थी क्या उनको यह भी कलेक्टर ने विश्वास दिलाया कि कुर्की नहीं निकली ?

श्री दामोदरलाल व्यास : मैंने कहा कुर्की उनके खिलाफ नहीं निकली। जिनकी खुदकाश्त की जमीन थी, जिनके पास खातेदारी की जमीन थी उनके पास से लगान वसूली की कार्यवाही की गई।

राजस्थान एक्साइज (संशोधन) विधेयक, १९६१

श्री अध्यक्ष : लेजिस्लेटिव बिज़नैस।

राजस्थान एक्साइज संशोधन विधेयक, १९६१ पर विचार हो रहा था। अब उस पर मतदान होगा।

आप बहस का उत्तर दे दें मन्त्री महोदय।

श्री रामचन्द्र चौधरी (आबकारी मंत्री): अध्यक्ष महोदय, धारा ७ में एक ऐसा प्रोविजन चाहा गया है कि एक्साइज़ केसों में यह जरुरी नहीं समझा जावे कि अगर उस लोकेलिटी के गवाह न हों तो वे केस ठीक से नहीं चला पावें और इस बात को ध्यान में रख कर यह प्रोविजन किया गया है कि :

"No search shall be deemed to be illegal by reason only of the fact that witnesses for the search were not inhabitants of the locality in which the place of search is situated."

जैसा मैं पिछले दिन निवेदन कर रहा था कि क्रिमिनल केसों में हमेशा दो पार्टियां होती हैं और जहां पर क्राइम कमिट होता है वहां के उसके रिश्तेदार भाई-बन्धुओं में से कोई न कोई ऐसा होता है जिनको वह गवाहों के तौर पर पेश कर सकता है। लेकिन एक्साइज के केसों में एक पार्टी होती है जुर्म करने वाली और उसको सजा देने की कोशिश स्टेट करती है। तो उस लोकेलिटी के गवाह आम तौर पर सरकार को नहीं मिलते और मिलते हैं तो बाद में जाकर मिन्नत समझौता करने से या दूसरे तरीकों से वे होस्टाइल गवाह बन जाते हैं जिससे ज्यादातर एक्साइज के केस फेल हो जाते हैं। इस बात को मद्दे नज़र रखते हुए यह प्रोविजन किया गया था। बम्बई एक्ट का हमने इसके लिये हवाला दिया है। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि इसमें ऐसी कोई बात नज़र नहीं आती कि जिससे कोई खास असर पड़ता हो और इस प्रोविजन को जैसा यह है, मान लेना चाहिये।

रावल श्री नरेन्द्रसिंह (डूडू) : अध्यक्ष महोदय, मेरा यह निवेदन है कि उस दिन काफी बहस हो गई थी इस बारे में कि कसूर तो करे कोई और सजा मिले किसी को इसकी....

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) : वह तो अभी देर से आवेगा।

श्री अध्यक्ष : यह संयुक्त परिवार का नहीं है।

रावल श्री नरेन्द्रसिंह : मैं तो यही समझा था।

श्री अध्यक्ष : Is the Hon'ble Mini-

Page No.53

(श्री अध्यक्ष)

-ster aware that you are amending the Criminal Procedure Code, which is a Central legislation, by this clause ?

श्री रामचन्द्र चौधरी : No. No, Sir.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : Exactly that seems to be the position.

श्री रामचन्द्र चौधरी : That is not being amended because that will be followed as it is, but in cases where there can be no witnesses, in that case, we are having this amendment.

श्री भैरोंसिंह (श्रीमाधोपुर) : Does it mean that so far as Excise Act is concerned or Excise cases are concerned, the general provisions of the Criminal Procedure Code will not apply to those cases ?

श्री अध्यक्ष : इस बहस की आवश्यकता नहीं, लेकिन अगर राष्ट्रपति महोदय की अनुमति ले ली जावे तब लागू हो सकेगा। किस किस में किस किस तरह से अमेन्ड कर सकते हैं, यह आपके सोचने की बात है।

श्री रामचन्द्र चौधरी : यह कॉमनसेंस की बात है।

श्री अध्यक्ष : यहां कानून की बात आती है।

श्री रामचन्द्र चौधरी : Law is based on common sense.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : कौनसी बात कानून की है, कौनसी नहीं, यह भी कॉमनसेंस की बात है।

श्री रामचन्द्र चौधरी : क्लियर प्रोविजन ऑफ लॉ की अवहेलना नहीं करता है।

श्री अध्यक्ष : यह हिदायत है मजिस्ट्रेट को, आपका मतलब यह है ?

श्री रामचन्द्र चौधरी : उनके डिस्क्रिशन को तो रोका ही नहीं जा सकता और इस प्रोविजन से भी खास फर्क पड़ जावे; ऐसा मैं नहीं मानता।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : हिदायत है, ऐसा नहीं; माननीय मन्त्री महोदय ने कहा:

"No search shall be deemed to be illegal by reason only of the fact that witnesses for the search were not inhabitants of the locality in which the place of search is situated."

The words used here are "it shall not be deemed". That means, he is legalising a process, which is illegal in the eyes of law. All cases under the Excise Act and all cases under all Acts, where elaborate procedure has not been laid down, they all are tried as required in the procedure laid down in the Criminal Procedure Code. I suppose, so far as procedure in these cases is concerned, so far as procedure for conduct of these cases is concerned, they are tried by a Magistrate in accordance with the

Page No.54

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

procedure laid down in the Code of Criminal Procedure and there is a procedure laid down in the Criminal Procedure Code with regard to searches, with regard to search warrants and now by this particular provision, the Minister-in-charge is making those searches, which under the Code of Procedure are illegal, as legal. I suppose that may also constitute an order to be decided by the Minister.

As righty directed by the Chair, we are legalising a thing, which is illegal under central statute. That cannot be done without the permission of the President as far as my knowledge goes.

श्री रामचन्द्र चौधरी : मैंने तो यह कहीं ऐसा नहीं पाया कि कोई भी चर्चा जिसमें लोकल विटनैस नहीं हो तो इल्लीगल हो जाती है क्रिमिनल कोड के मुताबिक । यानि उसमें यह दिया हुआ है कि best evidence should produce. उसमें यह कहीं नहीं है कि उस लोकेलिटी की एवीडेन्स नहीं है तो मामला इल्लीगल हो जावेगा । सवाल यह है कि बेस्ट एवीडेन्स कौनसी हो सकती है in such circumstances । तो मैंने पहले निवेदन किया कि एक्साइज के केसों में बहुत दफा दिक्कत आती है उस लोकेलिटी की गवाही पेश करने में ।

श्री अध्यक्ष : We appreciate your difficulty.

सवाल तो यह है न ? अब यह बाइन्डिंग नहीं है कि वहां का हो । अगर यह नहीं होती तो आपको अमेंडमेंट लाने की जरूरत नहीं होती । १०३ को मैं आपकी जानकारी के लिए पढ़ दूं :

"Before making a search under this Chapter, the officer or other person about to make it shall call upon two or more respectable inhabitants of the locality in which the place to be searched is situate to attend and witness the search, etc. etc."

श्री रामचन्द्र चौधरी : जैसा मैंने पहले निवेदन किया था कि यह जरूर है कि बेस्ट एवीडेन्स वही हो सकती है कि जो मौके की हो; यानि आसपास की गवाही को बुलाया जावे और चर्चा की जावे ! पर जंगल में रेड करते हैं और वहां पर कोई लोकल गवाह नहीं है तो साथ में ही जो होगा वही होगा । सर्कम्सटेन्शियल एवीडेन्स ज्यादा काम करती है इसलिये जरूरत पड़ती है कुछ इवीएट करने की ।

श्री अध्यक्ष : Any way, it is for the Government to consider and face the consequences.

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ ७ विधेयक का अंग बने ।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ ७ विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया ।

(विराम)

क्लॉज़ ८

(विराम)

Page No.55

(श्री अध्यक्ष)

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ ८ विधेयक का अंग बने।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ ८ विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया।

(विराम)

क्लॉज़ ६

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान आबकारी संशोधन विधेयक की धारा ६ सदन के सामने विचारार्थ प्रस्तुत है। मैं इस धारा का विरोध करता हूं और विरोध इस आधार पर करता हूं कि इस कानून की धारा ५१ में कुछ संशोधन करने की मंशा प्रकट की है। अध्यक्ष महोदय, जो कानून की धारा ५१ है उसमें लिखा हुआ है :

"Every Lambardar, village Headman, village Accountant and village Policeman, in whose village..."

इसका मतलब क्या है कि इस कानून की धारा के द्वारा जो हम संशोधन करना चाहते हैं उससे सरकार की मंशा है कि आबकारी के मामले में और नाजायज़ शराब बनाने के मामले में हमने जो जवाबदारी या कर्त्तव्य गांव के लम्बरदार के ऊपर डाला है, जो हमने कर्त्तव्य हमारे गांव के हैडमैन के ऊपर डाला है, जो हमने कर्त्तव्य हमारे गांव के विलेज पुलिस मैन के ऊपर डाला है, या मैं यह कहूंगा कि हमने धारा ५१ के अन्तर्गत आबकारी कानून के अन्दर एक प्रकार का यह उत्तरदायित्व पुलिस विभाग के ऊपर डाला, कस्टम्स विभाग के ऊपर डाला, ओपीयम और लैंड रेवेन्यू विभाग के कर्मचारियों पर डाला; मैं नहीं समझता कि इन सब विभाग के कर्मचारियों के ऊपर भी इसकी जवाबदेही डालने के बाद क्योंकि इसमें गिरदावर आ गया, पटवारी आ गया, नायब तहसीलदार आ गया, तहसीलदार आ गया, पुलिस कॉन्सटेबल आ गया, हैडकॉन्सटेबल आ गया और ऊपर बताये हुए विभाग के सभी कर्मचारी आ गये तो इन सब के आने के बावजूद भी सरकार क्या आवश्यकता महसूस करती है ? आगे सरकार इस बात को बतायेगी कि आज जो हमने डेमोक्रेटिक डीसेन्ट्रलाइजेशन किया था, क्या इसलिए किया था कि पंचायतों के जो पंच और सरपंच हैं वे आपको इस बात की सूचना दें ? क्या आप यह चाहते हैं कि जो आबकारी विभाग है उसके लिए सरकार चाहती है कि वह गांव के पंच और सरपंच के ऊपर जवाबदारी डाले ?

अध्यक्ष महोदय, इसमें व्यवस्था है कि जो इसमें जवाबदारी डाली गई थी वह सरकारी कर्मचारियों के ऊपर डाली गई है या जो कि राज्य सेवा के अधीन रहते हैं। लैण्ड रेवेन्यू का महकमा है, कस्टम का महकमा है, एक्साइज़ का महकमा है, सॉल्ट का महकमा है, पुलिस का महकमा है और इनके अन्दर काम करने वाले सरकारी कर्मचारी हैं। मैं तो यहां तक कहूंगा कि लम्बरदार की जो व्यवस्था की है तो लम्बरदारों को भी राज्य सरकार की ओर से किसी न किसी प्रकार का मोनेटरी फायदा होता है। कहने का तात्पर्य

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

यह है कि किसी न किसी रूप में जिन लोगों के ऊपर आबकारी के मामले की, नाजायज़ शराब बनाने के मामले की सूचना देने का उत्तरदायित्व रखा है, यह सारा वह वर्ग है कि जो किसी न किसी प्रकार से सरकार से लाभ उठाता है या सरकार के कर्मचारी हैं। लेकिन जहां तक पंचायत के पंच और सरपंच का सम्बन्ध है उनके ऊपर जो यह सूचना देने का उत्तरदायित्व डाला है, मैं कहूंगा कि पंच और सरपंच सरकार के कर्मचारी नहीं होते हैं। पंच और सरपंच किसी प्रकार से भी सरकार से आर्थिक फायदा नहीं उठाते हैं और मैं यह समझता हूं कि इस प्रकार से पंच और सरपंच की व्यवस्था क्यों की है ? पंच और सरपंच हमने बनाये और पंच और सरपंच का चुनाव हमारे लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण की योजना के अन्तर्गत होता है। यह लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण की योजना हमने क्यों लागू की, उसके पीछे कौनसी भावना थी ? उसके पीछे एक मूल भावना थी कि राजस्थान के अन्दर होने वाले विकास कार्यों में जनता का सहयोग लाने की दृष्टि से आज राजनैतिक सत्ता का विकेन्द्रीकरण करना चाहते हैं। हमारा उद्देश्य तो यह था कि हम चाहते थे कि गांव गांव तक राजनैतिक सत्ता पहुंचा दी जाये। हम चाहते थे कि जितने भी विकास के कार्य हैं उन कार्यों में गांव के लोग ज्यादा से ज्यादा सहयोग दें।

अध्यक्ष महोदय मुझे सख्त अफसोस इस बात का है और मैं इस बात को मानता हूं कि माननीय वित्त मंत्रीजी जो कि डेवलपमेन्ट के भी इन्चार्ज हैं उन्होंने यह स्वीकार किया है कि जितना भी विकास कार्यों में जन सहयोग मिलना चाहिए वह नहीं मिला और जब वह इस बात को स्वीकार करते हैं तो मैं समझता हूं कि जो हमें जन सहयोग विकास की योजनाओं में मिलना चाहिए वह राज्य सरकार को प्राप्त नहीं हुआ और ऐसी परिस्थिति में जिन लोगों को हमने निर्वाचित किया है, जिन पंचों और सरपंचों को चुन कर विकास कार्यों में जन सहयोग लाने की दृष्टि से आगे बढ़ाने की योजना बनाई है तो क्या हम उनको काम नहीं करने देना चाहते ? डेवलपमेन्ट के कामों में उनको व्यस्त नहीं रहने देना चाहते हैं और सरकार चाहती है कि पंच और सरपंचों के ऊपर विकास योजनाओं की जिम्मेदारी है, विकास के कार्यों में दिलचस्पी पैदा करें, उनको आगे बढ़ायें, विकास की योजनाओं को पूरी करायें और राजस्थान को आर्थिक दृष्टि से आगे बढ़ा कर उसका विकास करें। राजस्थान में लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण की योजनायें अभी सफलीभूत नहीं हुई हैं और हम जिस प्रकार के परिणामों की अपेक्षा करते थे वह परिणाम हमारे सामने नहीं आये हैं। तो मैं यह समझता हूं कि लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण की योजनाओं का जो परिणाम मिलना चाहिए था वह नहीं मिल रहा है। वह योजनायें सफल नहीं हुई हैं और आगे आबकारी मंत्री महोदय यह चाहते हैं कि पंच और सरकार के ऊपर यह एडीशनल जिम्मेदारी डाल कर उनको सारे झंझटों में फंसा दिया जाये, आबकारी के मामलों में फंसा दिया जाये ताकि लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण की योजनायें असफल हो जायें। यदि यह उनकी मन्शा है तो सदन के सामने वह साफ कहें। सदन इसके ऊपर फिर इसी दृष्टि से विचार करेगा क्योंकि सदन को भी विकेन्द्रीकरण की दृष्टि से कई कटु अनुभव हो रहे हैं। यदि मंत्री महोदय ने कुछ

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

अनुभव किया है कि लोकतंत्र की योजना असफल हुई है, असफल होगी और सफल हो ही नहीं सकती उस दृष्टि से यदि यह जबाबदारी इन पंच और सरपंचों पर डाल रहे हैं तो सदन के सामने अपनी इच्छा को स्पष्ट करें।

अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि आज की परिस्थिति में पंचों के ऊपर, सरपंचों के ऊपर इस प्रकार की जबाबदारी डालना वाजिब नहीं होगा और उसका एकमात्र कारण यह भी है। इसके अलावा जो कुछ मैंने कहा है और यदि आज कोई आदमी, कोई पंच या सरपंच या दूसरा व्यक्ति जिसके ऊपर आबकारी कानून के अन्तर्गत कोई जबाबदारी डाली है सूचना देने की, अगर वह सूचना नहीं देता है तो जैसा हमने मृत्यु भोज के कानून में ऐसी व्यवस्था की है कि ऐसी सूचना देनी आवश्यक है, सूचना देनी उसकी ड्युटी है, मैं यह कहूंगा कि कोई भी पंच, या सरपंच सूचना देने में गैरजिम्मेदारी रखता है या किसी कारण से सूचना नहीं देता, किसी ट्रेनिंग में चला जाता है, विकास कार्यों को देखने के लिए चला जाता है तो क्या उसके खिलाफ प्रोसीक्यूशन नहीं होगा, क्या उसके खिलाफ परेशानियां नहीं होंगी ? मैं समझता हूं कि निर्वाचित पंच या सरपंच को इस धांधली में डालना वाजिब नहीं होगा। यदि सरकार यह समझती है कि हम, आबकारी के कानून के जरिये नाजायज शराब बनती है, उसको रोकना चाहते हैं, इसके लिए जरूरी है कि हम पंच और सरपंचों के ऊपर डालें तो मैं कहूंगा और सदन को यह सुझाव दूंगा कि सदन के जो सदस्य हैं उनके ऊपर भी यह जबाबदारी होनी चाहिए। इसके प्रति क्यों नहीं हम जबाबदार हो सकते ? क्या वह जनता के प्रतिनिधि नहीं हैं ? क्या मंत्री लोग इसके लिए जिम्मेदार नहीं हैं और अध्यक्ष महोदय, मैं तो यहां तक कहूंगा कि जब तक मंत्रिमण्डल के सदस्य आबकारी के कानून के अन्तर्गत नाजायज शराब बनाने के कारखानों को रोकने की चेष्टा नहीं करेंगे तब तक राजस्थान में इस प्रकार से नाजायज शराब बनती रहेगी।

जहां तक जयपुर का सवाल है, अध्यक्ष महोदय, मैं सदन के माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहूँगा कि जयपुर में जितनी नाजायज़ शराब बनती है उसमें से तीन-चौथाई भाग हमारे यहां उस विधान सभा के क्षेत्र में बनती है जिस विधान सभा क्षेत्र से गृह मन्त्री जी चुन कर आये हैं। उनके क्षेत्र में जयपुर में जितनी नाजायज़ शराब बनती है उसका तीन-चौथाई भाग बनता है। मैं समझता हूँ कि मन्त्री-मण्डल के सदस्य अपने आपको कलेक्टिवली इस दृष्टि से विचार नहीं करते। उनको सोचना चाहिए। मैं माननीय मन्त्री महोदय जो आबकारी विभाग के हैं उनसे निवेदन करूंगा कि यदि उनकी मन्शा नाजायज़ शराब को रोकने की है तो पंचों और सरपंचों के साथ विधान सभा के सदस्यों पर भी जिम्मेवारी डालनी चाहिए। उनको मंत्रीमंडल के सदस्यों पर जिम्मेदारी डालनी चाहिए। और यह कहना कि आबकारी कानून के अन्तर्गत यदि पुलिस के कर्मचारियों के ऊपर, हैड कॉन्स्टेबल के ऊपर, गिरदावरी के ऊपर, पटवारी के ऊपर या अन्य सरकारी कर्मचारियों के ऊपर हमें जबाबदारी डालनी

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

है तो हमें जो जनता के प्रतिनिधि हैं, क्योंकि आज जनतन्त्र का सवाल है इसलिए जनता का सहयोग हमको इसमें लेना चाहिए। इस दृष्टि से मैं निवेदन करूंगा कि यदि उनकी यह इच्छा है, यदि उनकी यह मन्शा है तो विधान सभा केसदस्यों, मन्त्री मंडल के सदस्यों का और उनका स्वयं का नाम इसमें होना चाहिए। हो सकता है कि स्वयं का नाम यदि रहे, यदि उनकी जवाबदारी इसमें रहे तो शायद माननीय मन्त्री महोदय, अध्यक्ष महोदय, अपना नाम और मन्त्री मण्डल के सदस्यों का नाम इन्क्लूड शायद इसलिए नहीं करना चाहें क्योंकि आज नाजायज़ शराब जितनी बनती है उसमें गंगानगर जिले का बड़ा भारी भाग है। गंगानगर में इतना ज्यादा इल्लिसिट डिस्टिलेशन होता है। यह बात सही है कि वह खुशहाल इलाका है, पैसे वाला इलाका है, पैसे की वहां कोई कमी नहीं है, जैसा कि मैंने अखबार में पढ़ा था कि गंगानगर के किसान से पूछो कि फसल कैसी हुई तो वह कहता है कि दो कत्ल करने के लिए काफी है।

अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि गंगानगर के जिले की माली हालत अच्छी है, बड़ी खुशी की बात है। हम चाहते हैं कि गंगानगर की जैसी हालत है उससे भी अच्छी हरेक जिले की माली हालत हो। जितना पैसा गंगानगर वालों के पास है उससे भी ज्यादा पैसा राजस्थान के हरेक नागरिक के पास हो! लेकिन सवाल यह खड़ा होता है कि गंगानगर के जिले की यदि माली हालत अच्छी है तो साथ में गंगाननर जिले के अन्दर क्राइम का डेवलपमेंट हो रहा है। वहां पर अपराध बढ़ते जा रहे हैं। इल्लिसिट डिस्टीलेशन ज्यादा हो रहा है, वहां शराब नाजायज़ तौर पर बनाई जा रही है और जिस डिनेच्योर्ड स्प्रिट को रोकने के लिए माननीय मन्त्री महोदय ने इस कानून में व्यवस्था की है मैं उनसे निवेदन करूंगा कि इस धारा को हटायें या विधान सभा के सदस्यों को, मन्त्री मण्डल के सभी सदस्यों के ऊपर भी आबकारी कानून के अन्तर्गत इस प्रकार की जवाबदारी डालें।

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं क्लॉज़ ९ का समर्थन करता हूँ। और समर्थन करने का एक मुख्य कारण यह है कि अभी जो जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि पंचायत समिति के सदस्यों को सम्मिलित करने की धारा में परिवर्तन क्यों किया गया है तो वह इससे स्पष्ट हो जाता है कि मेरा जैसा कि डिस्ट्रिक्ट है या दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनके अन्दर पंचों और सरपंचों को लगान वसूल करने के लिए नम्बरदार नियुक्त कर दिया गया है। ऐसी स्थिति में जब नम्बरदार वह हो गये तो उनके उस धारा को स्पष्ट करने के लिए इस धारा को स्पष्ट किया गया है, उस संशोधन को स्पष्ट करने के लिए मैं माननीय सदस्यों से कहूँगा कि वह इसका विरोध नहीं करेंगे।

श्री रामकरणसिंह (कोटपुतली): माननीय अध्यक्षजी, अभी २ जो धारा ९ पर विचार हो रहा है और जो संशोधन में पंच और सरपंच की जिम्मेवारी की बात कही है उसके बारे में प्रस्ताव आया है। माननीय वैद्यजी ने शायद इस प्रकार के विचार व्यक्त किये हैं वह इससे पूर्व बिल पास हुआ था

(श्री रामकरणसिंह)

और उसमें नम्बरदारों को जिम्मेदारी दे दी तो इसमें कोई शक नहीं है कि भोले भाले सरपंच नम्बरदार हो जायेंगे । यह जो उनको जिम्मेदारी दी गई है उसका नतीजा क्या होगा कि उनको यह चुगली का काम दिया जा रहा है । यह चुगली का काम देकर विकास के काम में बाधा उत्पन्न की जा रही है ।

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) : दिया नहीं जा रहा है, बल्कि ऑलरेडी है ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : किस में हैं ?

श्री रामकरणसिंह : तो इस तरह से आप शायद गलतफहमी से कह दें कि नम्बरदार बन गये हैं ।....

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : नम्बरदार पंचों को बना दिया है तो चूरण चटनी फिर नहीं लगने की है ।

डॉ० बहादुरसिंह : नम्बरदार डिक्लेयर कर दिया गया है ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : नहीं, नहीं, ऐसी बात कोई हमारे सामने नहीं आई है । हो सकता है कि आपकी दूकान में यह हो ।

डॉ० बहादुरसिंह : दूकान में नहीं डिस्ट्रिक्ट में है ।

श्री रामकरणसिंह : इस प्रकार की बात है कि आज आप पंच और सरपंचों को नाजायज शराब रोकने के लिए जिम्मेदार बनाते हैं तो इससे पूर्व एक बिल जो मौसर बन्द करने के लिए आया था उसके लिए पंच और सरपंचों को जिम्मेदारी दी थी । मुझे अच्छी तरह जानकारी है, और मैं पूरी जानकारी से कह रहा हूं कि वह जो जिम्मेदारी दी गई थी उनको बदनाम होना पड़ा है । गांवों में उसके कारण से पार्टियां कायम हुई हैं और पार्टियां कायम होकर इस पोजीशन में आगये हैं कि वहां पर मौसर का बिल जो उसको रोकने के लिये आया था वह रुका नहीं हैं, क्योंकि पंच और सरपंच जो होता है वह किसी न किसी पार्टी को लेकर होता है इसलिए जब कभी दूसरी पार्टीवाले ने कोई ने मौसर किया हो तो उसकी शिकायत करता है तो दूसरी पार्टीवाले मजिस्ट्रेट के पास जाकर या अन्य प्रकार से जिस जगह शिकायत होती है उस पर हाथसाफ करके, एप्रोच करके या प्रेशर डालकर ऐसी कोशिश करते हैं कि वह साबित नहीं होता है । इस प्रकार से माननीय मन्त्रीजी का वैसा मकसद हो कि किसी प्रकार से इसको रोकना है तो पंचों और सरपंचों को नहीं लिया जाय, वर्ना गांव में दो पार्टियां खड़ी हो जायगीं । जो पंच और सरपंच बनते हैं और गैर कानूनी जो चीज़ करते हैं उसके सपोर्ट में गांव के आधे लोग हो जायेंगे और उसका रूप एक राजनैतिक ढंग से आ जायेगा ।

इसके अलावा पंचों और सरपंचों को कोई किसी प्रकार की कोई भी चीज़ नहीं दी जानी चाहिये । आज सब उसके साथ में, लिस्ट में उनको इन्क्लूड करते है जो कि एक अवैतनिक है । नम्बरदार को पैसा मिलता है, पटवारी को काम दिया जाता है तो वह पैसा लेता है । अन्य प्रकार के जो कर्मचारी,

(श्री रामकरणसिंह)

विलेज पुलिसमैन है उसको पैसा मिलता है, अन्य प्रकार के वैतनिक कर्मचारी हैं, जो सरकारी कर्मचारी हैं उनको दिया जाय। विकास का काम करने का जो सवाल होता है वहां उनको चुगली का काम देकर उनकी तौहीन करना है। उनके खास अधिकार हैं। विकास के लिए छोटे छोटे गांवों की युनिट्स में जा कर विकास करते हैं। वे प्रभाव सब पर रखते हैं। उनमें चुगली की नीयत से एक ऐसी बदनियत का प्रचार होगा कि लोग उनका विश्वास करना छोड़ देंगे। उनके प्रति संदेह बना रहेगा और वह बने रहने के कारण आज जिस इज़्ज़त की निगाह से पंचों और सरपंचों को देखते हैं, जिस विकास के काम की जिम्मेदारी उनको सौंपी है वह जिम्मेदारी पूरी नहीं हो सकेगी। पार्टी पोलिटिक्स और संकुचित दलबन्दी होकर एक ऐसा रूप होगा जिसमें माननीय मन्त्रीजी अपने विचार रखते हैं कि इसमें इस प्रकार से रुकावट आयेगी तो उसमें बाधा आयेगी और बाधा इस प्रकार से आयेगी कि जिसके लिए शायद आपको किसी प्रकार की, किसी पार्टी की कोई न कोई बात अपनी सोचनी ही पड़ेगी।

यही नहीं इसके अलावा भी इस सदन में जो जौहरी बाजार से आने वाले माननीय सदस्य ने जिक्र किया है कि गृह मन्त्रीजी के क्षेत्र में कहीं शराब निकलती है तो इसके लिये अभी पिछले दिनों मैंने एक क्वेश्चन भी पूछा था जिसमें जानकारी दी गई है कि वहां नहीं निकलती है। मैं आज भी कह सकता हूं कि कोई भी चले मेरे साथ, मैं चलने को तैयार हूं, तो मैं बता सकता हूं कि वहां अब भी निकलती है, खुले आम निकलती है। किसी पुलिस वाले की हिम्मत नहीं पड़ती है। आस पास किसी भी एक्साइज़ डिपार्टमेंट वाले की हिम्मत नहीं पड़ती है कि उस मोहल्ले में जा कर खड़ा रह सके....

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : पुलिस तो उनके मातहत है।

श्री रामकरणसिंह : कोई बात लेकर कहने को तैयार हो जाते हैं। कोई भी कह सकता है कि पुलिस वालों की उनसे सांठ गांठ है। वह उसमें इन्ट्रेस्ट रखते हैं। इन्ट्रेस्ट रखने के कारण चरी भर भर कर होटलों में शराब दी जाती है। दूध के रूप में शराब आती है।

इसी प्रकार से पंचों और सरपंचों को इसमें डाला गया तो उनकी नीयत भी किसी न किसी प्रकार के लालच से खराब हो जायगी, क्योंकि देवी और देवताओं को भी इस प्रकार का लालच आ जाता है। अगर हम यह चाहते हैं कि हमारे देश में पंच और सरपंच मुस्तैदी से विकास का कार्य करें तो यह काम उनको नहीं दें, क्योंकि उसमें उनका किसी न किसी प्रकार का इन्ट्रेस्ट कायम हो जायगा और इन्ट्रेस्ट कायम होने पर किसी भी प्रकार से सही मायने में काम करने की नीयत हो तो उस नीयत पर असर होगा।

इसलिए यह निवेदन करते हुए कि किसी भी प्रकार से कोई चीज़ लायेंगे उसको सही मायने में रोकना है तो हर प्रकार की जो चीज सही मायने में रोकने में कामयाब हो उसमें मदद मिल सके तो मदद लेनी चाहिए, लेकिन इस तरह की मदद से दस गुना किसी

(श्री रामकरणसिंह)

दूसरी जगह नुकसान पहुंचता हो, किसी प्रकार की आशंका होती है तो इस प्रकार का संशोधन नहीं होना चाहिये ।

(२ म० प०)

श्री रामचन्द्र (डग–मु०) : अध्यक्ष महोदय, धारा ६ में जो संशोधन लाया गया है, मैं उसका समर्थन करता हूं । समर्थन इसलिए करता हूं कि मैं इस बात का समर्थन करना राष्ट्रीय जिम्मेदारी समझता हूं । हमारे देश में कुछ राष्ट्रीय बुराइयां फैली हुई हैं और उनको दूर करने के लिये भारत स्तर पर एक प्रतिज्ञा की है कि मद्य निषेध भारत भर में होना चाहिये और उसके लिए भारत के एक एक आदमी की जिम्मेदारी है । उस जिम्मेदारी को ध्यान में रखते हुए भारत के प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी है–मद्यपान नाम की बुराई को दूर करने के लिए भरसक प्रयत्न किया जाय–और इस विचार को लेकर आबकारी विभाग के बड़े बड़े कर्मचारी हैं उनकी ओर से यह कर्त्तव्य रखा गया है कि मद्यनिषेध के लिए भरसक प्रयत्न किया जाय । इसी प्रकार से जो दूसरे प्रमुख आदमी होते हैं उन पर भी जिम्मेदारी डाली है । इसी प्रकार से गांव स्तर पर नम्बरदार प्रमुख व्यक्ति माने जाते हैं लेकिन आज उनके बजाय सरपंच प्रमुख व्यक्ति माने जाते हैं । ऐसी स्थिति में बजाय नम्बरदार के सरपंच पर यह जिम्मेदारी रखी जाय तो उचित है ।

दूसरी बात यह है कि इस प्रकार का अवैधानिक शराब बनाने का काम ज्यादातर गांवों में होता है और गांवों के जिम्मेदार आदमी जब तक इसमें सहयोग नहीं देंगे तब तक मद्यनिषेध होना मुश्किल है । इसलिए नम्बरदारों के अलावा सरपंच रखा गया है । प्रत्येक सरपंच की जिम्मेदारी होगी मद्यनिषेध के लिए, इस प्रकार की शराबखोरी को रोकना उनका कर्त्तव्य होगा ।

इसके अलावा अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि अभी हाल ही में दिल्ली में अखिल भारतीय स्तर पर एक कॉन्फ्रेन्स हुई थी उसमें निर्णय लिया गया है कि तीसरी योजना के अंत तक समस्त भारत में मद्य निषेध होना चाहिये । इस मौके पर राजस्थान सरकार के सामने दो बड़ी समस्याएं आती हैं । देश में इस बुराई का उन्मूलन करना आवश्यक है लेकिन क्या राजस्थान सरकार इस परिस्थिति में है कि इस बुराई को दूर करने के लिये उचित कदम उठा सकती है और मद्यनिषेध में कामयाब हो सकती है ? इसलिये राजस्थान सरकार ने यह कदम उठाया है । हम अपने नागरिकों और जिम्मेदार आदमियों की सहायता लेकर जहां तक हो सके इस बात की कोशिश करें कि तीसरी योजना के

(२.१ म० प०)

(श्री निरंजननाथ आचार्य, उपाध्यक्ष, पदासीन)

अन्त तक मद्य निषेध को सफल बनाने के लिए अधिक से अधिक कामयाब हों । राजस्थान सरकार ने यह जिम्मेदारी ली है कि अगली योजना के अन्त तक हमको मद्यनिषेध करना है । ऐसी हालत में हमें सरपंचों पर यह भार डालना आवश्यक है इसलिए मेरा निवेदन है कि नम्बरदार के स्थान पर सरपंच रहना चाहिये ।

श्री हरिप्रसाद यादव (वल्लभनगर-मु०) : उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान आबकारी (संशोधन) विधेयक, १९६१ का मैं समर्थन करता हूँ। भारत के आजाद होने के बाद हम लोगों की, जो विधेयक बन कर आये हैं उनकी ड्यूटी हो जाती है लेकिन हमारी सरकार के जो अधिकारी हैं, इस विभाग के, उन पर भी जिम्मेदारी आनी चाहिये। अभी मेरे पूर्व धौलपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने फर्माया था ...

श्री रामकरणसिंह (कोटपुतली) : उपाध्यक्ष महोदय, कोरम पूरा नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : Yes. You will proceed. I will assess the position.

श्री हरिप्रसाद यादव : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कह रहा था कि जितनी जिम्मेदारी सरपंचों को इस संशोधन बिल में दी है उतनी ही जिम्मेदारी आबकारी विभाग के अधिकारियों पर होनी चाहिये। अभी मेरे दो पूर्व वक्ता—मास्टर रामचन्द्रजी यह कह रहे थे कि नंबरदार ..

श्री रामकरणसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, कोरम पूरा नहीं है।

श्री हरिप्रसाद यादव : तो माननीय उपाध्यक्ष, मैं निवेदन कर रहा था....

श्री रामकरणसिंह : कोरम पूरा नहीं है और ये बोले जा रहे हैं।

श्री हरिप्रसाद यादव : झालावाड़ के सदस्य हिन्दुस्तान लेवल की कमेटी का जिक्र कर रहे थे....

श्री उपाध्यक्ष : आसन ग्रहण करें, माननीय सदस्य की मान्यता को स्वीकार करना पड़ा।

(गण-पूरक घंटी)

श्री उपाध्यक्ष : शुरू रखें।

श्री हरिप्रसाद यादव : मैं यह निवेदन कर रहा था कि भारत के आजाद होने के पश्चात् हर नागरिक की यह ड्यूटी होती है कि हमारे भारत को आजादी दिलाने वाले पूज्य बापूजी ने अपनी किताब व डायरी में जो यह निवेदन किया था कि सारे भारत में जब तक मद्य निषेध का सफाया नहीं होगा तब तक भारत का विकास नहीं होगा। इसलिये, हमारे मंत्री महोदय ने जो बिल रखा है उसका मैं स्वागत करता हूँ लेकिन धारा ९ में जो बात रखी है कि सरपंच की ड्यूटी होनी चाहिये तो जितने सरपंच हैं उनकी ड्यूटी हो जाती है और एम० एल० ए० और एम० पी० और मिनिस्टर की ड्यूटी खत्म हो जाती है तो हमारे प्रधान मंत्री नेहरूजी ने नागौर में जो उद्घाटन किया था उसका कोई अर्थ नहीं रह जाता है। मैं आपके जरिये सदन के सदस्यों की आवाज बुलन्द करूंगा....

श्री उपाध्यक्ष : आप अपनी ही आवाज बुलन्द करिये।

श्री हरिप्रसाद यादव : सरपंच के पास पहले ही से विकास का काफी काम है। यदि मंत्री महोदय, धारा ९ में सुधार कर दें तो यह लाभप्रद सिद्ध होगा। अभी मेरे दो माननीय मित्रों ने कहा, झालावाड़ के माननीय सदस्य ने कहा कि हिन्दुस्तान के लेवल पर

(श्री हरिप्रसाद यादव)

कमेटी बनी हुई है जब कि एक तरफ गांवों में नाजायज शराब बनाने वाले लोग हैं उनका पुलिस से भी सम्बन्ध है और पुलिस विभाग वालों में कुछ बंटवारा होता है....

श्री उपाध्यक्ष : देखिये यह परंपरा मत बनाइये व्यक्तिगत आरोप लगा कर। आधार जब तक नहीं हो तब तक इस प्रकार का निराधार आरोप नहीं लगाना चाहिये।

श्री हरिप्रसाद यादव : निराधार नहीं हैं, अभी कह चुके हैं, अभी कह चुके हैं अपनी जबान से। मैं उन दो मित्रों की बात छोड़ता हूँ लेकिन अपनी बात इस प्रकार कह रहा हूँ कि सारे भारत में राजस्थान ने सबसे पहले एक कदम उठाया है, पंचायत राज्य की स्थापना की है, जब दूसरे देश हमारी नकल कर रहे हैं तो सरपंच के सर पर- जितना भार रहता है....

श्री उपाध्यक्ष : सर पर नहीं कंधों पर रहता है।

श्री हरिप्रसाद यादव : जहां सरपंच या नंबरदार पर यह जिम्मेदारी दी है तो जो बड़ी बड़ी तनख्वाह लेने वाले आबकारी के अधिकारी हैं उनकी भी ड्यूटी हो जाती है, उनका यह काम है, गरीबों को वे बार बार बुलाते हैं, केस कंपाउन्ड करके, झूठी सच्ची एप्लीकेशन लेकर नाजायज़ ढंग से....

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) : यह केस कंपाउन्ड करने का संशोधन नहीं है बल्कि नंबरदार के स्थान पर पंच या सरपंच को रखने का संशोधन है।

श्री उपाध्यक्ष : आप प्रश्न ही पर बोलिये। कंपाउन्ड पर कहां बोलने लग गये। इधर उधर चले जाना तथ्य नहीं है। मैंने बार बार निवेदन किया कि तथ्य हो तो बोलिये।

श्री हरिप्रसाद यादव : इसमें नाजायज शराब का लिखा हुआ है। माननीय सदस्य बीच में दस्तन्दाजी करते हैं, वे बोले थे तब मैंने दस्तन्दाजी नहीं की थी। एक व्यक्ति दूसरे पर छींटा कसी करे यह उचित नहीं है।

डॉ० बहादुरसिंह : मैंने इन पर छींटा कसी नहीं की है, ध्यान आकर्षित किया है।

श्री हरिप्रसाद यादव : ध्यान आकर्षित उपाध्यक्ष महोदय, आप कर सकते हैं माननीय सदस्य को कोई राइट नहीं है। जितना उनको अधिकार है उतना ही एसेम्बली के हर सदस्य को अधिकार है। माननीय सदस्य नाजायज़ बात करते हैं तो उसके लिये उनको कोई अधिकार नहीं है....

डॉ० बहादुरसिंह : उपाध्यक्ष महोदय....

श्री हरिप्रसाद यादव : मैं हर बार खड़ा होता हूँ तो....

श्री उपाध्यक्ष : Order Please.

डॉ० बहादुरसिंह : मेरा यह एतराज है कि मैंने कोई नाजायज़ बात नहीं कही है, माननीय सदस्य असंगत बात कह रहे थे इसलिये ध्यान आकर्षित किया था।

(डॉ० बहादुरसिंह)

"नाजायज़" शब्द का अर्थ नहीं आता है, इसलिए कहा है।

श्री हरिप्रसाद यादव : माननीय उपाध्यक्ष, असंगत बात नहीं है। वे खुद कह रहे हैं। वे हंस रहे थे भाषण देते समय।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन करना है कि सरपंच के ऊपर यह जिम्मेदारी थोपी जा रही है, यह नाजायज़ है। एक तरफ ग्राम पंचायतों के सरपंचों को जाकर समझाया है कि हम विधान सभा में जाकर हमारे क्षेत्र की खुशहाली करेंगे। दूसरी तरफ सरपंचों को इस तरह के संशोधन लाकर उलझाया जाता है। तो पंचायत कायम कैसे रह सकती है। इसलिए मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि सरपंच पर यह जिम्मेदारी थोपना नाजायज़ है। फिर भी मैं मंत्री महोदय से अपील करना चाहता हूँ कि सरपंच और नम्बरदार के ऊपर दया करके आप विभाग के लोगों के कन्धों के ऊपर यह भार रखिये। मैं आपकी धारा ९ का विरोध करता हूँ। अगर आपको इस राजस्थान को खुशहाल बनाना है इस विभाग के जरिये तो आप आबकारी विभाग में सुधार लायें जिससे हमारा राजस्थान खुशहाल बन सके।

श्री उपाध्यक्ष : Yes, Hon'ble Minister please.

श्री रामचन्द्र चौधरी (आबकारी मन्त्री) : उपाध्यक्ष महोदय, इस नंबर ९ में बात आई है, वह बहुत सरल और सहज है। अपने गांवों से ताल्लुक रखने वाले जितने भी ऑफिशियल्स हैं, उनको जिम्मेदारी है कि वहां कोई एक्साइज़ एक्ट के नीचे कोई जुर्म होता है, कोई उनके इल्म में आये तो उसकी इत्तला दें। इसी तरह गांव के नम्बरदार, हैडमैन, चौकीदार पर भी जिम्मेदारी थी क्योंकि उनका गांव से सदा ताल्लुक रहता है, वे गांव में सदैव रहते हैं, उनकी नॉलेज में आ सकती है। उनके इल्म में आबकारी एक्ट के नीच जुर्म करता हुआ कोई आदमी आये तो उसकी वे इत्तला जल्दी से जल्दी पुलिस स्टेशन या आबकारी विभाग को दें। इसी तरह पंच और सरपंच, जो चुनकर गांव में आये हैं, उनका फर्ज हो जाता है। हम अगर मद्य निषेध की नीति पर अग्रसर होना चाहते हैं और इस बढ़ती हुई नाजायज़ शराब की उत्पति को रोकना चाहते हैं तो वे भी हमें सहयोग दें। और इसमें कोई अनुचित बात नहीं है कि आज हम उनको कहें कि उनके इल्म में कोई बात आये तो गवर्नमेंट को इत्तला दें। इसमें यह नहीं है कहीं पहले डवेलपमेंट वर्क्स चल रहे हैं, उनको स्थगित रखा जायगा और किसी तरह से वे फंस जायेंगे।

श्री हरिप्रसाद यादव (वल्लभनगर–सु०) : माननीय उपाध्यक्ष....

श्री उपाध्यक्ष : Order ! Order !!

श्री हरिप्रसाद यादव : मैं मन्त्री महोदय से पूछना चाहता हूँ, आप सरपंच....

श्री उपाध्यक्ष : Order ! Order !!

श्री हरिप्रसाद यादव : सरपंच को वेतन कहां मिलता है ?

श्री रामचन्द्र चौधरी : वेतन मिलने का सवाल नहीं है। इसमें वैसे तो हर नागरिक का फर्ज है कि उसके इल्म में जो कोई जुर्म आये तो उसकी वह इत्तला दे लेकिन खास खास आदमी जिनका कि ताल्लुक गवर्नमेंट से है, उन पर ज्यादा जिम्मेदारी रखी गई है कि वे अपने इल्म में आये हुए जुर्म की इत्तला जल्दी से जल्दी उस विभाग के अधिकारी को दें और इसमें ऐसी कोई अनुचित बात नहीं है जिससे कि माननीय सदस्य यह समझें कि उन पर कोई ऐसी जिम्मेदारी डाल रहे हैं कि उनका काम लोगों की चुगली करना हो जायेगा, जैसा कि एक माननीय सदस्य ने अभी कहा था। इसमें चुगली करने का कोई सवाल नहीं है। यह हर गांव में रहने वाले व्यक्ति का फर्ज है कि वह जुर्म की इत्तला दे। इसलिए इसमें जितनी बातें कही हैं, माननीय सदस्यों ने, मैं यह मानता हूँ कि उनकी बहुत सी शंकायें निर्मूल हैं। अभी एक माननीय सदस्य ने यह भी कहा था कि यहां पर—जयपुर में बहुत नाजायज़ शराब बनती है और उसको कोई पुलिस अधिकारी या आबकारी अधिकारी नहीं पकड़ता है। मैं उन्हें कहता हूँ कि अगर वे दिखला सकते हैं, आज ऐसी जगह बता दें तो मैं बड़ा खुश होऊंगा। आज बतायें, अभी आपके साथ पुलिस अधिकारी या आबकारी के अधिकारी को करता हूँ। जहां आप बतलायेंगे वहां उन्हें भेज कर उनको पकड़ायेंगे।

श्री रामकरणसिंह (कोटपुतली) : आप चलिये या किसी को भेजिये, मैं अभी जाने को तैयार हूं। आप मेरे साथ किसी को भिजवाइये।

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) : जिस काम को पुलिस का इन्सपेक्टर करेगा उसके लिए आप मिनिस्टर साहब को ले जाना चाहते हैं।

श्री रामचन्द्र चौधरी : मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, उसके लिए 'हां' की है।

डॉ० बहादुरसिंह : गवर्नमेंट तैयार है, आप जाइये।

श्री रामकरणसिंह : मैंने इस चीज को स्वीकार किया है।

श्री उपाध्यक्ष : Yes. Hon'ble Minister, please proceed with the debate.

श्री रामचन्द्र चौधरी : हम शुक्रगुजार होंगे और पांच मिनट में किसी भी अधिकारी को सामने पेश कर दिया जायेगा। आप जाकर इस चीज को पकड़वाइये तो इससे ज्यादा हम क्या चाहते हैं। मैं नहीं कहता कि किसी मंत्री का या एम. एल. ए. का फर्ज नहीं है कि ऐसे जुर्म आबकारी एक्ट के नीचे होते हैं. वे उनके ध्यान में आयें तो उनकी इत्तला नहीं करें। जैसा मैंने पिछले दिन निवेदन किया था, हर गांव में एम. एल.-ए., एम. पी. या मिनिस्टर नहीं रहता। गांव में रहने वाले लोग हैं, जिनका कि हर व्यक्ति से ताल्लुक रहता है, उन लोगों के इल्म में आ सकता है कि कहां कहां पर कौन कौन व्यक्ति नाजायज शराब बना रहे हैं। कौन शराबबन्दी के कानून को तोड़ रहे हैं। वे लोग ज्यादातर अपने इलाके की बात जान सकते हैं और उसकी इत्तला जल्दी से जल्दी

(श्री रामचन्द्र चौधरी)

दे सकते हैं। अगर किसी मिनिस्टर, एम. पी., एम. एल. ए. के ध्यान में ऐसी बात आती है तो उसका मोरल फर्ज है कि जल्दी से जल्दी जाकर उसकी इत्तला दे और जो जुर्म करता है उसको सजा दिलाये। इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इस पर अब बहुत बहस हो चुकी है और जनरल डिबेट का मैं जवाब दे चुका हूँ। इसमें ऐसी चीज नहीं है, परन्तु मामूली तरमीम लाई गई है। यह नहीं कहता कि नम्बरदार को हटाना है। जो पहले मौजूद हैं उनके साथ जो जन प्रतिनिधि चुन कर आये हैं, पंच सरपंच उनके ऊपर जिम्मेदारी डाली है कि उनके इल्म में जुर्म आता हुआ दिखे तो उसकी जल्दी से जल्दी इत्तला दें। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इसको आप इसी तरह पारित कर दें।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि क्लॉज़ ९ विधेयक का अंग बने ?

(स्वीकृत)

क्लॉज़ ९ विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया।

(विराम)

क्लॉज़ १०।

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, इस पर मेरा संशोधन इस प्रकार है :

"प्रतिस्थापित की जाने वाली नवीन धारा ५५–

(क) शब्द 'shall not be less than six months and' विलोपित किये जावें।

(ख) शब्द 'shall not be less than rupees two hundred and' विलोपित किये जावें।"

उपाध्यक्ष महोदय, यह कम से कम सजा रखी जाय, इस सम्बन्ध में मेरा यह संशोधन है कि इसे प्रस्तुत करने की इसलिए आवश्यकता हुई कि इसमें डिनेच्योर्ड स्प्रिट का प्रश्न है। वे अगर लोग बनायें और बनाते हैं तो अधिकतम सजा दी जाय या निम्नतम सजा दी जाय? इस प्रश्न का मैं हामी हूँ। यह रखा जाना चाहिए। इस नई धारा के अन्दर व्यवस्था दी है कि उसके पजेशन में सजा होगी, तो उसे सजा होगी। मैं समझता हूँ कि आगे जाकर जो धारायें हैं उसी प्रकार की व्यवस्था रहती है तो उस व्यक्ति के कब्जे में मिलती है या मकान में मिलती है तो कम से कम इस प्रकार की आज व्यवस्था है। कोई व्यक्ति इसका उल्लंघन करता है या किसी व्यक्ति को नियोजित षड्यन्त्र में कोई फंसा देता है तो निश्चित तौर के अन्दर उस धारा के अनुसार कम से कम सजा देने के लिए न्यायाधीश को बाध्य होना पड़ेगा। मैं समझता हूँ कि किसी व्यक्ति के जुर्म के अन्दर उस व्यक्ति का कितना जुर्म है, कितनी उसकी नीयत है, यह जानने का कार्य न्यायाधीश पर रखें और जो अधिकतम सजा की मात्रा रखी है उसके बजाय निम्नतम रखें। इसलिए मैं समझता हूँ कि मैंने जो छोटा सा संशोधन प्रस्तुत किया है उसको माननीय मन्त्रीजी स्वीकार करेंगे।

श्री रामकरणसिंह (कोटपुतली) :

Page No.67

(श्री रामकरणसिंह)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो संशोधन रखा है उसका मैं समर्थन करता हूं। माननीय सदस्य ने बात कही है कि जो इस प्रकार डिनेच्योर्ड स्प्रिट तैयार करता है या जिसके कब्जे में होती है उन्हें एक सी सजा दी जाय। आज सब जानते हैं कि किस प्रकार का युग है और इस युग के अन्दर हर व्यक्ति हर प्रकार अपनी भावनायें छोटी हों, चाहे बड़ी हों, सब प्रकार से बाई फेयर और फाउल मीन्स एडॉप्ट करके जो कुछ उनकी भावनायें, विचार हैं उनको हर प्रकार पूरा करते हैं। अगर किसी प्रकार का बदला लेने की नीयत हो तो वह ले सकता है। वह शराब किसी के यहां हो नहीं तो भी दो बोतल कहीं से भी ला कर रख सकता है और किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार की सजा दिलाना चाहे तो सजा दिला देगा और उसको पकड़ा देगा और एक तरफ वह व्यक्ति जो खुद शराब तैयार करता है, बेचता है और मुनाफा कमाता है और जिसने इसको अपनी आमदनी का जरिया कर रखा है वह है उसको सजा मिलनी चाहिये। मगर आपने इन दोनों में किसी प्रकार का फर्क नहीं रखा। एक आदमी तो वह है जो शराब का व्यापार करता है और एक आदमी केवल किसी प्रकार से बदला लेने की भावना से शराब की बोतलें रखवा देने पर शिकार हो गया। इसमें भेद अवश्य होना चाहिये। मगर यह देखने को नहीं मिला है। हमको यह भी देखने को मिलता है कि जो सही व्यक्ति शराब का बनाने वाला होता है उसको कोर्ट में सजा मिलती है। मगर किस प्रकार की सजा मिलती है, यह भी हमको देखने को मिलता है।

आज के वातावरण को देखते हुए, आज मानव मानव का प्रतिद्वन्दी है और आपस में एक दूसरे के प्रति किस प्रकार की भावना रहती है, हमें इन चीजों को सोचना और देखना होगा और अगर हम इन चीजों पर विचार करें और देखें तो हमें सोचना होगा कि यह दो चीजें हैं: किसके कब्जे में शराब पकड़ी जावे या कोई आदमी मुनाफा खाता है या व्यापार तो नहीं करता जिसके पास पकड़ी जाती है। दूसरा वह है जो व्यापार नहीं करता और बदला लेने की भावना का शिकार बन जाता है। जो व्यक्ति इसका व्यापार करता है उसके बारे में आप पनिशमेंट रखें और मैं यह चाहता हूँ कि सजा मिलनी चाहिये। आपने जो सजा रखी है इससे भी ज्यादा सजा रखें; मैं इसके पक्ष में हूँ। लेकिन जिस प्रकार सजा यहां पर रखी है आज के युग में उस पर हमें सोचने के लिये मजबूर होना पड़ता है कि आया इस प्रकार का अन्तर होना चाहिये। इस एक्ट में माननीय उपाध्यक्ष, एक क्लॉज़ आगे आवेगा कि शराब किसी भी खेत में पड़ी हो या खुली जगह में हो और वहां पर पकड़ी जाती है तो उस कुटुम्ब के मुखिया को पकड़ा जा सकता है। इस प्रकार की एक्ट में चीज रखी गई है। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हम सोचें और इस प्रकार की पनिशमेंट रखी है उसको भी हम सोचें तो मजबूर होकर सोचना होगा कि इस प्रकार की सजा जिसके कब्जे में चीज पकड़ी जावे, वह पकड़ी जा सकती है वह दोनों तरह की सजा बराबर नहीं होनी चाहिये और मैं यह अर्ज करते हुए माननीय मन्त्रीजी से निवेदन करूंगा कि वे इस पर विचार करें और ध्यान से सोचें। सजा में जो फर्क रखा गया है कि ६ साल और दो साल

(श्री रामकरणसिंह)

और २०० रुपये कम से कम और हजार ज्यादा से ज्यादा; अधिक और कम में इतना बड़ा अन्तर नहीं होना चाहिये। आप चाहें ८००) रु० और हजार रुपये कर दें। कहां दो सौ और कहां एक हजार, कहां ६ साल और कहां एक साल ? इतना फर्क इसमें नहीं होना चाहिये। यह मैं बड़े अदब के साथ निवेदन करता हुआ कहूँगा कि आप इस पर विचार करें।

श्री रामचन्द्र (डग-सु०) : उपाध्यक्ष महोदय, धौलपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। मूल एक्ट में संशोधन लाया जाता है उसका कोई खास कारण होता है कि यदि वह प्रभावशाली न समझा जाता हो तो लोग भयभीत न होकर इस प्रकार का जुर्म करते रहते हैं। आज जब से मद्य निषेध कायम हुआ है, अभी राजस्थान में इस हद तक स्थिति नहीं पहुंची है जैसी बम्बई और मद्रास में है। अनुभव से यह देखा गया है कि लोगों ने मद्य निषेध के कारण अधिक कीमत से लाने के लिये स्प्रिट के द्वारा उसको तेज बना कर बेचने का धन्धा शुरू कर दिया है। यह डीनेचर्ड स्प्रिट बहुत ही भयंकर है। इससे मनुष्य के शरीर पर बहुत असर होता है और वह मनुष्य के स्वास्थ्य के लिये बहुत हानिकारक है। यह देखा गया है कि आज तपेदिक के केसेज़ नजर आते हैं और यह तपेदिक की बीमारी को पैदा करने के लिये ज्यादा से ज्यादा प्रभाव डालती है। यह बीमारी ज्यादातर डीनेचर्ड स्प्रिट को काम में लाने से होती है। अगर इस बढ़ती हुई बीमारी को नहीं रोका जावे तो मैं समझता हूँ कि आयन्दा राजस्थान में लोगों को स्प्रिट लेने की बुरी आदत पड़ जावेगी और वे अपना स्वास्थ्य खो देंगे। इसलिये जो माननीय मन्त्री एमेन्डमेंट लाये हैं उसको मैं उचित समझता हूँ। अभी हमको किसी प्रकार डरने की जरूरत नहीं है। अभी मद्य निषेध कानून यहां पर इस तरह नहीं पहुंचा है कि इन धाराओं का खुल कर प्रयोग हो। यह तो एक तरह की चेतावनी दी है कि लोग इसको काम में न लावें। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि जो मन्त्री महोदय ने प्रस्ताव रखा है वह बिल्कुल वाजिब है।

श्री रामचन्द्र चौधरी (आबकारी मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, डीनेचर्ड स्प्रिट वह चीज है जो एक प्रकार का पोइज़न है, जहर है और इसको इसमें कुछ डीनेचर्ड मिला कर ऐसा कर दिया कि आदमी इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। मगर इसकी कुछ लोगों ने बदबू वगैरा उड़ा कर पीने की शराब में काम में ला सके ऐसा कर दिया है और यह पीने के काम में ली जाती है। फिर भी इसमें जहर होता है वह खत्म नहीं होता। शराब पीनेवालों को शराब नहीं मिलने पर या दूसरी शराब न मिलने के अभाव में वे इसको काम में लेते हैं और उनके उसके स्लो पोइजन के इफेक्ट का ज्ञान नहीं होता है। इसलिये वह सारी हेल्थ को नुकसान पहुँचाता है। ऐसे जो लोग जानबूझ कर अपने लालच के लिये सारे लोगों की हैल्थ को नुकसान पहुँचाते हैं और सारे लोगों की हैल्थ को खतरे में डाल देते हैं उनके साथ सख्ती का बर्ताव करना चाहिये। वे नर्म सजा के मुस्तहक नहीं होते। इस बात को ध्यान में रखते हुए यह डीनेचर्ड स्प्रिट के लिए यह

(श्री रामचन्द्र चौधरी)

रखा है। यह चार, छः महीनों से लोगों ने शराब बनाने के काम में लेने की कोशिश की है। इसको बन्द करने के लिये सरकार ने कदम उठाया है। मैं नहीं समझता कि लोगों को इस पर भी कोई एतराज हो सकता। मेरे खयाल से धौलपुर से आनेवाले माननीय सदस्य ने इस एमेन्डमेंट को रखा है उसको वापिस लेंगे और हम चाहते हैं कि ऐसे आदमियों के साथ जो लोगों की हैल्थ के साथ खिलवाड़ करते हैं उनके साथ सख्ती का व्यवहार करें।

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, जो संशोधन प्रस्ताव मैंने रखे हैं उन्हें वापिस लेने की अनुमति प्रदान की जाय।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो संशोधन प्रस्ताव क्लॉज १० पर डॉ. बहादुरसिंह ने प्रस्तुत किये हैं उन्हें वापिस लेने की आज्ञा प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) : मैं अपने संशोधन प्रस्ताव वापिस लेता हूँ।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि क्लॉजेज़ १० और ११ विधेयक के अंग बनें ?

(स्वीकृत)

क्लॉजेज़ १० और ११ विधेयक में अंग रूप से जोड़े गये।

(विराम)

क्लॉज १२

डॉ० बहादुरसिंह।

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर): उपाध्यक्ष महोदय, क्लॉज १२ पर मेरा संशोधन है : "Omit part 3rd of this clause."

उपाध्यक्ष महोदय, जिस समय हम इस विधेयक पर विचार कर रहे थे, इस सदन के अनेक माननीय सदस्यों ने एतराज किया था कि परिवार का मुखिया हो उसको इस सम्बन्ध में नहीं पकड़ा जाय, उसके परिवार का कोई दूसरा व्यक्ति अपराध करता है तो उसके अपराध के लिये मुखिया जिम्मेदार न समझा जाय। मैं इस बात को मानता हूँ कि जो व्यक्ति दोषी है उसको ही सजा दी जाय और परिवार के मुखिया को उस अपराध की मालूम है और उस अपराध के करने में उसकी स्वीकृति है तो निश्चित रूप से वह उस जुर्म का भागी हो सकता है। पर उपाध्यक्ष महोदय, यहां तो वही किया जा रहा है जैसी कि कहावत है :

"जीभ का कसूर और सिर पर बोझ पड़े"

अगर घर वाला कोई काम करे, किसी व्यक्ति को मालूम नहीं कि उसके परिवार के अन्दर कौन व्यक्ति किस प्रकार की गड़बड़ कर रहा है। परिवार का मुखिया जयपुर या दूसरी जगह रहता है या उपेक्षित तौर पर रहता है, उसको अन्दाज तक नहीं कि मेरा इतना बड़ा मकान है उसमें किसने क्या गड़बड़ की है, किसने उसके मकान में किस तरह का काम किया है तो दूसरों के द्वारा किये गये अपराध के लिये उसे जिम्मेदार ठहरायेंगे तो यह उसके

(डॉ० बहादुरसिंह)

साथ अन्याय होगा। जो व्यक्ति इस प्रकार का जुर्म करता है तो उसको निश्चित रूप से सजा मिलनी चाहिये। आज हमारा नैतिक स्तर है वह ऐसा है कि एक दूसरे के प्रति विरोध की भावनाएं रहती हैं। उसमें भी इस प्रकार का जुर्म आ सकता है जिससे बहुत से लोग राजनैतिक फायदा उठाने की कोशिश कर सकते हैं। एक व्यक्ति मेरे विरुद्ध है और इस बात की कोशिश में है कि किसी तरह जनता की निगाहों में मुझे नीचा दिखाया जाय तो मेरी प्रेमिसेज में नाजायज शराब रख कर कोशिश कर सकता है कि मुझे पब्लिक में डिफेम करे। तो इस प्रकार का क्लॉज रखना आवश्यक नहीं। हमें सारे अधिकार मिले हुए हैं कि किसी के पास नाजायज शराब मिलेगी तो उसके साथ इस प्रकार का व्यवहार किया जायेगा। एक संयुक्त परिवार है। उस घर में ऐसी चीज मिलती है जो एक्साइज के कानून के अनुसार उस चीज का मिलना जुर्म माना जाता है तो जिस पोर्शन से वह चीज मिली है उस पोर्शन पर जिस व्यक्ति का अधिकार है उस व्यक्ति को ही इसके लिये सजा मिलनी चाहिये; न कि परिवार के मुखिया को जिसको पता तक नहीं है। एक परिवार में चार बालिग पुत्र हैं या बालिग व्यक्ति हैं, दूसरे छोटे-छोटे लोग हैं। उनमें इस प्रकार के लोग हो जाते हैं जो पेरेन्ट्स के अधिकार के बाहर हो जाते हैं, उनके कसूर की परिवार के मुखिया को सजा मिलना अन्याय है। नाबालिग ने भी किसी प्रकार का जुर्म किया है तो उसको ही सजा मिलनी चाहिये; न कि पेरेन्ट्स को। यदि पेरेन्ट्स को सजा मिलती है तो उसको क्या सबक मिलेगा? उसे कोई फायदा मिलने वाला नहीं है। जैसे कि विरोधी दल के सदस्यों ने कुछ इस प्रकार के आक्षेप किये थे, उस तरह के आक्षेप आ सकते हैं। मेरे इलाके में इस प्रकार की एक घटना घटी। उसको थोड़े से में मैं यहां पर निवेदन कर देना चाहता हूँ। असिस्टेन्ट एग्रीकल्चर एक एन्क्वायरी करने गये थे और उनकी मोटर में से नाजायज शराब का एक टिन पकड़ा गया। वैसे देखा जाय तो उसकी जिम्मेदारी ड्राइवर पर थी। इसी प्रकार एक राजनैतिक नेता दौरे में जाय और उसकी गाड़ी में नाजायज शराब कोई व्यक्ति ड्राइवर से मिल कर डाल दे और पब्लिक की निगाहों में उसे डिफेम करने की कोशिश करे ....

श्री रामचन्द्र (डग-मु०) : शराब पीना जुर्म माना गया है, रखना कोई जुर्म नहीं माना गया है।

डॉ० बहादुरसिंह : आप इस क्लॉज़ को देखेंगे तो स्पष्ट हो जायेगा कि उस व्यक्ति को पता तक नहीं, उसकी बड़ी कोठी है, बड़ा मकान है, उसको बाउन्डरी वाल ढाई, तीन फीट की है उसमें कोई नाजायज शराब की बोतल रख देता है और एक्साइज़ इन्सपेक्टर को सर्च के लिये ले आता है। तो न्यायालयों के इस बारे में निर्णय हैं कि यह कोई जुर्म नहीं है, उनके अनुसार किसी व्यक्ति के पजेशन में, ताले में बन्द चीज पकड़ी जाय वह जुर्म माना जाता है।

तो मेरा यह संशोधन है और मैं सदन के माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि इसके पार्ट थर्ड को हटा दिया जाय।

(अनेक माननीय सदस्यों के बोलने हेतु खड़े होने पर)

Page No.71

श्री उपाध्यक्ष : रावल श्री नरेन्द्रसिंह ।

रावल श्री नरेन्द्रसिंह (दूदू): उपाध्यक्ष महोदय, धौलपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो संशोधन प्रस्तुत किया है मैं उसका समर्थन करता हूँ। कसूर तो करे कोई और सजा भुगते दूसरा! एक फेमिली के सीनियर मेम्बर को उस अपराध में पकड़ा जाता है जिस अपराध को उसकी फेमिली के किसी सदस्य ने किया है और उसके लिये उसको सजा दी जाती है तो यह अन्याय होगा। एक बड़ी फेमिली है! उसमें चार बेटे हैं, पांच, चार पोते हैं। आज कल के पीनेवाले, केवल शराब पीनेवाले परिवारों में से ही नहीं, जिन जातियों में शराब पर पूरा प्रतिबन्ध था शराब कोई नहीं पीता था उन जातियों में भी आज कल के नौजवान शराब की तरफ बहुत अग्रसर हो रहे हैं। तो मेरे विचार में तो इस क्लॉज को विलोपित कर दिया जाय तो अच्छा रहेगा क्योंकि इसका असर बहुत बेढंगा पड़ेगा। एक फेमिली का बड़ा आदमी है, मुखिया है वह बिना किसी अपराध के, बिना किसी मतलब के बलिदान का बकरा बन जायेगा। इसलिये इसको विलोपित कर दिया जाय।

श्री लक्ष्मीचन्द (सांचोर) : माननीय उपाध्यक्ष. डॉ०बहादुरसिंहजी ने जो अमेंडमेंट रखा है मैं उसका समर्थन करता हूँ। इस क्लॉज की मंशा यह है कि एक फेमिली का मुखिया चाहे वह बेगुनाह हो, चाहे उसको नॉलेज में वह जुर्म नहीं भी हो तो भी उसको दोषी ठहराना चाहिये। इसको विलोपित करने के लिये अमेंडमेंट रखा गया है वह ठीक है। क्योंकि मन्त्री महोदय ने जो रखा है उसके अनुसार चूंकि फेमिली को डिफाइन नहीं किया गया है, उस फेमिली के सभी मेम्बर्स को इस कानून की ओट में शिकार बना सकते हैं। आज वक्त ऐसा है कि पत्नी पति का कहना नहीं मानती, पुत्र पिता का कहना नहीं मानता। वह तो पहले का वक्त था कि पुत्र आज्ञाकारी होता था पत्नी पति का कहना मानती थी। पर आज कोई किसी का कहना नहीं मानता। हर आदमी चाहता है कि उसके अधिकारों की रक्षा हो। वैसी हालत में फेमिली के मुखिया को परेशान करने की गरज से दोषी करार देते हैं तो उचित नहीं होगा। कानून के अन्दर उसको दोषी ठहराना चाहिये जो दोषी है। बाप ने जुर्म किया है तो बाप को सजा मिलनी चाहिये, बेटे ने जुर्म किया है तो बेटे को सजा मिलनी चाहिये और पत्नी ने जुर्म किया है तो पत्नी को दोषी ठहराना चाहिये। फेमिली के मुखिया को मालूम नहीं। बड़ा मकान है, बाड़ा है, नोहरा है, चौक है, जंगल में खेत हैं कहीं भी कोई नाजायज शराब रख दे और कुटुम्ब के मुखिया को उसके लिये दोषी ठहराया जाय तो इसका उपयोग सदुपयोग नहीं कहा जा सकेगा। यह ऑफिसर पर जिम्मेदारी होगी। जिस व्यक्ति को ऑफिसर चाहेगा वह उसको इससे फांस सकेगा और जिसको वह चाहेगा उसको निकाल भी सकेगा। आप कहते हैं कि इस कानून का डिस्क्रीशन कोर्ट पर होगा। एक आदमी को चंगुल में फांसने पर उसको कितना प्रयत्न करना पड़ेगा जिससे उसका छुटकारा हो जाय? राइट या रोंग उसको मुकदमें में कोई अफसर इन्वोल्व कर दें तो लोग डाउट करने लगते हैं उस पर। कोई यह समझता है कि ऐसा हुआ होगा और कई यह समझते हैं कि बेगुनाह को फंसाया होगा। अपनी पोजीशन को सही रूप में बताने के लिए

(श्री लक्ष्मीचन्द)

उसको बड़ी भारी दिक्कत होगी। कानून तो ऐसा होना चाहिये जिससे कोई भी कानून का दुरूपयोग न करें। कानून बनाते वक्त यह सोच कर चलें कि भावना क्या थी। लेकिन भावना का इम्प्लीमेन्टेशन किस तरह का होता है? यह मत मानो आप कि जो हम यहां बैठे हुए इसका इम्प्लीमेन्टेशन कर रहे हैं वही इम्प्लीमेन्टेशन दूसरे भी करेंगे। उसको इम्प्लीमेन्ट करने वाली दूसरी ऑथोरिटी है और वह कई आदमियों को इस प्रकार से इसका शिकार बनावेंगे। इसलिए मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि इस सेक्शन को ही डिलीट कर दें।

श्री दयाकृष्ण विजय (छबड़ा) : माननीय उपाध्यक्ष, धारा १२ के अन्दर धौलपुर से आये माननीय सदस्य ने जो संशोधन रखा है मैं उसका समर्थन करता हूँ। मैं निवेदन करना चाहूँगा कि इस बिल को विचारार्थ लेने से पूर्व जब इस पर विचार किया जा रहा था तो उस समय भी यह बात कही गई थी कि यह धारा नई बढ़ाई जा रही है, नई सब्स्टीट्यूट की जा रही है इस धारा से कोई भी विशेष लाभ होने वाला नहीं है; बल्कि स्थिति इससे बड़ी विकट होने वाली है। जो व्यक्ति निर्दोष है, जिसका किंचित् मात्र भी अपराध से सम्बन्ध नहीं उसको भी येनकेन प्रकारेण अधिकारी फांसेंगे, उसको भी अपराधी घोषित करवाने की चेष्टा करेंगे।

माननीय उपाध्यक्ष, यह जो इसके अन्दर रखा गया है उसमें एक शब्द रखा गया है वह शब्द है "प्रेमिसेज"। इसका मतलब यह होता है कि जितना बड़ा मकान है, बाड़े हैं, नोहरे हैं आदि उसमें आ जाते हैं। इसके अतिरिक्त हाउस शब्द का प्रयोग किया गया होता तो मकान के जिस भाग में रहता है तो उसके मालिक की बात होती। किसी की प्रेमिसेज़ में जाकर कोई भी बिना उसके मालिक की जानकारी के कोई भी अवैधानिक कार्यवाही की जा सकती है। जिस व्यक्ति की प्रेमिसेज में जाकर अवैध रूप से शराब बनाई जाती है जो कि उसकी कल्पना तक में नहीं है इस धारा के रखने से एक्साइज़ विभाग के जितने अधिकारी एवं व्यक्ति हैं वे इसका दुरूपयोग करके मकान के मालिक को फांस सकते हैं; जब कि उस व्यक्ति को यहां तक मालूम भी नहीं है कि उसकी बाउन्डरी में अवैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

गांवों में आपने देखा होगा कि लोगों के मकान होते हैं बाड़े होते हैं। वे लोग उनमें न रह कर, रहने के लिए दूसरा होता है, उनमें पशु बांधते हैं, वे पशु बांधने के काम में आते हैं जिनको नोहरा कहते हैं। रहने का मकान और होता है और नोहरा अलग जिनमें हाली वगैरह लोग जाते हैं। मालिक तो वहां शायद कभी जाता भी नहीं। यदि हाली वगैरा से मिल कर कोई व्यक्ति उन नोहरों-बाड़ों में कोई अवैधानिक कार्यवाही करे, नाजायज तौर पर शराब निकाले तो जब कि उसके मालिक को बिल्कुल मालूम नहीं है फिर भी इस धारा के द्वारा उसको पकड़ लिया जायेगा। उपाध्यक्ष महोदय, इसके लिए कई उदाहरण हैं। एक्साइज़ विभाग के इन्सपेक्टर, जो सुपरविजन करते हैं वे इस प्रकार के केसेज़ पकड़ते हैं। उनकी भावनायें तो इस प्रकार की होनी चाहिये कि अपराधी

Page No.73

(श्री दयाकृष्ण विजय)

को अपने अपराध का दंड मिलना चाहिये। लेकिन हमारा अपना अनुभव है उसके आधार पर कह सकते हैं कि एक्साइज़ विभाग के जितने अधिकारी, इन्सपेक्टर्स आदि है वे नाजायज़ तरीके से लोगों को परेशान करते हैं और उनसे कुछ रुपया बना कर उनको छोड़ देते हैं। आप कहेंगे कि स्पष्ट उदाहरण दीजिये। कई उदाहरण दिये जा सकते हैं। मैं समझता हूँ कि माननीय मंत्रीजी अच्छी तरह से जानते हैं कि किस प्रकार से पुलिस विभाग और आबकारी विभाग एक ही शक्ति का प्रयोग एक ही तरह से करते हैं। पुलिस विभाग के होने वाले जुल्म और ज्यादतियां तो आप जानते ही हैं कि किस प्रकार से वे जबर्दस्ती मकानों में घुस कर मालिक को पकड़ कर परेशान करते हैं। किसी भी प्रेमिसेज़ में जाकर इसी प्रकार से एक्साइज़ विभाग के अधिकारी उस मालिक को पकड़ सकते हैं। यदि मालिक ने अपराध नहीं किया है और अधिकारी उसको दोषी बना देते हैं तो फिर उसके पास बचने के कोई भी साधन नहीं हैं। बचने का साधन केवल एक ही है कि जो अधिकारी उसको पकड़ता है उसको वह घूंस दे दे। अगर आप इस क्लॉज़ के द्वारा इस प्रकार के अधिकार उनको दे देगें तो उन एक्साइज़ विभाग के अधिकारियों द्वारा मैंने अभी कहा उन्हीं तरीकों को काम में और लाने के लिए उनके हाथ मज़बूत करने के अधिकार देते हैं, किन्तु नाजायज़ तौर पर शराब रोकने के लिए नहीं। उन लोगों के लिए एक मार्ग और खोल रहे हैं जिससे जनता परेशान हो जायेगी और अवैध शराब का बोलबाला और भी अधिक होने का डर रहेगा क्योंकि अपराधी भी बच जायेगा। यह मैं कल्पित आधार पर नहीं कह रहा हूँ; किन्तु उपाध्यक्ष महोदय, प्रत्यक्ष प्रमाण मौजूद है और मंत्री महोदय चाहें तो बताये जा सकते हैं। तो ऐसी शक्ति जिसकी कोई सीमा नहीं है, निउद्धृत है, इस प्रकार की शक्ति कुछ व्यक्तियों के हाथ में देना चाहते हैं, एक्साइज़ विभाग के उन छोटे २ व्यक्तियों के हाथों में देना चाहते हैं जो मकान मालिक को पैसे एँठने की दृष्टि से परेशान करेंगे तो एक तरह से भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलेगा और जो समाज व्यवस्था है उसको भी बिगाड़ने वाली है, यह उसके प्रतिकूल है। कानून बनाते वक्त एक ही बात को ध्यान में नहीं रखना चाहिये कि एक ही अपराध को यह रोकने के लिए है लेकिन उसके साथ साथ यह भी देखने की आवश्यकता है कि कहीं उससे अन्य अपराध तो नहीं बढ़ेंगे। इस धारा को लेकर पहले काफी विवाद हो चुका है और अभी भी हुआ है। यदि प्रेमिसेज़ शब्द को बदल कर हाउस शब्द करेंगे तो यह आपका मकसद हो कि जो लोग इस प्रकार से हाऊस को, अपने मकान को बेफिक्री से छोड़ देते हैं वे नहीं छोड़ सकेंगे। लेकिन इससे भी एक्साइज़ अधिकारी के चुंगुल में न फंस जायेंगे; यह सम्भव नहीं है। इस धारा को यदि रखा जाता है तो इसका प्रयोग ठीक प्रकार से नहीं होगा और लोगों की परेशानियां बढ़ेंगी। इसलिए इसको हटा ही दें तो अच्छा होगा।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी (डीग) : उपाध्यक्ष महोदय,....

श्री रामचन्द्र चौधरी (आबकारी मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, स्पष्टीकरण कर दूं।

श्री उपाध्यक्ष : स्पष्टीकरण कर दें।

श्री रामचन्द्र चौधरी : अध्यक्ष महोदय, इस पर पहले भी चर्चा चली और आज भी चर्चा चली है। बहुत से माननीय सदस्यों की भावना यह है, हैड ऑफ दी फेमिली को जिम्मेवार न ठहराया जाय। पहला कानून जैसा कि मौजूद है उसमें भी इस प्रकार का प्रोवीजन है जिस घर से इस तरह के नाजायज शराब निकालने का सामान भट्टी वगैरह मिलेगी वह उसके लिये जिम्मेवार होगा जब तक कि कोर्ट साबित न करदे कि वह जिम्मेदार नहीं। इसमें साफ तौर से अमेन्डमेन्ट द्वारा लगाया गया है यह पहले कानून में भी प्रावधान मौजूद है आप सब की जब यह भावना है कि यह नहीं होना चाहिये तो मैं धौलपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो अमेन्डमेन्ट रखा है उसको स्वीकार करता हूँ और इसको डिलीट करता हूँ।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो संशोधन क्लॉज़ १२ पर प्रस्तुत किया गया है उसे स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज १२ संशोधित रूप से विधेयक का अंग बने।

(स्वीकृत)

क्लॉज १२ संशोधित रूप से विधेयक का अंग बना।

(विराम)

क्लॉजेज़ १३ व १४

प्रश्न यह है कि क्लॉजेज़ १३ और १४ विधेयक के अंग बने।

क्लॉज़ १३ व १४ विधेयक में अंग रूप से जोड़े गये।

(स्वीकृत)

(विराम)

क्लॉज़ १५, डॉ० बहादुरसिंह।

(अनुपस्थित)

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ १५ विधेयक का अंग बने।

(स्वीकृत)

क्लॉज १५ विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया।

(विराम)

क्लाजेज़ १६ से १८ एवं शीड्यूल।

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉजेज १६,१७ व १८ इन्क्लुडिंग शिड्यूल विधेयक के अंग बनें।

(स्वीकृत)

क्लॉजेज़ १६,१७ व १८ इन्क्लुडिंग

(श्री उपाध्यक्ष)

शिड्यूल विधेयक में अंग रूप से जोड़े गये।

(विराम)

क्लॉज १, टाइटिल, प्रिएम्बल इत्यादि।

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज १, टाइटल, प्रीएम्बिल इत्यादि विधेयक के अंग बनें।

(स्वीकृत)

क्लॉज १, टाइटल, प्रीएम्बल इत्यादि विधेयक में अंग रूप से जोड़े गये।

श्री रामचन्द्र चौधरी (आबकारी मन्त्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि राजस्थान एक्साइज (अमेन्डमेन्ट) बिल, १९६१ को पारित किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

श्री दयाकृष्ण विजय (छबड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, इस बिल को तृतीय वाचन के पश्चात् सदन द्वारा पास किया जायेगा। इस समय मैं इस बारे में निवेदन करना चाहता हूँ कि राजस्थान के अन्दर आबकारी की आय यद्यपि काफी अधिक है अगर राजस्थान के अन्दर मद्य निषेध योजना का निश्चय किया गया तो आबकारी मंत्री महोदय यह कहेंगे कि अगर हम राजस्थान में मद्य निषेध की योजना को हाथ में लेते हैं तो उससे राजस्थान की आमदनी के ऊपर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ने वाला है। इस कारण बार बार जब कभी ऐसे अवसर आते हैं, इस प्रकार का प्रश्न उठाया जाता है; माननीय मन्त्री महोदय द्वारा हमेशा यही उत्तर दिया जाता है। पहले जब इस प्रकार का प्रश्न सदन के अन्दर उपस्थित हुआ उस समय माननीय दा साहब इस विभाग के मंत्री थे। उनके सामने जब प्रश्न आया वे हमेशा सर्वोदयी विचार के व्यक्ति रहे हैं और गांधीजी के बहुत बड़े अनुयायी रहे हैं....

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) : अब भी हैं।

श्री दयाकृष्ण विजय : अब होंगे या नहीं, यह मैं नहीं कहता। मैं निवेदन....

श्री उपाध्यक्ष : Let it not be treated as a controversial issue.

श्री दयाकृष्ण विजय: बार बार गांधीजी इस प्रकार से कहा करते थे कि देश के अन्दर जितनी आम जनता है और वह तबका जिसको हम बहुत शोषित तबका कहते हैं, जिसको बहुत निर्धन, गरीब तबका कहते हैं वह तबका जिसका शोषण इस शराब के कारण हो रहा है उसको इससे किस प्रकार से बचाया जा सकता है; उनके जीवन स्तर को किस प्रकार से ऐसा बनाया जा सकता है जिससे वह इस प्रकार शराबखोरी में अपना जीवन बर्बाद न करे, तो उसका एक मात्र उपाय है भारतवर्ष में मद्य निषेध को लागू करना। इस योजना को सख्ती के साथ लागू करें। मुझे याद है कि गांधीजी के समय इस कार्य में काफी प्रयत्न

(श्री दयाकृष्ण विजय)

किया गया। यद्यपि गांधीजी समाज सुधार के आधार पर चलते थे, मैं नहीं कहता यदि आज वे उपस्थित होते तो वे इसको कानून के जरिये से पाबन्द करने की बात करते या नहीं, लेकिन कानून से भी काफी असर होता है। हालांकि समाज सुधार जहां करना होता है वहां जन जागृति बहुत आवश्यक है। बिना समाज को उस बुराई को बताये हम समाज को उसके लिये अग्रसर नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी हमें खुशी है जहां जन प्रतिनिधि आकर कानून बना कर किसी बात को रोकना चाहें हमें उस प्रकार का कदम उठाना चाहिये। लेकिन जिस समय दा साहब के पास यह विभाग था उनके समय में इस प्रकार की बात नहीं आई। मैं यह नहीं कहता दा साहब इस विचार के नहीं कि राजस्थान में मद्य निषेध न किया जाय। लेकिन राजस्थान की सरकार की इस प्रकार की इच्छा है उसके विपरीत वे कुछ करना नहीं चाहते। लेकिन मैं यह कहना चाहता हूँ कि अभी दिल्ली के अन्दर मद्य निषेध सप्ताह मनाया गया। वहां केन्द्रीय सरकार के वित्त मंत्री महोदय ने इस प्रकार का विश्वास दिलाया है कि अगर राज्य सरकारें अपने यहां मद्य निषेध को लागू करेंगी और उससे जो हानि होगी वह सारी केन्द्रीय सरकार वहन करेगी। इस प्रकार का विश्वास जब केन्द्र के मंत्री महोदय द्वारा मिल जाता है फिर राज्य सरकार उसके अनुसार कदम नहीं उठाती है; मैं समझता हूँ इसमें हमारी उदासीनता ही प्रगट होती है अगर राजस्थान में एक बात नहीं होती विदेशी शराब पर प्रतिबन्ध लगाये। यहां पर महुवे से भी शराब बनायी जाती है, दूसरे और तरीके भी हैं जैसा कि प्रभारी मंत्रीजी ने बताया आज तो स्पिरिट को जो पेय नहीं है उसकी भी शराब बनाई जा रही है जिससे स्वास्थ्य खराब होता है और इस प्रकार की शराब बनने पर प्रतिबन्ध लगाया गया है। हालांकि इस प्रकार का प्रावधान जो रखा गया है उसका मैं स्वागत करता हूँ। आप अपने प्रयत्न से इस चीज को रोक रहे हैं कि जो मनुष्य के पीने योग्य चीज नहीं, यह श्रेयस्कर है। लेकिन कुछ ऐसी चीजों को रोक देने से ही हमारी जो मूल समस्या है उसका हल नहीं होता।

राजस्थान के लोगों के जीवन स्तर को उठा कर देखें तो राजस्थान की जो आबादी है डेढ़ करोड़ की उसमें एक करोड़ लोग ऐसे हैं जो गांवों के अन्दर रहने वाले हैं। उन लोगों के अन्दर इस प्रकार के लोग हैं जिनके कुछ आजीविका के साधन नहीं। दिन भर मेहनत करते हैं और उससे जो प्राप्ति होती है वह रात्रि को उस दूकान पर स्वाहा कर आते हैं ताकि दिन भर में जो थकान हो गई थी उससे वे रिलीफ पा सकें। एक तरफ तो उनका पैसा खर्च होता है जब प्रातः उसकी खुमारी उतरती है, वे अपने बच्चों को भूख के मारे तड़पते देखते हैं, देवियों को अनाज के लिये कहते हुए देखते हैं तो ऐसी दयनीय स्थिति उनकी हो जाती है कि उनके प्रति लोगों की सहानुभूति प्रगट हो जाती है। आज ऐसे लोगों की हालत खराब है। आज अगर हम समाज सुधार के काम को हाथ में लेते हैं तो हमें उसके लिये भी कानून बनाना होगा। आज हम देखते हैं समाज कल्याण की जीपें घूमती हैं समाज सुधार के लिये; लेकिन सही तौर पर देखा जाए तो उन लोगों को उनका

(श्री दयाकृष्ण विजय)

जीवन स्तर उठाने का ध्यान नहीं। उनमें जो बुराइयां हैं उनको हम कठोरता से नहीं दमन करते हैं तब तक मैं समझता हूँ उनका जीवन स्तर ऊंचा नहीं हो सकता।

(३. म. प.)

तो मैं यह कहना चाहता हूँ कि जहां आप इस छोटे कानून को बनाने जा रहे हैं वहां हमें मद्य निषेध की इस पूरी योजना को बड़ी कठोरता से लाना चाहिये था। हमें जो प्रारम्भ में कार्यक्रम का एजेन्डा मिला था उसमें पूर्ण मद्य निषेध जैसी बात भी थी। पर इससे तो ऐसा लगता है इस चीज से सरकार हटती जा रही है। इस प्रकार का विधेयक लाकर तो केवल खाना पूर्ति की जा रही है। इस तरह से तो आप जितनी रोक लगावेंगे लोग दूसरे रास्ते निकाल लेंगे। जिसको आप टालते जा रहे हैं उसको पहले लेना था तो ये छोटी मोटी रोक लगाने की बातें बार बार नहीं करनी पड़ती। पानी मिला मिला कर बेच सकते हैं, वे मोटरें और हवेलियां बनाते जा रहे हैं आज इन ठेकेदारों की उन्नति हो रही है पर जनतन्त्र में जिस जनता की उन्नति होनी चाहिये, जिसकी तरक्की होनी चाहिये वह आप नहीं कर पा रहे हैं और यह आप तब तक नहीं कर सकेंगे जब तक सम्पूर्ण रीति से इसको लागू नहीं कर देते। आप ऐसे लोगों को पूंजीपति मत बनने दीजिये पर उन गरीबों का जिनका स्तर ऊंचा उठाने की आपने प्रतिज्ञा ली है उसके लिये प्रयत्न करने की दृष्टि से कदम उठाइये। मैं वैसे इसके विरुद्ध नहीं हूँ। इस अवसर पर यही बात कहना चाहता हूं।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी (डीग) : उपाध्यक्ष महोदय, यह जो आबकारी विधेयक के तृतीय वाचन पर हम विचार कर रहे हैं इस सम्बन्ध में मेरी भी यह मान्यता है कि नैतिक दृष्टि से भी और एक समाज सुधार की दृष्टि से भी अच्छा तो यह होता कि आज इस साधारण से संशोधन के स्थान पर एक महत्वपूर्ण संकल्प या विधेयक आता कि हम राजस्थान राज्य में पूर्ण मद्य निषेध लागू कर रहे हैं। आज जिस स्वास्थ्य के लिये आप इसे बन्द कर रहे हैं, वह एक अंश में आप स्वास्थ्य का ध्यान रख रहे हैं इसी स्वास्थ्य को पूर्ण रूप से अगर ध्यान में रखना चाहते हैं तो मद्य और अन्य नशीली वस्तुएं भी सारी की सारी स्वास्थ्य को नष्ट करती हैं। पर मद्य के साथ में तो और भी एक बात है नैतिक चारित्र के नष्ट होने की। जैसे अंग्रेजी में एक कहावत है: "If health is lost, something is lost, if wealth is lost, nothing is lost," पर इससे भी बड़ी महत्व की चीज है। उसके लिये कहा है:–

"if character is lost, everything is lost." तो मेरी तो यह मान्यता है कि शराब और नशीली चीजों से स्वास्थ्य नष्ट होता है। यह भी बहुत बुरी चीजें हैं पर उससे भी यह अधिक बुरी चीज है कि उससे नैतिक पतन भी होता है मनुष्य का। यह संशोधन लाकर यह तो अच्छा किया कि जहरीली वस्तु थी, जिससे नकली पेय बनता था वह न पी सके तो इस दृष्टि से तो इसका सभी स्वागत और समर्थन करेंगे पर जो इसके पीछे असल भावना है और जिसके लिये इस देश के कर्णधार और बड़े बड़े हितचिन्तक स्वराज्य मिलने के पहले से यह स्वप्न ले रहे थे कि देश में

(श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी)

शराबबन्दी पूर्ण रूप से हो जाय और इस तरह से गरीबों के नैतिक और शारीरिक दोनों स्वास्थ्य की रक्षा हो सके और स्वराज आने के बाद जो यह सोच रहे थे कि अब हमारी वे भावनाएं मूर्त रूप धारण करेंगी, हमारे वे पुराने सपने अपने राज्य में साकार होंगे जो सपने बापू ने देखे थे, औरों ने देखे थे। वास्तव में बापू की यह भावना थी कि देश में से यह बुराई अविलम्ब हटा दी जाय। इसी भावना से प्रेरित होकर ३० वर्ष पहले इर्विन के साथ समझौता करते वक्त भी बापू ने यही कहा था कि मैं अपने इस देश में पूर्ण शराब बन्दी चाहता हूं। बापू की भावना इस बारे में इतनी तीव्र थी कि जिस वक्त बीच में स्वायत्त सरकारें बनी थीं, प्रादेशिक सरकारें बनी थी उस वक्त भी यह प्रश्न उन सब के सामने रखा था कि केवल इसे आय की दृष्टि से न देखा जावे, आय से अधिक क्षति हमारे यहां के लोगों के नैतिक चरित्र की हो रही है, तो इसके बन्द करने से आय भले ही बन्द हो जाय पर इससे नैतिक स्तर ऊंचा होगा जो आय की दृष्टि से कई गुना अधिक कीमती होगा।

इसी चीज को अभी भी हमारे केन्द्रीय वित्त मन्त्रीजी ने दिल्ली में एक सम्मेलन बुला कर सभी राज्य सरकारों के सामने रखा है। इसमें महाराष्ट्र ने पूर्ण मद्य निषेध करके कोई हानि उठाई हो, यह नहीं है, लाभ भी हुआ है, यह तथ्य सामने आया है। वहां जो चर्चा हुई उससे साबित हुआ कि यह संशय निर्मूल है कि मद्य निषेध से हमें आर्थिक हानि होगी। कमी सिर्फ साहस की है। इसमें और भी खामियां और कारण हैं जिनकी वजह से हम इससे घबराते हैं। पर घबराने से काम नहीं चलेगा, साहस से काम लेना होगा और इस मद्य निषेध को तो आज या कल हमें पूर्ण रूप से लागू करना ही होगा।

इस विधान सभा के इस सत्र का यह अन्तिम अधिवेशन है। अगर ऐसे अवसर पर हम इस प्रकार के एक क्रान्तिकारी विधेयक को पास करके उठे होते तो वास्तव में हमारी राजस्थान सरकार को वही गौरव इस बार भी प्राप्त होता जैसा गौरव हमने पंचायती राज्य कायम करके हासिल किया था या बहुत से भूमि सुधारों के कामों को करके प्राप्त किया था।

तो इस दृष्टि से इस विधेयक को मैं कोई बहुत बड़ा महत्वपूर्ण और क्रान्तिकारी कदम तो नहीं समझता, पर हां, कुछ लोगों का स्वास्थ्य जो अधिक प्रभावित होता वह रुक सकेगा या कुछ लोग जो चोरी से ऐसी चीजें बनाते हैं शायद वे भयभीत हो सकेंगे; केवल इस दृष्टि से मैं इसका स्वागत करता हूँ और आशा यह करता हूँ कि जिस प्रकार हमारे प्रभारी मन्त्री महोदय ने इस विधेयक को लाने में तत्परता बताई है वैसे ही देश को कलंकित करने वाली और हमारे नैतिक और चारित्रिक दोनों तरह का पतन करने वाली इस शराब के लिए पूर्ण निषेधात्मक विधेयक बहुत शीघ्र ही लायेंगे।

(३.१० म० प०)

(श्री आबिदअली, सभापति, पदासीन)

रावल श्री नरेन्द्रसिंह (दूदू) : माननीय चेयरमैन महोदय, आबकारी विधेयक के

(रावल श्री नरेन्द्रसिंह)

ऊपर जैसा कि मन्त्री महोदय ने उपस्थित किया है काफी चर्चा हो चुकी है। मैं तो यह निवेदन करूंगा कि एक तरफ से देखा जाये तो अगर समय आ गया है और यह हाई टाइम है और ऐसे मौके पर हिम्मत करके वित्त मन्त्री महोदय और आबकारी मन्त्री महोदय इसको तुरन्त बन्द करने के लिए प्रश्न उठायें और राजस्थान की करोड़ों जनता के लिए इस लाभ की चीज को उठाने की चेष्टा करें। यह कहा जाता है और यह डींग मारी जाती है कि राजस्थान बहुत सी चीजों में अग्रसर हो रहा है और इससे दूसरे प्रान्तों को भी शिक्षा लेनी चाहिये। लेकिन इस प्रकार का कानून जारी रहेगा और मद्य निषेध नहीं होगा तो मैं तो यह समझता हूँ कि आज करीब स्वतन्त्रता की उपलब्धि को १४ वर्ष हो गए अगर ऐसी चीज के लिए कोई व्यवस्था नहीं हुई तो यह मैं अत्यन्त हेय चीज समझूंगा।

यह किया जा रहा है तो इसमें दो चीजों की गन्ध आ रही है। जैसा कि अभी डीग से आने वाले माननीय सदस्य ने अपने भाषण के दौरान में सवाल उठाये थे कि यह सवाल यों उठाया जाता है कि कटुता नहीं रहे और गन्ध कम हो जाये। तो मैं तो यह समझता हूँ कि इसमें उन्हें मालूम नहीं है और मालूम तो मुझे भी नहीं है कि गन्ध के बारे में तो खैर सूंघा ही जाता है लेकिन चखने के अन्दर जाने किस चीज का स्वाद रहता है। लेकिन इसके अन्दर यह गन्ध आ रही है कि आबकारी मन्त्री और वित्त मन्त्री महोदय इसके लिए ऑर्डर लेने के लिए राजस्थान की जनता ही नहीं प्रत्युत भारत की जनता भी अग्रसर होकर एक आवाज उठा रही है तो यह मंत्री महोदय इसके लिए हिम्मत करके कदम नहीं उठा रहे हैं। मैं सचेत करना चाहता हूँ कि इस समय यह चीज नहीं हुई और इसके अतिरिक्त क्या खबर आगे आने वाला समय कैसा उपस्थित होता है तो ऐसे मौके पर जरूर इसके लिए कदम उठाना चाहिये। यहां सरकार द्वारा व्यवस्था की गई। शराब और विदेश से आई हुई शराब पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है और प्रतिबन्ध है तो उसके लिए है कि कोई नाजायज तरीके से शराब निकालता हो। नाजायज़ और जायज़ की व्याख्या ही बहुत कठिन है। मैं तो यह समझता हूँ कि यह शराब किस तरह से बनाई जाती है। गुड़ के पीछे वाला रद्दी पदार्थ रह जाता है ...

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) : सीरा।

रावल श्री नरेन्द्रसिंह : सीरा समझें या हलुवा समझें, कुछ भी समझें; उससे यह निकाली जाती है। तो लोगों का खयाल है कि वह ज्यादा हानिकारक है; बनिस्बत लोगों के इन्डीजीनस तरीके से शराब निकालते हैं उससे। लोग इसको ठीक समझते हैं। बड़ी महंगी शराब जो विदेशों से आती है उसके लिए जितने भी पीने के क्लब और रेस्टोरेन्ट हैं वहां कोई प्रतिबन्ध नहीं रखा जा रहा है। जो शराब बाहर से आती है आज उसका प्रचलन बढ़ता जा रहा है। मुझे मालूम है कि जोबनेर में एक शराब की भट्टी थी और वह भी कभी काम में नहीं आई लेकिन मेरे अन्दाजे में आज आपको सैकड़ों भट्टियां मिलेंगी....

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी (डीग) : आपके होते हुए भी ?

रावल श्री नरेन्द्रसिंह : तो मैं क्या करूं ? इनके होते हुए जब हो रहा है । मैं जिस समय था उस समय तो कतई नहीं निकालते थे । लेकिन आज जो निकाल रहे हैं इसके लिए तो इनको श्रेय दिया जाये या हेय दिया जाये, कुछ भी समझ लीजिए । यह तो मन्त्री महोदय को देने की आवश्यकता है । मेरा तो इसमें है ही क्या ? तो मैं तो निवेदन करूंगा कि जैसे यह निकालने का सवाल है आपके सब ऑर्डर्स डेड लैटर्स रहेंगे । मेरे अन्दाजे में इसका कोई असर नहीं होगा । अगर यह चीज यों की यों रहे तो मेरे अन्दाजे में यह स्वतंत्रता के राज्य में कलंक की चीज होगी । इसके लिए जैसा कि कई बार कह दिया गया है गांधीजी महाराज हमारे सदन में बैठे हुए मंत्रियों के ही नहीं हम लोगों के भी अग्रणी रहे हैं तो आपको हिम्मत करके इस प्रश्न को हल करने की कोशिश करनी चाहिये और जैसा कि यह भी कहा जाता है कि इसको करने से ज्यादा नुकसान होता है और ज्यादा नुकसान को रोकने के लिए यह व्यवस्था हो रही है तो मेरे खयाल से गवर्नमेंट की शराब है उसके सबब से भी नुकसान ही नुकसान होने की बात है और फायदे की कोई सूरत नहीं है । देखा जाये तो इसी शराब के सबब से श्रीकृष्ण भगवान् के देखते हुए उनके बड़े भाई जो बलदेवजी थे वह आला दर्जे के शराब पीने वाले थे और उनके अलावा और भी जो भोग-विलास में अग्रणी थे वह सब श्रीकृष्ण के चरणों में खतम हो गए । इसके लिए मेरा तो खयाल यह है कि इसको तुरन्त बन्द करने की कोशिश की जाये । मैं तो यहां तक कहूंगा कि गवर्नमेंट इस विधेयक के द्वारा नाजायज़ शराब को बन्द करना चाहती है और इस जायज़ शराब के लिए मोहर लगा कर यह व्यवस्था करती है इसको भी बन्द किया जाये ।

श्री सभापति : श्री हीराभाई ।

श्री हीराभाई (कुशलगढ़) : माननीय चेयरमैन महोदय, आज जो एक्साइज़ बिल सदन में पारित होने जा रहा है अब यह समझ में नहीं आता कि हम इस तरह से कानून बनाते चले जायें और आमदनी की मन्शा से कार्यवाही करते हैं लेकिन नशे का जहां सवाल है अगर हमें समाजवादी समाज हमारे देश में लाना है और समाज को बुराइयों से दूर करना है तब तो ऐसे बिलों से समाज को कोई फायदा होने वाला नहीं है ।

माननीय चेयरमैन महोदय, सन् ४८ में जब कि शायद हमारे वित्त मंत्री हरिभाऊ उपाध्याय और हम एक साथ थे और मध्य प्रदेश में हमने नशा बन्दी आन्दोलन चलाया था उस वक्त वहां राजस्थान और मध्य प्रदेश की तमाम जनता की भावना हो गई थी कि नशा बिल्कुल बन्द किया जाय उस वक्त हम लोगों को रतलाम और इन्दौर की जेलों में ८, ८ दिन तक बैठाया गया था और फिर पहाड़ पर ले जाकर छोड़ दिया था और वहां से वित्त मंत्री महोदय ने तार दिया था कि जेल नहीं की गई तो फिर सरकार हम को मोटरों में पहाड़ों पर से ले आई । ३, ३ दिन तक पहाड़ों पर हमारी चराई हुई थी । जब कि हम को शासन कब्जे में करना था तब तो बहुत अच्छा कदम उठाया था और उस समय ४४४ भट्टियां भारत सरकार ने तोड़ दी थी । उस

(श्री हीरा भाई)

वक्त की वही नीति निर्धारित करते चले जाते तो नशा बन्दी कर सकते थे।

जो मंत्री महोदय आन्दोलन चलाने वाले थे उनके हाथ में एक्साइज़ डिपार्टमेंट आने के बाद फिर उस दारू को आमदनी का जरिया ढूंढ लिया। शायद गये साल से वह विभाग बंट गया है। दारू को आमदनी का जरिया ढूंढ लिया लेकिन उस वक्त हमको जो मार खिलाई उसका कोई जिक्र नहीं है। हमको बहुत तरह से मारा और जंगलों में ले जाकर छोड़ा और रोटी और पानी से मोहताज किया। फिर भी हमारे देश का शासन हमारे हाथ में आया तो यह हालत है। यह मुश्किल बात हो गई। कहने और करने में कितना अन्तर पड़ जाता है ? फिर जनता में अविश्वास पैदा नहीं हो तो क्या होगा ? फिर ठीक है शासन का विरोध करते चले जायं। अगर आप दारू को चालू करना चाहते हैं तो लोगों को परेशान नहीं करें। जो दारू इंग्लैण्ड से आता है उसमें भी कोई भट्टी पर जाकर बैठता है कि क्या किस चीज का बनता है? पावडर का बनता है या किस का, उसका पता नहीं है। दारू भी देश में चालू रखना जरूरी हो जाता है। इस तरह से चालू रखना चाहते हैं तो छोटे से बिल का सवाल नहीं है। नशा मात्र इतनी खराब चीज है कि नशा करने से आदमी मर जाता है, उसके घर वालों को नुकसान होता है और कई तरह से रिश्वत और भ्रष्टाचार पैदा होता है। तो उस तरह से बन्द करना है तो मैं समझता हूँ कि यह बिल लाने की जरूरत नहीं। मैं समर्थन में हूँ कि नशा बन्दी करनी चाहिए, लेकिन इस बिल के समर्थन में नहीं हूँ। इससे आप पूंजीपति को और पूंजीपति बनाना चाहते हैं सब तरह से। नाजायज दारू के बहाने से गरीबों को दारू अपने आप बना कर नहीं पीने दें और पूंजीपति का दारू देश में बिकायें। अगर आज किसी तरह से गरीब आदमी चार आने का नशा करके अपनी नींद को अच्छी मान लेता है तो आप उस पर तलवार टांगते हैं और दूसरे पूंजीपति लोग हैं उनको साहस दें कि बाहर से ला ला कर बेचें। इसका मतलब यह नहीं हुआ कि आप समाजवादी समाज की स्थापना करना चाहते हैं। आप भाई भतीजों को पूंजीपति बनाते जा रहे हैं और खुद बनते जा रहे हैं। एक जमाने में दारू बन्दी की दुहाई देकर सरकार बनाने जा रहे थे और जब सरकार बन चुकी है तो दारू का व्यापार करते हैं।

सरकार ने यह सोच विचार नहीं किया कि हम नाजायज शराब पर प्रतिबन्ध लगाने जा रहे हैं। लेकिन मध्य प्रदेश और दूसरे आसपास के प्रदेशों में से महुए की ट्रक की ट्रक और वैगनें की वैगनें चली आती हैं। क्या उनका सरकार को मालूम नहीं है? यह महुआ कैसे लाने देती है ? महुए की खुली छूट दे रखी है एक्साइज विभाग ने। व्यापारी लोगों को, ठेकेदारों को और पूंजीपतियों को छूट दे रखी है महुआ बेचने की। दूसरी तरफ आप कहते हैं कि नाजायज दारू निकालेगा उसको सजा होगी। यह तो उसी तरह की बात हो गई कि चोर से कहें कि फलांने घर में अच्छी मालियत है वहां डाका डालो, चोरी कर लो और घर धणी से कहें कि तोप–तलवार लेकर तैयार रहो ताकि यह ढेर का ढेर खतम हो जाय, ताकि हमको मौका मिलता रहे। या तो आपकी यह भावना है कि नाजायज दारू को बन्द करना है तो ट्रकों और वैगनों से जो महुआ आता

(श्री हीरा भाई)

है हमारे राजस्थान में, शायद उस तरफ नहीं आता होगा, लेकिन मध्य प्रदेश और साथ का इलाका है वहां से ट्रकों से महुआ आता है और एक्साइज विभाग के कर्मचारी और इन्सपेक्टर जानते हैं और उन्हीं ट्रकों में बैठ कर आते हैं। महुए के आने पर कन्ट्रोल नहीं और नाजायज दारू बनाने वालों पर कन्ट्रोल करना चाहते हैं ! महुआ जो जा रहा है वह नाजायज दारू के लिए तो न कहीं जा रहा है महुआ कई काम में आता है। हरी भरी घास के समय सावन–भादों में मवेशियों को खिलाने के लिए तो नहीं ले जाता है। महुआ आखिर में दारू निकालने के लिए ले जाता है, लेकिन फिर भी रोकते नहीं हैं। डाकन की मां को मारने में बड़ा भारी पाप है जो कि भ्रष्टाचार पैदा करती है लेकिन दारू पर गरीब लोग जो निर्वाह करते हैं उनको मारने और धन इकट्ठा करने के लिए इस तरह का प्रोविजन करके राज्य की आमदनी पैदा कर रहे हैं। महुए को बन्द कर दिया जाय तो दारू लोग नहीं निकालेंगे, न लोगों पर जुर्माना होगा, न लोग गिरफ्तार होंगे और न एक्साइज वालों में भ्रष्टाचार फैलेगा। दूसरा जुर्माना खजाने में नहीं जायेगा। इसलिए महुआ बेचने वाले ठेकेदारों पर कोई कन्ट्रोल नहीं है, सिर्फ पीने वालों पर कन्ट्रोल है जो अपनी मजबूरी के कारण पीते हैं। एक एक बोतल १०, १५ या १००) रु० की मिलती है वह तो पी सकता है लेकिन चार आने की मर्जी से बना कर नहीं पी सकता। लेकिन आपकी दारू चालू रखने की मर्जी है और लोगों का खून करवाना है, क्योंकि नशे में कई लोग खून करते हैं और कई तरह का भ्रष्टाचार करते हैं, ठेकेदारों को पनपाना है इसलिए दारू बन्दी की बात नहीं सोच कर उसकी व्यवस्था की जाती है। मैं समझता हूँ कि इससे देश-का निर्माण नहीं होने का है। देश की बर्बादी की जा रही है।

बांसवाड़ा में और बैकवर्ड एरिया में खुले दारू बेचने की छूट दे रखी है। क्या मैं जान सकता हूँ कि वह खुला दारू किस भाव में मिल सकता है? वहां एक बोतल ढ़ाई, तीन रुपये में मिलती है। उसमें एक पाव दारू होगा और तीन पाव पानी होगा। ऐसा मिला कर वह ठेकेदार दारू बेचता है। जो कलाल लोग हैं उनकी तमाम की बेई-मानी को दूर करें तो खुला दारू क्यों रखा ? खुला दारू बेचने की छूट रखी क्यों? वह इलाका ऐसा है कि वहां बम्बई प्रेसीडेन्सी लगती है। वहां वालों को खराब करते हैं ठेकेदार और आपके दारू की दुकान वाले लोग।

दूसरी बात, साथ में एक चर्चा यह भी हुई थी कि बांसवाड़े में माही का बांध बन रहा है और वहां पर बड़े बड़े लोग–इन्जीनियर, ओवरसियर लोग आकर काम करते हैं, मजदूर काम करते हैं और वह नाजायज दारू लाते हैं और सरकार को घाटा देते हैं। मध्य प्रदेश के रतलाम और दूसरी जगह इन्दौर आदि से दारू चला आता है। एक तरफ तो हम नशा बन्द करने की बात करते हैं और दूसरी तरफ हम नशा चालू रखना चाहते हैं तो मतलब यह हो सकता है कि खुला दारू बन्द कर दिया जाय और बंद बोतलों में बेचने की दूकानें खोली जायं ताकि गरीब

(श्री हीरा भाई)

आदमी का काम हो सके वर्ना नहीं हो सकता है। अगर इसको बेवाजिब समझते हैं मंत्री महोदय तो मैं निवेदन करूंगा कि आप मद्य निषेध कानून का बिल लाने की कोशिश करेंगे ताकि हमारे देश में खराबियां, भ्रष्टाचार, बदमाशियां चलती हैं वह सब दूर हो सकती हैं। इसलिए मैं आशा करूंगा कि इस बिल से कोई सहूलियत नहीं होगी।

रावल श्री नरेन्द्रसिंह (दूदू) : मैं तो यह समझता हूँ कि तीनों मिनिस्टर महोदय इस बात का विचार कर रहे हैं तो आज ही पास होने का सवाल रहता होगा, लेकिन मुझे यह डर लगता है जैसा कि कल वित्त मन्त्रीजी फर्मा रहे थे, दो,तीन वर्ष में हम सोच रहे हैं हो जायेगा। लेकिन यह चुनाव का वक्त है इस समय हो जावे तो वोट को चौथ हो जायेगी।

श्री रामचन्द्र (डग-सु०) : सभापति महोदय, राजस्थान आबकारी कानून में आज हमारे माननीय आबकारी मन्त्रीजी ने जो विधेयक के रूप में संशोधन रखे हैं मैं उनको सामयिक समझता हूं और मैं उनका स्वागत करता हूं।

सभापति महोदय, मैं तो यह चाहता हूं कि जिस प्रकार मद्य निषेध को अधिक प्रबल बनाने के वास्ते जो संशोधन इस विधेयक में रखे गये हैं वे ही वाजिब हैं।

मैं तो यह चाहता हूँ कि एक कमेटी का निर्माण किया जाय और वर्तमान आबकारी कानून की और और धाराओं में, मद्य निषेध को और प्रबल बनाने के लिये उचित हो वहां आइन्दा मीटिंग में एक दूसरा बिल लाना चाहिये।

सभापति महोदय, आबकारी कानून राजस्थान का दूसरा कानून है, क्योंकि भारत के आजाद होने के पहले पूज्य बापूजी ने मद्य निषेध करना इस देश का एक प्रमुख कर्त्तव्य समझा था और इस आजादी के आन्दोलन में भी मद्य निषेध में सफलता प्राप्त करने के लिये और दारू बंदी पर रोक लगाने के लिये जगह जगह धरणे दिये गये और यहां तक हुआ कि इस देश के हजारों व्यक्तियों को जेल में डाला गया। पूज्य बापूजी ने इस देश के स्वतन्त्र होने के बाद कुछ योजनाएं रखी थीं और उन योजनाओं में एक मद्य निषेध की भी योजना थी। उनकी हार्दिक इच्छा थी कि जब तक इस देश में मद्य निषेध नहीं हो जायेगा तब तक इस देश का उत्थान नहीं हो सकता और यही वजह है कि उन्होंने जो अपने पंच सूत्री कार्यक्रम रखे थे जैसे हरिजन उद्धार, खादी और मद्य निषेध आदि उनमें मद्य निषेध को भी एक स्थान दिया गया था।

इस बात को ध्यान में रखते हुए जब भारत का संविधान बना और कांग्रेस सरकार बनी तब पूज्य बापूजी की इस प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिये इस देश के माननीय नेताओं ने यह प्रतिज्ञा की कि इस बुराई को अगले कुछ वर्षों में हम दूर कर देंगे और तब से भरसक प्रयत्न किया जा रहा है कि हमारे यहां पर मद्य का व्यवहार दूर हो जाय। मद्य व्यवहार एक ऐसी चीज है जिसका प्रभाव पब्लिक के पर्स पर पड़ता है और साथ ही साथ सरकार की आमदनी पर भी। यदि उसका

(श्री रामचन्द्र)

असर पब्लिक तक ही सीमित होता तो मैं समझता हूँ राजस्थान सरकार अब तक बहुत अधिक कामयाबी हासिल कर लेती। लेकिन मद्य की बिक्री से राजस्थान सरकार को जो आमदनी होती है थोड़ी बहुत उस आमदनी को छोड़ कर मद्य निषेध को पूर्ण तौर पर सफल बनाने में अब तक राज्य सरकार नाकामयाब रही है। क्योंकि जब जब मद्य निषेध का प्रश्न आता है तो राजस्थान सरकार यह महसूस करती है कि मद्य निषेध करना आवश्यक है लेकिन इससे राज्य के कोष पर जो प्रभाव पड़ता नजर आता है उससे फौरन झिझकती है। इसलिये हमारे राज्य में अब तक मद्य निषेध नहीं हुआ। इसका मूल कारण यह है कि हमारी आर्थिक परिस्थिति ऐसी नहीं है कि हम मद्य निषेध का पूर्ण रूप से प्रचार कर सकें। तो सभापति महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि आमदनी यद्यपि मद्य की बिक्री से जरूर होती है और सरकार को इससे करोड़ों रुपयों की आमदनी होती है, लेकिन साथ ही साथ एक बुराई फैली हुई है उसको दूर करना भी राज्य सरकार का कर्त्तव्य हो जाता है। तो मैं निवेदन करूंगा कि अब राजस्थान सरकार इस प्रकार का कदम उठावे कि शनैः शनैः चाहे मद्य की बिक्री से होने वाली आमदनी कम हो जाय लेकिन साथ ही साथ मद्य का प्रचार राजस्थान में नहीं बढ़ना चाहिये। उसके लिये मैं निवेदन करूंगा कि केवल कानून-कायदे अनुसार नहीं बल्कि और और देशों के अनुसार भी, अमेरिका जैसे देश में जहां पर मद्य निषेध को सफल बनाने के लिये प्रयत्न किया गया, वहां पर इसके लिये सोसाइटीज़ जगह जगह बनाई गईं जिन्होंने घूम घूम कर जनता को मद्य से होने वाली बुराइयों को चित्रों द्वारा, व्याख्यानों द्वारा और मेजिक लेन्टर्न्स के द्वारा पब्लिक में प्रचार किया जाता है। मैं देखता हूं कि राजस्थान में इस प्रकार की सोसाइटीज़ और सभाएं कहीं नहीं होती हैं। मैं निवेदन करूंगा कि जैसे राजस्थान में विकेन्द्रीकरण को सफल बनाने के लिये बहुत से प्रोग्राम रखे हैं उसी प्रकार के प्रोग्राम, हमारे विलेज़ पंचायत और पंचायत समिति स्तर पर मद्य निषेध करने की बाकायदा एक योजना जरूर बनावें और प्रत्येक पंचायत समिति में इस प्रकार का मद्य निषेध का कार्यक्रम नियमित रूप से होना चाहिये; क्योंकि यह बुराई जो है वह आज राजस्थान में धीरे धीरे फैल चुकी है। इसलिये हम चाहते हैं कि गांव वालों को इस बुराई से बचावें। यदि सक्रिय कदम उठाना है तो पंचायत समितियों के द्वारा ही उठाना चाहिये। इसलिये जैसे अन्य योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिये सरपंच और प्रधान पर जिम्मेदारी डाली जाती है उसी प्रकार मद्य निषेध और शराब बन्दी को कामयाब बनाने के लिये निश्चित् प्रोग्राम पंचायत समितियों के सुपुर्द करना चाहिये।

इसके साथ साथ मैं यह भी कहूंगा कि कुछ बातें ऐसी हैं जिनकी वजह से राज्य सरकार, माफ कीजिये यदि मैं कहूँ कि एक रूप से वह खुद मद्य निषेध नहीं करना चाहती है इसलिये जो बातें अब तक रह गई हैं, प्रगति नहीं हुई है वे बातें रोक दी जावें तो मुझे विश्वास है कि राजस्थान में मद्य निषेध सम्पूर्ण रूप से हो सकता है और वह यह है कि आज महुए की बिक्री के लिये जैसे मेरे और भाइयों ने कहा, मैं भी कहता हूँ कि

(श्री रामचन्द्र)

हमारे राजस्थान में जिस प्रकार महुए की पैदावार है और बिक्री है उसकी बिक्री पर नियंत्रण होना चाहिये। जिस कदर महुए की पैदावार हो वह राज्य को पैदावार हो। जिस प्रकार अफीम की पैदावार पर नियंत्रण रहता है उसी प्रकार महुए पर भी रहे। जिस कदर पैदावार हो उसे राजस्थान की डिस्टिलरीज को भेजा जाय और नाजायज़ रूप से किसी के पास पाई जाय तो कानूनी जुर्म माना जाय....

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) : महुए में ग्लुकोज़ होता है।

श्री सभापति (श्री आबिदअली) : माननीय सदस्य विधेयक की सीमा पर बोलें। १४ या १५ जितने क्लॉजेज़ हैं उनकी सीमा में बोलिये।

श्री रामचन्द्र : मुझे थोड़ा सा और निवेदन करना है, फिर समाप्त करता हूँ...

श्री सभापति : कृपया अपने सुझावों के लिये जो क्लॉज़ हमारे सामने हैं उन पर बोलिये।

श्री रामचन्द्र : एक सुझाव दिया, दूसरा निवेदन करता हूँ। माना कि शराबबन्दी से आमदनी कम होगी। आमदनी कम तो होगी खास कर राज्य सरकार को लेकिन हम शनैः शनैः चाहते हैं। राज्य सरकार की ओर से शराब की बिक्री के सम्बन्ध में आदेश समय समय पर निकलते हैं कि बिक्री का स्टेन्डर्ड और माप-दण्ड कम नहीं होना चाहिये; इस प्रकार के आदेश नहीं निकलने चाहिये। लेकिन पब्लिक को अपनी मर्ज़ी के अनुसार शराब बेचने और अधिक प्रोत्साहन करने के लिए कोई विशेष कदम नहीं उठाया जाय, यही मेरा निवेदन है।

श्री रामचन्द्र चौधरी (आबकारी मन्त्री) : माननीय सभापतिजी, माननीय सदस्यों ने ज्यादातर मद्य निषेध पर अपने विचार प्रकट किये। वैसे तो मैंने पहले भी निवेदन किया था कि कांग्रेस का सिद्धान्त है कि सारे देश में नशाबन्दी लागू करना है और इस ध्येय को लेकर कुछ प्रदेशों ने तो बहुत पहले बिल्कुल शराब बन्दी कर दी थी लेकिन कुछ प्रदेशों में अब तक उस तरफ कोई सक्रिय कदम नहीं उठाया जा सका है। उसके कुछ कारण हैं, जैसे कि आप में से कई लोगों ने बताया था कि जैसे ही हमारी पंचवर्षीय योजना शुरू हुई तो उसके साथ साथ डवेलपमेंट के बहुत ज्यादा काम शुरू हुए और उनमें बहुत ज्यादा पैसा लगना शुरू हुआ। उस कारण बहुत सी रियासतों या बहुत से प्रदेशों ने, जिन स्टेट्स ने नशाबन्दी पहले लागू नहीं की वे फिर नहीं कर पाये। इस बात को ध्यान में रखते हुए देश के बहुत से लोगों ने आवाज उठाई कि हमें चाहे कितना ही नुकसान हो, चाहे हम डवेलपमेंट वर्क्स में आगे न बढ़ सकें, फिर भी नशाबन्दी को सारे देश में लागू करना चाहिए। इस बात को लेकर अभी कुछ दिन पहले इस महीने के शुरू में दिल्ली में एक नशाबन्दी कॉन्फ्रेन्स भी हुई थी और उसमें करीब करीब भारत की सारी स्टेट्स के रीप्रजेन्टेटिव थे जिन्होंने अपनी दिक्कतों को भी सामने रखा

(श्री रामचन्द्र चौधरी)

लेकिन वे सब करीब करीब इस विचार के जरूर थे कि तृतीय पंचवर्षीय योजना के अन्त तक सारे देश में नशा बन्दी या शराब बन्दी लागू हो जानी चाहिए।

अपने प्रदेश में इस आने वाले पांच साल में एक्साइज़ से, मेरा अनुमान है कि ३० करोड़ के लगभग आमदनी होगी। एक माननीय सदस्य जो कोटा से आने वाले हैं, उन्होंने कहा कि जब हमारे भारत के वित्त मंत्री ने यह आश्वासन दे दिया है कि जितनी भी शराब बन्दी से आमदनी कम होगी उसकी पूर्ति करेंगे; यह शायद उनको गलतफहमी है। हमारे वित्त मन्त्रीजी श्री मुरारजी देसाई ने कहा था वह यह था कि हम भी सेन्ट्रल से उनको जो कमी आयेगी उनकी आमदनी में उसकी ५० प्रतिशत तक कमी पूरी करेंगे। अगर हम इस बात को मानें कि ५० प्रतिशत हमारी आमदनी की पूर्ति वे करेंगे तो उस सूरत में भी करीब १२ करोड़, अगर हम लागू करें तो १२ करोड़ इस तृतीय पंचवर्षीय योजना में हमारे कम होते हैं। १२ करोड़ रुपये की कमी होती है, इसका मतलब है कि १ रुपया जहां हमारा लगता है तो हमको प्लान के लिए २ रुपये और मिलते हैं सेन्ट्रल से। तो जो प्लान के लिए इमदाद मिलने वाली है वह भी कम होगी। तो जितने रिसोर्सेज़ हम इकट्ठा करेंगे उसका दुगुना पैसा हमें प्लान के लिए ऊपर से मिलता है। तो ३६ करोड़ के लगभग की हमारे इस प्रदेश में, अगर आज ही नशाबन्दी लागू करें तो उससे कमी आयेगी। ३६ करोड़ से भी ज्यादा हो जाय, शायद ४० करोड़ की कमी आये या ४५ करोड़ की कमी आये। तो उस कारण हमको कितने डवेलपमेंट वर्क्स कम करने पड़ेंगे; यह आप सब के लिए विचारणीय विषय है। फिर भी आमदनी के लिहाज से, नशाबन्दी का जो प्रोग्राम अपने सारे देश में अपनाया जायेगा उसमें पीछे नहीं रहेंगे। जो नीति अभी आने वाले समय में, चार महीने में सारे देश के लिए अपनाई जायेगी उसमें राजस्थान एक कदम भी पीछे नहीं रहेगा और नशा बन्दी का जो प्रोग्राम बनेगा उसमें हमें पूर्ण सहयोग देंगे। यह जान कर बड़ी खुशी और उत्साह भी है कि इस सदन के सारे माननीय सदस्य, चाहे वे उस ओर बैठते हैं, चाहे सदन के इस ओर बैठते हैं, इस बात पर सब ने जोर दिया है कि नशाबन्दी जल्दी से जल्दी लागू की जाय और इसमें आप लोगों के सहयोग से, आप लोगों की सद्भावना से जितनी जल्दी फेज प्रोग्राम बना सकेंगे वे बनाये जायेंगे। जैसा मैंने निवेदन किया था दो दिन पहले कि इस असेम्बली के कार्यकाल के खतम होने से पहले एक निश्चित नीति नशाबन्दी की इस सदन के सामने रख दी जायेगी जिस पर सरकार अभी गम्भीर तौर पर विचार कर रही है और मेरा ऐसा ख्याल है कि आने वाले तीन, चार महीने में, जो हमारी स्पष्ट नीति होगी वह आपके सामने रख देंगे। इससे ज्यादा मैं इस वक्त और कुछ इस विषय में नहीं कह सकता।....

श्री भैरोंसिंह (श्रीमाधोपुर) : इस प्रोहीबिशन के सम्बन्ध में इस समय स्पष्ट नीति नहीं है ?

श्री रामचन्द्र चौधरी : मैंने अर्ज किया था....

श्री सभापति : आपके आने से पहले वे डिफीकल्टी बता चुके हैं।

श्री रामचन्द्र चौधरी : पूर्ण नशाबन्दी की तरफ हम बहुत आगे नहीं बढ़ पायेंगे और हम किसी हद तक बढेंगे, इस साल बढेंगे, अगली साल बढ़ेंगे। आगे आने वाले चार सालों में जो हमारा फेज्ड प्रोग्राम होगा उसको पूरा कर लेंगे। जो फेज्ड प्रोग्राम होगा उसको आपके सामने रखने के लिए हम तैयार हैं और मेरे खयाल से आगे आने वाले दो, तीन महीने में उस पर विचार कर लिया जायेगा और आपके सामने....

श्री भैरोंसिंह : कोई टारजेट डेट होगी ?

श्री रामचन्द्र चौधरी : टारजेट डेट तो नहीं बता सकता। मैंने टाइम बता दिया है कि प्रजेन्ट असेम्बली के कार्यकाल समाप्त होने से पहले यह निश्चित है कि जो हमारा प्रोग्राम होगा....

श्री भैरोंसिंह : वह तो आप बतायेंगे फेज्ड प्रोग्राम। फेज्ड प्रोग्राम के लिए टारजेट डेट निश्चित कर रखी है कि थर्ड फाइव ईयर प्लान में टोटल प्रोहीबिशन लागू कर देंगे ?

श्री रामचन्द्र चौधरी : मैंने अर्ज किया था इसके विषय में हम गम्भीरता से विचार कर रहे हैं और इस पर निर्णय नहीं किया गया है। जब निश्चय ले लिया जायेगा तब बता दिया जायेगा।....

श्री भैरोंसिंह : ऑल इंडिया सेमीनार में क्या किया है ?

श्री रामचन्द्र चौधरी : ऑल इन्डिया सेमीनार में, आप थे नहीं तब मैंने बतलाया था, इस पर विचार किया था। करीब करीब जो लोग आये थे उन्होंने विचार व्यक्त किये थे और जो उनके सामने कठिनाइयां थीं वे उनके सामने रखीं। फिर करीब करीब सब ने ऐसा मान लिया था कि थर्ड फाइव ईयर प्लान में देश में नशाबन्दी जरूर हो जानी चाहिए।

रावल श्री नरेन्द्रसिंह (दूदू) : मैंने भय बताया था कि इस वक्त कर देने से वन फोर्थ नम्बर वोट का है वह शायद चुनाव के अन्दर कम हो जाय ? यह भी सोचने की बात है।

श्री रामचन्द्र चौधरी : इस बात से घबराने की बात नहीं है उससे वोट कम हो जायेंगे। मेरे खयाल से तो वोट बढ़ेंगे, कम नहीं होंगे। यह ठीक बात है कि पीने वाले इसको बुरा मानें लेकिन उनका पर्सेन्टेज़ है, वह ५ पर्सेन्ट ६ पर्सेन्ट से ज्यादा नहीं है। इससे ज्यादा पर्सेन्टेज़ हमारे यहां नहीं पाया जाता।

श्री भैरोंसिंह : एक क्लेरीफिकेशन आपकी आज्ञा से और चाहता हूं मामूली सा। हमारी सरकार ने एक कमेटी नियुक्त की थी; पंचायत इलेक्शन की इवेल्युएशन कमेटी अपोइन्ट की थी। उस कमेटी ने सरकार के सामने रिपोर्ट पेश की है कि राजस्थान की लगभग ९५ पर्सेन्ट जनता प्रोहीबिशन के पक्ष में है। आज के दिन ९५ पर्सेन्ट जनता की विशेज़ को सरकार किस प्रकार पूरा नहीं कर पा रही है ? ९५ पर्सेन्ट जनता की विशेज़ होने के बाद आपके सामने क्या कठिनाई है कि लागू नहीं हो ? ये सारी परिस्थितियां हैं;

(श्री भैरोंसिंह)

उनके बावजूद डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ६५ पर्सेन्ट जनता की विशेज़ को क्यों नहीं कम्प्लाई कर पा रही है ?

श्री रामचन्द्र चौधरी : मैं जिस बात को अभी अर्ज कर चुका हूं मुझे फिर दोहरानी पड़ती है।

श्री सभापति : No interruptions please.

श्री रामचन्द्र चौधरी : प्रश्न एक है और वह यह कि हमारे यहां एक्साइज़ की आमदनी ३० करोड़ होने वाली है और इसको अगर बन्द करते हैं तो करीब २५ करोड़ का नुकसान पड़ता है। अगर हमको ५० पर्सेन्ट सेन्टर देती है जैसा हमें आश्वासन मिला है कि आधा सेन्ट्रल गवर्नमेंट देगी तो भी हमको १२॥ करोड़ की कमी रहती है। इसकी प्लान में कमी पड़ती है। मैं नहीं समझता कि ३७॥ करोड़ के प्लान में किस मद में कम किया जावेगा। यह एक बहुत गम्भीर विषय हमारे सामने है कि किस डवेलपमेंट वर्क को कम करें जिससे हम अपने उद्देश्य में सफल हो सकें।

यह जो डिफिकल्टी हमारे सामने है वह मैंने आपके सामने रखी है। इसके अलावा किसी भी माननीय सदस्य ने इस बिल पर कोई एतराज नहीं किया है। इसलिये जिस शक्ल में यह है उसे पास किया जावे। यही मेरा आप लोगों से निवेदन है।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि राजस्थान एक्साइज़ (अमेंडमेंट) बिल, १९६१ पास किया जाये ?

(स्वीकृत)

विधेयक पारित किया गया।

राजस्थान पंचायत समिति एवं जिला परिषद् (द्वितीय संशोधन) विधेयक, १९६१

(विचार आस्थगित)

श्री सभापति : Shri Satish Chandra Agarwal ! Resolution to move.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जोहरी बाजार, जयपुर) : सभापति महोदय, यह जो राजस्थान पंचायत समिति और जिला परिषद् (संशोधन) अध्यादेश, १९६१, अध्यादेश संख्या ५ जारी किया गया उसके सम्बन्ध में माननीय मंत्री अगर थोड़ा स्पष्टीकरण कर दें तो मैं सम्भवतः अपने संशोधन प्रस्ताव को मूव न करूं।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय (पंचायत मन्त्री) : सभापति महोदय, अभी कुछ समय पहले पंचायत समिति और जिला परिषद् (संशोधन) अध्यादेश, १९६१, अध्यादेश संख्या ५ जारी किया गया था उसको रीप्लेस करने के लिये किया गया है। यह बहुत मामूली बात है। अब तक पंचायतों के चुनाव होते थे उनमें कॉन्शन के लिये उम्मीदवार खड़े होते थे और हार जाते थे। इसमें उनके लिये इलेक्शन पीटिशन करने का अधिकार उनको नहीं था। उन लोगों ने समझा कि उनको अधिकार है इसलिये उन्होंने इस प्रकार की इलेक्शन पीटिशन दायर की और बाद

(श्री हरिभाऊ उपाध्याय)

में यह पाया गया कि कानून में इस प्रकार का कोई प्रावधान नहीं है जिससे इलेक्शन पीटिशन चल सके । जब यह बात सरकार के सामने आई तो सरकार ने इस पर विचार किया और इसलिये यह ऑर्डिनेन्स जारी किया गया । अब इसको विधेयक के रूप में प्रस्तुत किया गया है ।

श्री सभापति : Yes, Mr. Satish Chandra Agarwal.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : I am satisfied with the reply and I don't want to move the motion.

श्री हरिभाऊ उपाध्याय(पंचायत मंत्री): सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि इस बिल को पारित किया जावे ।

श्री भैरोंसिंह (श्रीमाधोपुर) : यह विचारार्थ लिया जावे ।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : इसको विचारार्थ लिया जावे ।

श्री भैरोंसिंह (श्रीमाधोपुर) : सभापति महोदय, जो राजस्थान पंचायत समिति और जिला परिषद् सेकिन्ड अमेंडमेंट बिल, १६६१ सदन में विचारार्थ प्रस्तुत किया गया है, यह एक ऑर्डिनेन्स की शक्ल में पहले राजस्थान में लागू किया गया था । सभापति महोदय, इस सेशन में जितने ऑर्डिनेन्स पेश किये गये हैं उन ऑर्डिनेन्सेज़ के बारे में सदन में काफी चर्चा हुई है । सदन के सभी माननीय सदस्यों ने ऑर्डिनेन्स को जारी करने की पद्धति का काफी विरोध किया है । इस विरोध के बावजूद भी जैसे सरकार ने कोई विचार कर लिया हो कि अब के समय का सेशन राजस्थान विधान सभा का ऑर्डिनेन्सेज़ का सेशन होगा इस प्रकार से काफी ऑर्डिनेन्स जारी किये और हमारे सामने विचारार्थ प्रस्तुत किये । कई पारित हुए और कइयों को अभी पारित करना है । यह ऑर्डिनेन्स जिन मसलों को लेकर जारी किया गया है उस बात का मैं विरोध नहीं करता, क्योंकि इस कानून में आवश्यकता इस प्रकार के संशोधन की थी और इसके अनुसार यह कानून सदन में प्रस्तुत किया गया है ।

इसमें भी जहां सरकार ने दो बातों के रीलीफ की बात कही, जो भी ये धाराएं हैं, संशोधन होने के बाद, जिस दिन से कानून बना है उस दिन से लागू होंगी और हमने यह व्यवस्था कर दी है कि जिन माननीय सदस्यों ने जो कोऑप्शन में नहीं आ सके उन्होंने कोऑप्शन में नहीं आने की वजह से उसके अगेन्स्ट पीटिशन कर रखी है और उनको ऐसा करने का कानूनी हक नहीं था; उनके लिये हमने यह व्यवस्था कर दी कि उनकी पीटिशन दुबारा सुनवाई करने के लिये कोर्ट ले लें ।

श्री सभापति : यही है इसमें ।

श्री भैरोंसिंह : इसमें लिखा है :

"(2) If before the 31st day of August, 1961, any petition presented by any such candidate, as is referred to in the proviso to sub-section (1),

(श्री भैरोंसिंह)

shall have been dismissed on the ground that he did not happen to be a member of the Panchayat Samiti or the Zila Parishad, as the case may be, such dismissal shall be liable to be set aside on the application of the original petitioner for review presented to the Judge within a period of forty days from the said day."

इसलिये तारीख रखी है कि इस दिन तक जज के सामने पेन्डिंग पीटिशन्स हैं वे भी डेल्ट की जावेंगी और यह भी प्रोविजन रखा गया है कि इस दिन तक जो भी पीटिशन्स डिसमिस हो गई हैं जिन्होंने पीटिशन की थीं वे भी सेट-एसाइड की जावेंगी और इसके लिये रिव्यू की जा सकती है। हमने ऑर्डिनेन्स जारी किया है और यह ऑर्डिनेन्स इसलिये कि हमने पहले ओरिजिनल एक्ट में कोई इसके लिये प्रावधान नहीं रखा। सरकार ने यह रखा है इसलिये कि जिन लोगों को किसी प्रकार की ग्रीवेन्स हो वे कोर्ट में जा सकें। इसमें यह प्रश्न पैदा होता है कि सरकार सिद्धान्त रूप में इसको स्वीकार करती है जैसा कि यह बिल प्रस्तुत किया है उससे मालूम होता है। लेकिन जो व्यक्ति कोऑप्शन के अगेन्स्ट पीटिशन ले सके और हार गये उनके लिये व्यवस्था की है। जब हम मूल में इसको स्वीकार करते हैं तो यह बात रहती है कि जिन्होंने पीटिशन कर दी थी उनको तो रीलीफ मिल जावेगा। लेकिन जो समझदार हारे हुए व्यक्ति ने पीटिशन के प्रोविजन के अभाव में वकीलों से सलाह ली हो और वकीलों ने उसे पीटिशन करने से मना किया हो और उस कारण उसने पीटिशन नहीं किया हो उसको कोई रीलीफ नहीं दिया गया है। मैं यह कहूंगा कि हम एक सिद्धान्त को मानते हैं। किसी व्यक्ति ने गलती से पीटिशन कर दी। यदि उसको किसी ने ऐसा करने के लिये कानूनी सलाह दी या नहीं या किसी वकील ने गलत सलाह दे दी और उसने गलती से ऐसी पीटिशन कर दी उसको तो हम आज प्रीमीयम देते हैं। लेकिन किसी ने कानून की योग्यता होने के कारण पीटिशन नहीं की तो हम उसको दंड देते हैं। जब सरकार एक बात को मन्जूर करती है, हमारी गलती हो या कानून बनाने वालों की गलती से पीटिशन फाइल के प्रोविजन न होने के कारण उसने पीटिशन फाइल नहीं किया है तो उसके लिये कोई न कोई रीलीफ देना ही होगा। मगर यह यहां पर नहीं दिया गया है। इसलिये जैसा मैंने पहले कहा, गलती जो करता है उसको इनाम मिलता है और जो ईमानदारी रखता है उसको दंड मिलता है। मगर इस प्रकार की बात हमारे वित्त मन्त्री से कानून में रह जाए; मैं आशा नहीं करता। मैं समझता हूं कि इस प्रकार की कमी के लिये वे स्वयं भी दिल में विचार करेंगे तो उनको यह विश्वास होगा कि कई व्यक्ति ऐसे रह गये हैं जिन्होंने पीटिशन फाइल नहीं करना चाहा क्योंकि कानून में कोई प्रोविजन नहीं था।

हालांकि मैंने कोई ऐसा एमेंडमेंट मूव नहीं किया है फिर भी यदि मन्त्री महोदय चाहें तो उनकी तरफ से या वे आज्ञा दें तो मैं इसमें एमेंडमेंट पेश कर दूं।

(४ म० प०)

इस ऑर्डिनेन्स के लागू होने से पहले

(श्री भैरोंसिंह)

कानून के अभाव में किसी आदमी ने इस खयाल से कि पीटिशन दाखिल करने का कानून में प्रोविजन नहीं है, पिटीशन दाखिल नहीं की और मियाद निकल गई, एक्चुअली मियाद निकल गई है तो उसकी ओर से पिटीशन दाखिल नहीं हुई तो यह उसकी गलती नहीं, कानून की कमी के कारण वह अपने पिटीशन दाखिल करने के अधिकार से महरूम रहा। तो इस बिल के अनुसार उसको अधिकार होना चाहिये कि इस बिल के लागू होने के बाद दो महीने बाद भी यदि वह पिटीशन दाखिल करना चाहता है तो उसे पिटीशन दाखिल करने का अधिकार होगा। जो पिटीशन करने का हकदार था उसको पिटीशन दाखिल करने का अधिकार देना चाहिये।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं माननीय मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा कि इस पर वे विचार करें, अपने साथियों से विचार करें, लॉ डिपार्टमेंट से परामर्श कर लें पर व्यवस्था ऐसी करें कि सब को पिटीशन करने का अधिकार मिल जाय।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय (वित्त एवं पंचायत मन्त्री) : वास्तव में सरकार की मंशा तो यह है कि जिन जिन को अहसास हो कि अन्याय हुआ है उनको न्याय मिलना चाहिये। सरकार चाहती है कि उनको न्याय मिले। अभी माननीय सदस्य ने बताया कि इस खयाल से कि उनको अधिकार नहीं है उन्होंने पिटीशन दायर नहीं की; इसलिए उनको भी अधिकार मिलना चाहिये। इसके लिए यह हो सकता है कि माननीय सदस्य अमेंडमेंट मूव कर दें और जो भी शक्ल बनती हो वह शक्ल बनाई जाय।

श्री भैरोंसिंह (श्रीमाधोपुर) : इसको डेफर कर दिया जाय। जब तक मैं अमेंडमेंट मूव करूं तब तक इस क्लॉज को डेफर कर दिया जाय।

श्री सभापति (श्री आबिदअली) : जब तक अमेंडमेंट आये तब तक दूसरा काम ले लें, इसमें आपको आपत्ति नहीं ?

(विराम)

ऑनरेबल मिनिस्टर इन्चार्ज। आपकी क्या राय है, इस क्लॉज को अमेंडमेंट आये तब तक के लिए डेफर कर किया जाय या दूसरा बिल ले लिया जाय ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय (पंचायत मन्त्री) : दूसरा ले लिया जाय।

राजस्थान बिक्री कर (संशोधन) विधेयक, १९६१

(विचार–विमर्श)

श्री सभापति : Yes, Rajasthan Sales Tax (Amendment) Bill, 1961.

श्री हरिभाऊ उपाध्याय (वित्त मन्त्री) : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि राजस्थान सेल्स टैक्स (अमेंडमेंट) बिल, १९६१ को विचारार्थ लिया जाय।

श्री लक्ष्मीचन्द (सांचोर) : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि राजस्थान सेल्स टैक्स अमेंडमेंट बिल, १९६१ को एक

(श्री लक्ष्मीचन्द)

प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय जो अपना प्रतिवेदन अगले सत्र तक दे ।

सभापति महोदय, इस सेल्स टैक्स (अमेंडमेंट) बिल में हम क्या प्रोविजन करने जा रहे हैं ? हम यह प्रोविजन करने जा रहे हैं कि बारदाना वगैरह पर लास्ट पॉइन्ट टैक्स लगाया जाय। दरअसल बारदाना वगैरह पर फर्स्ट पॉइन्ट टैक्स लगाना चाहिये। इसकी अन्तिम बिन्दु पर टैक्स रखा है तो हमारी मंशा इस पर १० पोइन्ट टैक्स बढ़ाने की है। बारदाना फर्स्ट पोइन्ट का माल है। इस पर लास्ट पोइन्ट सेल्स टैक्स वसूल करते हैं तो धान और बारदाना दोनों साथ साथ बिकते हैं। कानून के अन्तर्गत धान के साथ बिकने वाले बारदाने पर १ परसेंट का प्रोविजन रखा है। इस पर अन्तिम बिन्दु का बिक्री कर लगाने से यह होगा कि जिस जिस जगह बोरियां जायेंगी वहां सब जगह इन पर टैक्स लगता रहेगा। आज मैंने १०० बोरियां अनाज की बेची तो टैक्स लगा। खरीदने वाले ने आगे तीसरे आदमी को बेच दी तो उस पर भी टैक्स लगा क्योंकि धान के साथ बारदाना लगा हुआ है और तीसरे ने चौथे आदमी को बेची तो उस पर भी टैक्स लगेगा क्योंकि बारदाना साथ में लगा हुआ है। एक आदमी एक साथ बारदाना मंगाता है तो सेल्स टैक्स पे करता है। फिर उस बारदाने में धान भरा जाता है या और कोई माल भरा जाता है उस पर १ परसेंट का प्रोविजन रखा है इसको प्रथम बिन्दु मानें चाहे अन्तिम बिन्दु मानें जहां जहां बिकेगा बारदाने पर भी टैक्स लगता रहेगा।

इसके साथ ही रजिस्टरिंग ऑथोरिटी को सत्ता दे दी है कि यदि वह चाहेगी तो उसमें ५,०००) रु० की जमानत ले लेगा। हमने इस कानून में शायद सेक्शन ३ में यह रखा है कि रजिस्टरिंग ऑथोरिटी व्यापारी से ५,०००) रु० को सिक्योरिटी ले सकता है। ऐसी स्थिति में रजिस्ट्रेशन कराने वाले किसी छोटे व्यापारी की हैसियत ऐसी नहीं होगी कि वह ५,०००) रु० की सिक्योरिटी दे सके तो उसको असेसिंग ऑथोरिटी कहेगी कि अपनी ५,०००) रु० की जमानत दो। वह चाहे तो केश में ले सकता है और चाहे तो काइन्ड में ले सकता है। तो आप यह इस प्रकार की सत्ता दे रहे हैं, यह उचित नहीं है।

मैं तो कहता हूं कि इस कानून की जरूरत ही क्या है ? यदि आप चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा व्यापारी रजिस्ट्रेशन करवायें तो आप उनको ज्यादा से ज्यादा सहूलियतें दीजिये। वे अपने आप खुशी के साथ रजिस्ट्रेशन करवायेंगे। यदि आपके टैक्स की कोई व्यापारी चोरी करता है तो उसके लिए कानून के अन्तर्गत उसके अकाउन्ट्स को सील कर सकते हैं, सब कुछ कानून में रखा है, फिर नया कानून ला कर ५,०००) रु० की सिक्योरिटी क्यों लेते हैं, रजिस्ट्रेशन ऑथोरिटी को इस प्रकार के पॉवर्स क्यों देते हैं ? कल रजिस्ट्रिंग ऑथोरिटी किसी को कह देगी कि तुम हमारा टैक्स चुराने वाले हो, ५,०००) रु० जमा कराओ तो उस व्यापारी के लिए क्या होगा ? छोटा दुकानदार ५,००० रु० कहां से लायेगा ? हर एक के लिए रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी रखा है वह न्यायसंगत नहीं है।

Page No.93

(श्री लक्ष्मीचन्द)

इसलिए मैं सभापति महोदय, आपके द्वारा सदन के सभी माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि इस बिल में कई इस प्रकार के प्रावधान रखे गये हैं जो न्यायसंगत प्रतीत नहीं होते । अतः इसे प्रवर समिति को देना चाहिये जो इसकी खामियों पर विचार कर सके ।

श्री सभापति : Hon'ble Minister-in-Charge.

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल के खड़े होने पर)

Yes, Shri Agrawal.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : सभापति महोदय, राजस्थान सेल्स टैक्स अमेन्डमेंट बिल, १६६१ जो सदन के विचारार्थ प्रस्तुत किया गया है और जिसको प्रवर समिति के सुपुर्द किये जाने का प्रस्ताव अभी अभी सांचोर से आनेवाले माननीय सदस्य ने रखा है, मैं उसका समर्थन करता हूँ ।

सभापति महोदय, इस संशोधन विधेयक के द्वारा ऐसा लगता है जैसे कोई मामूली सा संशोधन किया जा रहा हो लेकिन उसको गहराई के साथ देखें तो इस नतीजे पर पहुंचेंगे कि उसके परिणाम बड़े गंभीर होंगे । सभापति महोदय, इस संशोधन विधेयक में जो व्यवस्था की गई है या जो इसके प्रोविजन्स हैं जिनके विषय में अभी अभी सांचोर से आनेवाले माननीय सदस्य ने अपने विचार प्रकट किये हैं उन सब प्रोविजन्स के बारे में कानून की दृष्टि से भी माननीय मंत्री महोदय का कुछ ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। हालांकि मैं यह मानता हूँ और समझता हूँ कि माननीय वित्त मंत्री महोदय जो इस कानून को पॉयलेट कर रहे हैं, जब कानून की बात कही जाय तो दुविधापूर्ण स्थिति उनके सामने खड़ी हो जाती है फिर भी वे सारी बातों को समझने की कोशिश करेंगे ।

सभापति महोदय, इसमें दो बातें क्लॉज २ के सम्बन्ध में कही गई हैं। क्लॉज २ लिखा हुआ है: "...the following proviso shall be inserted, namely–

'Provided that where a dealer in goods which are exempted from tax unconditionally, sells any bardana container or any other packing material received alongwith such goods at the time of purchase thereof by him, the taxable turnover in respect of such sales shall, at the option of such dealer to be exercised in the prescribed manner, be one per-cent of the aggregate amount of the sale prices received or receivable by him in respect of the sale or supply of such goods and of such bardana, container or material"

सवाल यह खड़ा होता है कि इस परिभाषा के द्वारा जो प्रोविजो जोड़ने की बात कही गई है तो मैं माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहूँगा कि अगर कोई आदमी माल खरीदता है तो उस माल के खरीदने के साथ साथ, सभापति महोदय, कुछ पेकिंग मेटीरियल भी आता है । किसी व्यक्ति ने, दूकानदार ने

Page No.94

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

दवाइयां खरीदी। तो दवाइयां खरीदने के साथ साथ बक्स होता है जिनमें दवाइयां भर रही हैं, किसी दूकानदार ने माल खरीदा और वह माल बारदाना बोरियों में बन्धा आता है तो उस स्थिति में कुछ बारदाना तो ऐसा होता है कि उसकी रीवेल्यूएशन हो सकती है, पैकिंग मेटीरियल और कन्टेनर इस प्रकार की स्थिति में होते हैं कि उनकी रीवेल्यू होती है लेकिन कुछ ऐसी स्थिति का मेटीरियल हो, बारदाना हो, कन्टेनर हो जो बच जाय और रीवेल्यू न हो सके, तो, सभापति महोदय, जिस प्रकार की भाषा इस प्रोविजो में दी हुई है उससे यह समझ में नहीं आता है कि उसके आधार पर क्या स्थिति होगी। सरकार का दृष्टिकोण यह है कि जो पेकिंग मेटीरियल, बारदाना है उस पर सरकार १ पर्सेन्ट सेल्स टैक्स चार्ज करना चाहती है। उस सेल के बारे में क्या हिसाब रखा जायेगा? किसी के माल की कीमत १००) रु० है। पेकिंग मेटीरियल के साथ यदि उसने उसको बेच दिया १२५) रु० में तो पेकिंग मेटीरियल के साथ बेचेगा। अन्तिम लाइन है जिसमें लिखा है:

"...be one per cent of the aggregate amount of the sale prices received or receivable by him in respect of the sale or supply of such goods and of such bardana, container or material,"

सभापति महोदय, जरा माननीय मंत्री महोदय अपने उत्तर में स्पष्ट करने की कोशिश करें। मुझे ऐसा लगता है कि जो भाषा इसके उपयोग में लाई गई है उससे कन्फ्युजन पैदा होता है। बारदाना, कन्टेनर्स और पेकिंग मेटीरियल पर जो पोजीशन उसकी है उसके हिसाब से उस पर सेल्स टैक्स वसूल करते हैं तो एक बड़ी समस्या दूकानदारों के सामने पेश हो जावेगी। मैं माननीय मंत्री महोदय की जानकारी के लिए बताऊंगा आज गंगानगर में इस प्रकार की समस्यायें हैं। जब हम वहां पर गये तो कपड़े के व्यापारियों ने हमारा इस ओर ध्यान आकर्षित किया कि राजस्थान की सरकार बारदाने पर, जिसमें कपड़ा लपेट कर आता है, चाहे होल सेल मार्केट में वह कपड़ा आवे और होल सेल प्राइस पर वह बारदाने में लिपटा हुआ बिके इस प्रकार से सारे व्यापारियों के यहां पर कपड़ा आता है, १०० की कीमत का है तो उस पर सेल्स टैक्स चार्ज होता है, पेकिंग मेटिरियल की कीमत असेस करने के बाद, चाहे बच जाय या नहीं, उसकी सेल वेल्यू, रिसीवेबल मान कर, जो रिसीव किया जा सकता है, उसका असेसमेन्ट करने के बाद उस बारदाने पर सरकार १ पर्सेन्ट सेल्स टैक्स वसूल करना चाहती है। इस सम्बन्ध में मैं माननीय मंत्री महोदय से स्पष्टीकरण चाहूँगा कि गंगानगर के व्यापारियों ने दुःख के साथ, खेद के साथ जो समस्या है उन्होंने हमारे सामने रखी और हमने कहा कि हम इसको विधान सभा में रखेंगे। इस प्रकार का विधेयक जो आज सदन में आया है तो जो बारदाना होगा, पेकिंग मेटीरियल होगा, कन्टेनर्स में माल आता है उस पर चार्ज करेंगे सेल्स टैक्स और बाकी पर नहीं करेंगे तो बाकी की क्या व्यवस्था की जा सकती है?

एक बड़ी चीज़ और लिखी है। इसमें लिखा है:

"(7). The assessing authority may in order to ensure proper payment

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

of tax, demand from any dealer who has been registered or has applied for registration under sub-section (1) or sub-section (2), security not exceeding Rs. 5,000/-."

यह बात सही है, सभापति महोदय, कोई भी इस बात से इन्कार नहीं कर सकता है कि आज टैक्सेज लगाये गये हैं उनका प्रोपर पेमेन्ट होना चाहिये, टैक्सेज का इवेजन नहीं होना चाहिये और टैक्स के एरियर्स भी नहीं होने चाहिये। जहां तक इस धारा का सम्बन्ध है, यह टैक्स एरियर्स से सम्बन्ध रखती है। इसमें ५,०००) रु० की सिक्योरिटी के लिए सीमा रखी है। बहुत सारे डीलर्स ऐसे हो सकते हैं जिनकी आय न हो, बहुत सारे डीलर्स छोटे छोटे डीलर्स हो सकते हैं जो छोटा छोटा बिजनेस करते हों, बड़े दूकानदारों के लिए भले ही यह बात सही हो सकती है, बड़े दूकानदार जो लाखों का एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का बिजनेस करते हों उनके लिए यह बात सही हो सकती है, जिनके पास लाखों की सम्पति हो और इस प्रकार से बिजनेस करते हों, होलसेल बिजनेस करते हों, लेकिन मैं माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहूँगा कि उन दूकानदारों के लिए क्या होगा, उन डीलर्स के लिए क्या होगा जिन्होंने बिजनेस चार, पांच हजार का भी नहीं किया होगा, उन दूकानदारों का क्या होगा जिनकी आमद ही इतनी नहीं है ?

अब आप उन दूकानों के मालिकों से, उन दूकानदारों से सिक्योरिटी के लिए ५,०००) रु० की रकम लेना चाहते हैं। सभापति महोदय, सिक्योरिटी के बारे में यह भी नहीं लिखा है कि जितना पर्सेन्टेज टैक्स का आया तो उसकी सिक्योरिटी देनी होगी। आप यह कर सकते हैं कि मिनिमम सिक्योरिटी ५०) रु० होगी। आपने तो केवल यह लिख दिया है कि जो दूकानदार रजिस्टर होंगे उनको ५,०००) रु० की सिक्योरिटी देनी पड़ेगी चाहे उनकी साल भर की सेल चार, पांच हजार रुपया भी न हो, लेकिन उनको भी ५,०००) रु० की सिक्योरिटी देनी पड़ेगी। माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि यदि ५,०००) रु० की सिक्योरिटी का प्रावधान रखा तो छोटे छोटे कर्मचारी मर जावेंगे, जमानत नहीं देगा और उनको कोई रीलीफ नहीं मिलेगा। इससे एक तरफ झूठ को प्रोत्साहन देंगे और दूसरी तरफ व्यापरियों की जमानत का वेरिफिकेशन करेंगे जिससे हमारे इस विभाग में भ्रष्टाचार को बढ़ावा देंगे। इसलिए निवेदन करूंगा कि धारा ३ के सम्बन्ध में जो सिक्योरिटी की राशि ५,०००) रु० रखी गई है उस पर गंभीरता से विचार करना चाहिये, आया ५,०००) रु० की सिक्योरिटी रखी जाय या कम की जाय तो कितनी और क्या पर्सेन्ट पर रखी जाय।

इसके साथ साथ सिक्योरिटी के लिए भी कुछ प्रोविजन नहीं रखा है कि किस प्रकार की सिक्योरिटी होगी "....... Security not exceeding Rs. 5000/-"

"Security means 'cash' ? क्या मतलब है ? सभापति महोदय, आप कानून के जानकार हैं :

"Security not exceeding Rs. 5000/-" क्या मतलब है ? केश में सिक्योरिटी

Page No.96

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

चाहते है, बैंक में सिक्योरिटी चाहते हैं, प्राइज़ बोण्ड्स में सिक्योरिटी चाहते हैं, नेशनल सेविंग बोण्ड्स में सिक्योरिटी चाहते हैं या सिक्योरिटी का मतलब है कि फाइनेन्शियल स्टेन्डिंग का आदमी सिक्योरिटी दे दे ?

कोई भी आदमी जो फाइनेन्शियल स्टेन्डिंग का आदमी होगा सिक्योरिटी देगा। "Security not exceeding Rs. 5,000/-" इसमें जो रुपया पांच हजार रखा है यह एक प्रकार से एम्बीक्यूटी है। इसलिये सदन में इस पर विचार नहीं किया जा सकता। मैं समझता हूं कि माननीय मन्त्री महोदय, इसका स्पष्टीकरण करेंगे, यह विचारणीय प्रश्न है।

आखिर जब कानून बनता है कि जिस कानून के द्वारा लोगों की मुसीबत बढ़ जायेगी; मैं समझता हूं इसका कभी भी पालन नहीं हो सकता। टैक्स इवेजिन के जितने भी मामले हैं केन्द्रीय सरकार इस बात पर विचार कर रही है हिन्दुस्तान में टैक्सेशन का स्ट्रक्चर इस प्रकार का हो, इसकी मशीनरी इस प्रकार की हो कि इसका सरलीकरण किया जाय। इसमें इस प्रकार की व्यवस्था की जाय टैक्स का इवेजिन नहीं हो सके। हम यह नहीं चाहते कि लोग टैक्सेज की चोरी करें, लोग टैक्सेज सरकार को न दें, उनके एरियर्स न हों। लेकिन हम इसके द्वारा यह करने जा रहे हैं कि जो गरीब दूकानदार हैं, छोटा धन्धा करने वाले हैं, छोटे दूकानदार हैं, जो थड़ियों में बैठ कर, लकड़ी की दूकानों में बैठ कर अपनी रोटी रोजो कमाते हैं उनसे इस बात की आशा करें कि सारे दूकानदार ५,०००) रु० की कैश सिक्योरिटी दें। इस तरह से करना छोटे दूकानदारों का गला घोटना होगा और जिन लोगों को इसकी वसूली के लिये लगाया जायेगा उनमें भ्रष्टाचार फैलेगा। इसलिये इस पर गम्भीरता से विचार करना चाहिये। इन सारी समस्याओं पर विचार करने की दृष्टि से आवश्यक है कि यह विधेयक समिति को सुपुर्द करें।

इसके अलावा एक क्लॉज़ की और व्यवस्था की गई, प्रिन्सिपल और कमीशन एजेन्ट होगा, "9 B. Liability of the principal and the comisssion agent to pay tax.-(1) Where a commission agent sells any taxable goods on behalf of his principal, such commission agent and his principal shall both be jointly and severally liable to pay the tax on such sales."

सभापति महोदय, कमीशन एजेन्ट की परिभाषा दी हुई है "Commission agent' means a dealer who bonafide buys or sells for an agreed commission goods on behalf of any other person mentioned as principal in his accounts for each transaction."

सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूँ आपने कमीशन एजेन्ट की परिभाषा इसमें दे दी। कमीशन एजेन्ट की परिभाषा पर आपने इस प्रकार का रेस्ट्रिक्शन लगाया है: जो आदमी किसी दूसरे आदमी के बिहाफ पर माल खरीदता है, बेचता है, अपने अकाउन्ट्स का ट्रान्जेक्शन उसके नाम दर्ज करता है आज राजस्थान में अनेक कमीशन

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

एजेन्ट्स हैं, कमीशन एजेन्ट का काम करते हैं हम उन कमीशन एजेन्ट्स को आढ़तिया भी कहते हैं। वे लोगों से माल खरीदते हैं और लोगों को बेचते हैं और अपना कमीशन ले लेते हैं। कमीशन एजेन्ट की जो परिभाषा दी हुई है उसके अन्तर्गत परफॉर्मेन्स अकाउन्ट्स होंगे। वह जनरल क्लॉजेज एक्ट के अनुसार होंगे। उस परिभाषा को छोड़ कर एक परिभाषा दी वह भी लिमिटेड परिभाषा दी है। राजस्थान सरकार ने अपना रेस्ट्रिक्शन इम्पोज़ करने की चेष्टा की है, वह कमीशन एजेन्ट जो माल देगा "Commission agent" means a dealer who bonafide buys or sells for an agreed commission..." What do you mean by 'bonafide buys or sells'? क्या मतलब है? क्या इस प्रकार के आढ़तिये दुर्भावना से माल खरीदते हैं या बेचते हैं? 'बोनाफाइड' जो शब्द यूज़ किया गया है यह शब्द किस कानून में, किस परिभाषा में लिखा हुआ है कि कमीशन एजेन्ट वह माना जायेगा जो बोनाफाइडली माल खरीदता है, ईमानदारी से माल खरीदता है? क्या जो ब्लैक मार्केट नहीं करे, किसी प्रकार टैक्स की चोरी न करे क्या आप उसको बोनाफाइड मानते हैं?

कमीशन एजेन्ट वह है जो माल खरीदता है और दूसरे आदमी को बेच देता है। किसी ने परिभाषा लिख दी आपने उसको उठा कर यहां रख दिया। हो सकता है किसी दूसरी जगह के कानून में इस प्रकार का शब्द यूज़ किया गया हो वह आपने भी कानून में रख दिया। आप यह दलील देंगे कि बम्बई या मद्रास में जो कानून है हमने तो उसकी नकल की है। राज्य सरकार, राज्य मंत्री महोदय विधान सभा में जब किसी कानून की परिभाषा के प्रति आपत्ति की जाती है, कानून की धाराओं के बारे में आपत्ति की जाती है तो वे कहते हैं कि यह बात उस जगह के कानून में लिखी हुई है उसकी नकल की है, इसलिये सही होनी चाहिये। क्या पता जिस समय उस प्रकार का कानून वहां पास हो रहा था उस समय वहां कोरम भी था या नहीं? कितने लोगों ने उस डिबेट में भाग लिया और भाग लिया तो उसमें कितने वकील लोग थे या अनपढ़ लोग ही थे? इन सब बातों को देखना होगा। आप यह कह कर कि हमने उसकी नकल की है जो कुछ भी मोहर लगा दी तो आप यही कर दें कि मद्रास और बम्बई के जितने भी अच्छे अच्छे कानून हैं वे सब यहां लागू कर दें।

श्री सभापति : "Bonafide transaction" means without any mental reservation.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : That is for the Hon'ble Minister to reply. Every person is presumed to be honest until otherwise proved. Similarly, every transaction, whether of purchase or sale should be deemed to be bonafide unless otherwise established. इसलिये जिस शब्द का उपयोग किया गया है उसमें बोनाफाइडी पर्चेज़ का सवाल है। उसमें उन्होंने और लिखा है, वह यह लिखा है: "any other person mentioned as principal in his accounts for each transaction" यानि हरएक आइटम जिससे खरीदा और उसका ट्रान्ज़ेक्शन किया–माल

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

किसलिये खरीदा ? यह लिखने को कहां की परम्परा है, यह कहां का ट्रेडीशन है ? माननीय मंत्री महोदय बिज़नेसमैन नहीं इसलिये उनको जानकारी नहीं। हरएक ट्रान्जेक्शन पर इस प्रकार की बातें इफेक्ट करती हैं। इसमें प्रिन्सिपल का नाम लिखा गया है। आपका जब सेल्स टैक्स डिपार्टमेन्ट एग्जामिन करता है तो फिर इस प्रकार की बात रखने से क्या मतलब ? इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि कमीशन एजेन्ट की परिभाषा का सवाल है वह डिफेक्टिव परिभाषा है। प्रिन्सिपल कमीशन एजेन्ट जोइन्टली लाइबल माना है। इससे बड़ी गलत बात पैदा हो जायेगी। जो इस प्रकार के कमीशन एजेन्ट्स, जो कमीशन एजेन्ट्स माल खरीदते हैं माल खरीदने के बाद वह लिखेगा कि किससे माल खरीदा है। किसी ऐसे प्रिन्सिपल के लिये जो राजस्थान के बाहर का है, राजस्थान के बाहर के प्रिन्सिपल के लिये माल खरीदता है ...

(समय-समाप्ति सूचक घंटी)

श्री सभापति : It is already half-past four and there is one half-an-hour discussion remaining.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : Just two minutes, Sir.

I have seen a case in which the commission agent was resident of the State of Rajasthan and the principal was a resident of outside Rajasthan. How would you deal with such a case ?

आप किस तरह से असेसमेन्ट करेंगे ? प्रिन्सिपल के लिये किस प्रकार से टैक्स चार्ज करेंगे ? उसका असेसमेन्ट नहीं कर सकते वह स्टेट के बाहर का रहने वाला है। तो इस प्रकार के कई कॉम्पलीकेशन्स पैदा हो सकते हैं। ऐसी सरकमस्टान्सेज ऊपर कमीशन एजेन्ट अगर बाहर का है उसको इन्डियन सेल्स टैक्स के बारे में, इन्टर स्टेट टैक्स आदि के बारे में सोचना पड़ता है। मैं समझता हूं यह एक तरह से करप्शन बढ़ानेवाला सिद्ध होगा। इसलिये सांचोर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो इस बिल को प्रवर समिति में भेजने का प्रस्ताव रखा है उसका मैं समर्थन करता हूं और जिस प्रकार की गंभीर कमियों की तरफ सदन के माननीय सदस्यों ने ध्यान दिलाया वे कमियां इस विधेयक को प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय तभी दूर हो सकती हैं।

श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) : उनके खड़े होने पर अवसर नहीं मिलेगा।

श्री सभापति : इन्चार्ज ...

श्री भैरोंसिंह : यह पास हो जावेगा साहब कल तक।

श्री सभापति: Hon'ble Minister-in-Charge.

श्री भैरोंसिंह : वे कल बोल देंगे, साहब।

इस बिल में कुछ खामियां हैं, सदस्यों को कुछ बोलना है।

श्री सभापति : मैं तो केवल यह चाहता हूं कि जो प्रस्ताव आया है प्रवर समिति में भेजने का उस पर मिनिस्टर का जवाब हो जावे।

Page No.99

श्री भैरोंसिंह : फिर कन्सीडरेशन की स्टेज नकल जावेगी।

श्री लक्ष्मीचन्द जैन का तारांकित प्रश्न संख्या १६४ सम्बन्धी आधे घंटे का वाद-विवाद

श्री सभापति : Alright. Yes, Mr. Laxmi Chand.

श्री लक्ष्मीचन्द (सांचोर) : सभापति महोदय, एडीशनल कमीशनर के हैडक्वार्टर से सम्बन्धित तारांकित प्रश्न संख्या १६४ (४६ आर. एम.) के उत्तर से, जो दिनांक १८ सितम्बर, १९६१ को दिया गया था, उस विषय से उत्पन्न मुद्दों पर मैं कुछ विचार और चर्चा करना चाहता हूं।

सभापति महोदय, एडीशनल कमीशनरों को हमने राजस्थान टीनेन्सी एक्ट के अधीन अपीलें सुनने का अधिकार दिया है। उनके हैडक्वार्टर्स पहले हमने हरएक डिविजन के हैडक्वार्टर पर मुकर्रर किये थे। अब जब कि डिविजनल हैडक्वार्टर्स टूट गये तो सरकार ने इनमें तब्दीली की है। इनको तब्दील करने से पहले सरकार को जनता के नुमाइन्दों और जिम्मेदार आदमियों और जिन पर इसका असर पड़नेवाला है उनकी दिक्कतों की जानकारी हासिल करनी चाहिये थी। पर वह जानकारी हासिल नहीं की गई। राजस्थान सरकार के पास कोई ऐसा आधार नहीं था जिस पर यह परिवर्तन किया गया हो, ऐसा लगता है।

इस सम्बन्ध में सभापति महोदय, मैं कुछ ऐसे तथ्य सदन के सामने प्रस्तुत करूंगा कि राजस्व मन्त्रीजी को यह महसूस हो और इसकी सुचारु व्यवस्था वे कर सकें। इसका आधार मैं जानना चाहता हूं क्या पोपुलेशन थी, या डिस्ट्रिक्ट हैडक्वार्टरों की संख्या थी या केसों की संख्या थी? इसमें से किसी को भी अगर आधार माना गया है तो सभापति महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि जोधपुर से हैडक्वार्टर हटा कर बीकानेर ले जाया गया है, इसमें कोई आधार इनमें से नहीं हो सकता। जोधपुर की आबादी बीकानेर से अधिक है। जोधपुर में जिले भी सात हैं, जब कि बीकानेर में केवल तीन हैं। केसों की संख्या भी जहां तक मैं जानकारी रखता हूं जोधपुर में ज्यादा है।

अब इसके साथ एक बात और निवेदन करना चाहता हूं। आप आदर्श की और सिद्धान्त की बातें बहुत करते हैं कि काश्तकारों को सस्ता न्याय देना चाहते हैं; पर काम उल्टा करते हैं। अब टीनेन्सी एक्ट में मान लीजिये किसी को डिक्लेरेशन का सूट लेना है, कोई अपील आदि करनी है तो जोधपुर से चल कर बीकानेर जाना पड़ता है जो ४०० मील दूर पड़ता है। किसी को अगर स्टे ऑर्डर लाना है तो वहां जाना पड़ेगा। जोधपुर में भाथरा गांव का रहने वाला कहां न्याय लेने के लिये बीकानेर जा सकेगा? तो ऐसी स्थिति में जो कहता हूं बीकानेर में आप अलग रख दें, पर जोधपुर से नहीं हटावें। इससे गरीब किसानों को न्याय भारी हो जावेगा। आप किसी दूसरे विभाग को कम कर दीजिये। यह राजस्थान सरकार का दिवालियापन का नमूना है कि जो काश्तकारों के लिये सस्ता न्याय नहीं दिला सके जो कि राजस्थान की कुल आबादी

(श्री लक्ष्मीचन्द)

के ८० प्रतिशत हैं ।

तो मैं राजस्व मन्त्रीजी से कहूंगा कि वे अपनी स्पष्ट नीति बतावें । क्या वे चाहते हैं कि यह ८० प्रतिशत जनता न्याय लेने के लिये हैरान हो, गाड़ियों का चक्कर काटे और दर दर की ठोकरें खाती फिरे ? वहां उसके परिचित वकील मिलें न मिलें तो उनकी मिन्नतें खुशामद करती रहे ? अगर यही है तो फिर आप यह नकाब उतार दीजिये और स्पष्ट कहिये कि आप गरीब काश्तकार जनता को सस्ता न्याय नहीं देना चाहते । अब अगर सेकिन्ड अपील करनी पड़े तो अजमेर जाना पड़ेगा । इसलिये कहूंगा कि वे इसका स्पष्टीकरण करें ।

श्री श्रीभानसिंह (बयाना) : माननीय सभापतिजी, अब राजस्थान में कमिश्नरियों का एबोलिशन हुआ तो लोगों ने खुशियां मनाई कि चलो यह एडीशनल बर्डन दूर हुआ ।

इसके बाद राजस्थान सरकार ने एडीशनल कमिश्नरों को रीऑर्गेनाइज़ किया । इसमें सरकार ने क्राइटेरिया जरूर रखा होगा, मैं यह मान कर चलता हूं । मगर उसमें सबसे बड़ा क्राइटेरिया यह होना चाहिये था कि जनता को कोई तरह की असुविधा न हो, उसको राहत पहुंचे और गरीब लोगों को सस्ता न्याय मिले । जिस तरह से अभी माननीय सदस्य ने बताया कि उनको जो अगर न्याय लेने के लिये नजदीक से दूर जाना पड़े और रेल में जाने-आने और ठहरने के अन्दर उनका इतना खर्चा हो जावे कि उस न्याय को वे ले ही न सकें तो मैं कहूंगा कि एक तरह से यह उनके साथ अन्याय है और यह तो एक तरह से इस तरह की चीज हो गई कि हमारे देश के अन्दर जैसे बड़े बड़े होटल हैं, जगह जगह बने हुए हैं और उनका दरवाजा हरएक के लिये खुला हुआ है । जो चाहे उसकी फीस देकर उनमें ठहर सकता है । पर जिस आदमी के पास ठहरने के लिये पैसा नहीं है वह नहीं ठहर सकता । कहने को कह सकते हैं कि बड़े बड़े होटलों में ठहरने के लिये इनको हमने डिबार नहीं किया है । इसी तरह से एडीशनल कमीशनरीज को इतना दूर रख देते हैं कि जो एक गरीब आदमी वहां नहीं पहुंच सकता तो उसके साथ यह अनजस्टिस है । उदाहरण के रूप में अभी मेरे से पहले एक माननीय सदस्य ने बताया, मैं भी यह बताऊंगा कि पहले भरतपुर जो था, जयपुर से मिला हुआ था । पर इस रीऑर्गेनाइजेशन में वह कोटा से जोड़ दिया गया ! अब इसके लिये कुछ राशनल बेसिस होना चाहिये, कुछ रीज़न्स होने चाहिये । जब हम इतने छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट्स रख सकते हैं और ये इसलिये रख सकते हैं कि जनता को सुविधा हो तो इन कमिशनरियों को भी इस तरह से रीऑर्गेनाइज़ करना चाहिये था कि गरीब लोग क्विक और चीप जस्टिस पा सकें । अब भरतपुर को कोटा से मिलाया और महज इसलिये कि वहां का वर्क लोड कम था । अगर वहीं वर्क लोड कम है तो यह रीजन नहीं कि बीकानेर के हैडक्वार्टर को कोटा में मिलावें या भरतपुर को कोटा में मिलावें । रीजन तो यह होना चाहिये कि कोटा को एबोलिश करें, जब उसका वर्क

(श्री भ्र मानसिंह)

लोड करना है तो। एक आदमी भरतपुर से कोटा जाता है तो सबसे पहली बात तो यह है कि भरतपुर-कोटा का कोई रोडलिंक नहीं है।

(४.३६ म० प०)

(श्री विशम्भरनाथ जोशी, सभापति पदासीन)

बस सर्विस जो हरेक को सूट पड़ सके, डिस्पोज़ल पर मिल सके वह मिलता नहीं। बस ट्रेन सर्विस से जा सकते हैं पर ट्रेन टाइमिंग ऐसे हैं कि दो रोज पहले उसको वहां जाना पड़ेगा और दो रोज का कम से कम एक रुपया रोज भी खर्चा समझें तो भी उसको भारी पड़ता है। माइलेज देखा जावे तो १८७ मील पड़ता है, जब कि जयपुर ११० मील पड़ता है और ट्रेन से ११७ मील पड़ता है। और वैसे देखा जावे तो बाड़ी, बसेड़ो से आवे कोई तो ७६ मील तो आगरा तक आना पड़ता है, फिर भरतपुर तक आना पड़ता है और फिर वही दो दिन कोटा आने जाने में यहां से लग जाते हैं। तो ट्रेन की भी सुविधा नहीं मिलती। धौलपुर से आवें तो भरतपुर जाकर फिर ट्रेन मिलती है।

एक रोज उसको भरतपुर ठहरना पड़ेगा और फिर दूसरे रोज कोटा के लिए ट्रेन कैच करनी पड़ेगी। इस तरह से एक आदमी नगर से चलता है जयपुर के लिए तो उसको ट्रेन कैच करके वाया अलवर होकर आना होगा। लेकिन अब अगर नगर से कोई कोटा जाता है तो उसको पहले भरतपुर आना पड़ेगा और भरतपुर आकर ट्रेन कैच करनी पड़ेगी और भरतपुर से फिर कोटा को जाना होगा। नगर से उसको बस सर्विस मिले या नहीं मिले; वह ट्रेन को कैच करे या न करे लेकिन फिर भी असुविधा को भी आदमी बर्दाश्त कर ले तो एक ऐसी चीज होनी चाहिए थी कि ट्रेन का खर्चा कम पड़ता तो भी हम मान लेते कि भरतपुर से कोटा का कम खर्चा पड़ता है। एक आदमी को जहां ७ रु०, १० आने ट्रेन के लिए पे करने पड़ते हैं वहां वह ४ रुपये और कुछ आने में खर्चा करके जयपुर आ सकता है। राजस्थान रोडवेज़ से आ जाये तो ५ रुपये देने पड़ेंगे और यदि किसी प्राइवेट बस से आये तो ३ रु० और कुछ पैसे देने पड़ेंगे। तो एक तरफ जयपुर में सस्ता न्याय लेने के लिए भरतपुर से कोई भी चलता है उसको जयपुर में सस्ता न्याय और कम खर्चे पर न्याय मिल जाता है। फिर वह भरतपुर से रात की गाड़ी में बैठ कर सबेरे जयपुर आता है और जयपुर में दिन भर काम करके रात को फिर बैठ कर अगले ही दिन भरतपुर पहुँच सकता है। दूसरी ओर अगर कोई कोटा जाये तो कोटा पहुंचने में ही दो रोज लग जाते हैं। इन सब चीजों को देखते हुए मैं राजस्व मन्त्रीजी से निवेदन करूंगा कि पुलिस के लिए तो भरतपुर को जयपुर के नीचे रख दिया, रेवेन्यू मैटर्स के लिए कोटा के नीचे रख दिया, इन्डस्ट्रीज़ के लिए भी कोटा को नीचे रख दिया तो धौलपुर और भरतपुर की जनता को कोई फायदा रीआर्गेनाइजेशन से नहीं मिला है। अगर इसको आप रेशनलाइज़ करें तो भरतपुर का क्लेम है; बल्कि मैं यह कहूँ कि उनका रीप्रजेन्टेटिव होते हुए यह राइट है कि भरतपुर को जयपुर से मिलाया जाये। इसमें हमें हर तरह की सुविधा रहेगी। इसलिए मैं फिर निवेदन करूंगा कि राजस्व मन्त्रीजी इस डिसीज़न को फिर से री-कन्सीडर करें और भरतपुर को

(श्री श्रीभानसिंह)

जयपुर की एडीशनल कमिश्नरी में मिलाया जाये ।

श्री सभापति : श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी ।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी (डीग) : सभापति महोदय, यह अदालतों का और न्यायालयों का यद्यपि सम्बन्ध लड़ने वाले या मुकदमेबाज़ों का ही आम तौर से माना जाता है और प्रयत्न तो हर एक यह करता है कि जहां तक हो हमारे देश के अन्दर मुकदमें या झगड़े फिसाद कम हों लेकिन हमारे समाज का कुछ ढांचा ऐसा है कि सारे प्रयत्नों के बावजूद भी झगड़े-फिसाद और मुकदमेबाज़ी आम तौर पर चलती ही रहती है । तो फिर इसके बाद सरकार का यह कर्त्तव्य होता है कि वह मामला जहां तक हो, जैसा कि कहा जाता है न्याय सस्ता और सुलभ हो । उस दृष्टि से हम देखते हैं तो हमारी राज्य सरकार की सारी नीति ही इस मामले में एक तरह से कुछ जनता के हित के विपरीत ही सिद्ध हो हो रही है ।

हाईकोर्ट का मामला काफी महत्वपूर्ण हमारे जयपुर डिविज़न के लिए रह ही चुका है । उसके साथ ही साथ रेवेन्यू बोर्ड को भी जयपुर से हटा कर अजमेर ले जाया जाना भी कम से कम जयपुर डिविज़न और उसके आसपास की रहने वाली जनता के हित में सिद्ध नहीं होता है । लेकिन फिर भी लोग आम तौर पर जो माल के मुकदमों के सम्बन्ध में आते थे उनका रेवेन्यू बोर्ड के साथ साथ कमीश्नर का भी दफ्तर ही अजमेर था और एडीशनल कमीश्नर का दफ्तर जयपुर था । तो वह यह समझते थे कि हम एक काम के साथ साथ दूसरा भी या तीसरा काम भी कर लेंगे । लेकिन यह जो नया प्रहार हमारी राजस्थान सरकार ने कमीश्नर को खत्म किया और एडीश्नल कमीशनरों की पोस्ट को हटा कर किया यह तो ठीक किया । इसमें सरकार की कोई भी इकॉनोमिक स्कीम रही हो लेकिन वह इकॉनोमी जनता के हित में नहीं हुई; ऐसी मेरी मान्यता है ।

मुझे आज ही यह सुनने को मिला कि जोधपुर से भी जो इस प्रकार की कोर्ट थी जहां कि एडीश्नल कमीश्नर या जो भी कोई मुकदमा सुनता था वह भी जोधपुर से हटा कर बीकानेर कर दिया । मतलब यह है कि कोई आदमी जो जोधपुर डिविज़न का है वह जोधपुर में जायेगा हाईकोर्ट के लिए लेकिन फिर उसको एडीश्नल कमीश्नर के यहां जो भी ऑफिसर का नाम रखा है अपील सुनने वाला उसके लिए उसको बीकानेर जाना पड़ेगा । जयपुर से हटा कर कोटा को कर दिया उसमें भरतपुर का भी इलाका पड़ जाता है ।

मैं तो यह समझता हूँ कि यहां पर जो भी सदन में सदस्य की हैसियत से आये हैं वह सभी अपने अपने इलाके की जनता के प्रतिनिधि होते हैं । तो ऐसे अवसर पर अहम मामलों के समय सरकार जब निर्णय करें तो कम से कम जिले के एक, दो प्रतिनिधियों की सलाह इसमें ले ले । और वकील लोग नाराज होते हैं उनके हित की दृष्टि से भी अच्छा नहीं है कि एक वकील जो यहां कल काम करता था आज रेवेन्यू का कोई मामला आयेगा तो वह जोधपुर छोड़ेगा, अजमेर छोड़ेगा और

(श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी)

कोटा के लिए जायेगा । आप जान सकते हैं कि आखिर वह सारा खर्च किसके ऊपर पड़ेगा ? यह सारा खर्चा उसी के ऊपर पड़ता है जो कि मुकदमे को लेकर आता है । तो इस दृष्टि से सरकार का जो निर्णय है वह जनता के हित की दृष्टि से उसे मान्य नहीं कर सकते हैं। सरकार अपना दृष्टिकोण रखती है । यह ठीक है कि जिस समय सरकार सोचती है तो वह विशाल दृष्टिकोण नहीं लेती है । हमें मालूम है वह अब भी कहेगी अपने उत्तर में । इस बात को ले जनता से यदि पूछा जाये तो कोई भी इसके पक्ष में नहीं जायेगा । हाईकोर्ट का मामला जिस समय चला तो उस समय तक जनता नहीं समझती थी लेकिन जिस समय हाईकोर्ट वहां पहुंच गया और सरपंच और पंच के चुनावों के लिए एक एक आदमी जोधपुर जाने लगा तो हम जानते हैं कि कितना खर्चा उसको करना पड़ता है, उनको इसके लिए इतनी दूर जाना पड़ता है ।

जब हम लोग जाते हैं तो वह हमसे कहते हैं कि आप लोग किस प्रकार का हमारा प्रतिनिधित्व कर रहे हैं ? मेरा तो खयाल है कि आज भी जनता को हक है, वह पूछ सकती है कि इस तरह से कल तक हमें जयपुर या अजमेर जाना पड़ता था और अब उसको हटा कर एक दम कोटा कर दिया ! तो मैं समझता हूँ कि इस प्रकार के मामलों के बारे में सरकार कुछ ऐसी दृष्टि से सोचे कि जो कुछ हम सोचते हैं वह सब के लिए लाभकारी होता है; ऐसा नहीं होता है । उससे काफी असुविधायें होती हैं। आप इकॉनोमी करते हैं लेकिन कभी कभी फाल्स इकॉनोमी भी हो जाती है; क्योंकि जनता को उससे लाभ नहीं होता है । जो कुछ सरकार का निर्णय है यह जनता के हित की दृष्टि से उपयोगी नहीं है और मैं समझता हूँ कि यदि इस गलती को दुरुस्त कर लिया जाये और जहां जिसको सुविधा होती है वहां उनके कोर्ट को लगाया जाये तो यह ज्यादा अच्छा रहेगा ।

(श्री दयाकृष्ण विजय और श्री आबिद-अली के खड़े होने पर)

श्री सभापति : Gentleman to my right.

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मंत्री) : There are only 10 minutes left. You will kindly keep in view that I require 10 minutes.

श्री सभापति : Well, if it is the sense of the House, then we can certainly extend the time by a few minutes.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : पहले नज़र में आये उनका नाम भूल गये तो उनको चान्स मिलना चाहिए ।

श्री दयाकृष्ण विजय (छबड़ा) : माननीय चेयरमैन,....

श्री सभापति : That is right.

श्री आबिदअली (सवाई माधोपुर) : माननीय चेयरमैन, आज सदन में प्रश्न अन्डर डिस्कशन यह है कि जो कमीशनरीज़

(श्री आबिदअली)

का एबोलिशन राजस्थान गवर्नमेंट की तरफ से किया गया था उसके कारण इन्कन्विनियेन्स लिटिगेन्ट पब्लिक को हो गई है। इससे पहले मैंने यहां सदन में अपना विचार रखा था कि कमीशनरीज़ को एबोलिश कर दिया जाय। कमीशनरीज़ को एबोलिश करने की बात पर जो मैंने यहां पर कहा था तो एडमिनिस्ट्रेशन के पोइन्ट ऑफ व्यू और लिटिगेन्ट पब्लिक के पोइन्ट ऑफ व्यू से कहा था। जहां तक एडमिनिस्ट्रेशन का पोइन्ट है वहां तक तो बात समाप्त हो गई, लेकिन जो लिटिगेशन की बात मैंने रखी थी सदन में और मैंने माननीय रेवेन्यू मिनिस्टर साहब का ध्यान इस तरफ आकर्षित किया था, अब मैं दुबारा अपने विचार रखता हूं बहुत संक्षेप में, क्योंकि समय बहुत कम है और बहुत थोड़े समय में अपनी बात बताने की कोशिश करूंगा।

जब हम जुडिशियरी की तरफ देखते हैं तो वहां मुन्सिफ के ऊपर एडीशनल सेशन्स जज, या सेशन्स जज या सीनियर सेशन्स जज होता है। उसकी फर्स्ट अपीलेट जुरिस्डिक्शन उसमें दे दिया गया है। उसके बाद ही फिर उसका जो सेकिण्ड अपीलेट जुरिस्डिक्शन है वह हाई कोर्ट में चला जाता है। मैंने सीधी सी बात रखी थी कि जिस प्रकार हमारी जुडीशियरी में इसका अपीलेट जुरिस्डिक्शन है वह दो भागों में बंटा हुआ है इसी तरह से कमीशनरीज़ को हटाया जाता है तो जहां कलेक्टर बैठा हुआ है उसको फर्स्ट अपीलेट जुरिस्डिक्शन दे दिया जाता है तो लिटिगेन्ट पब्लिक को इन्कन्विनियेन्स नहीं होगी और हमारा भी पर्पज़ हो जायेगा और उसके साथ कलेक्टर की सेकिण्ड अपील है वह रेवेन्यू बोर्ड में चली जायेगी और आज कलेक्टर का जिस तरह जुरिस्डिक्शन है, जिस तरह से कलेक्टर का सेटिंग एडमिनिस्ट्रेशन में किया गया है वह ठीक इसी तरह से किया गया है जिस तरह से कि जुडीशियरी में सिविल जज, एडीशनल सेशन्स जज और सेशन्स जज का किया गया है। मैं नहीं समझता कि आपको क्या आपत्ति है कि फर्स्ट अपीलेट जुरिस्डिक्शन एडीशनल कमीशनर को दिये जाने के बजाय कलेक्टर को दिया जाय? पहले तो यह बात कही जा सकती थी कि कलेक्टर के पास तमाम डवेलपमेंट का वर्क था। अब डीसेन्ट्रेलाइजेशन हमने कर दिया है तो उसके बाद तमाम डवेलपमेंट का वर्क है वह तमाम पंचायत समितियों और जिला परिषदों को चला गया है। उनका काम अब उसके पास नहीं है। आज कलेक्टर के पास तमाम जिले का एडमिनिस्ट्रेशन है। वह उसको देखता है। जहां तक ट्रान्सफर की बात है, अपोइन्टमेंट की बात है, नियुक्ति की बात है, ठीक है कि वह रेस्पोन्सिबल है। जो डवेलपमेंट वर्क है उनको देखता है। उसको जिम्मेदारी है उनके लिए। पहले जो सोल रेस्पोन्सिबिलिटी कलेक्टर की थी वह बहुत कम हो गई है। कलेक्टर का वर्क उनके पास चला गया है। पंचायत समितियों या ज़िला परिषदों के पास। इन सर्कमस्टान्सेज़ में जो कलेक्टर को हम देखते हैं तो बहुत से कलेक्टर्स को मैंने देखा है कि वे पेपरवेट बजाते हैं आपस में बैठ कर। इसलिए मैं चाहूंगा कि अगर ज्यादा वर्क हो जाता है अपील वगैरह का तो एडीशनल कलेक्टर मौजूद हैं। दोनों वर्क को डिस्ट्रिब्यूट कर सकते हैं। इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा कि लिटिगेन्ट पब्लिक को असुविधा होगी एडीशनल कमीशनर जगह जगह बैठने

(श्री आबिदअली)

से उसको समाप्त किया जा सकता है ।

क्योंकि समय बहुत कम है इसलिए मैं चाहता हूं कि राजस्व मन्त्री इसको देख लें । अगर कलेक्टर को फर्स्ट अपीलेट जुरिस्डिक्शन दिया जाय तो कोई हानि होने वाली नहीं है ।

श्री दयाकृष्ण विजय (छबड़ा) : माननीय सभापति महोदय, गत बजट सत्र के अन्दर राजस्थान में जो कमीशनरीज़ थीं उनको समाप्त करने के बाद बड़ी शान के साथ घोषणा की गई थी कि इसके कारण से हमने अपने बजट के अन्दर इतना सेविंग किया है और मैं समझता हूं कि बहुत समय से सदन इस बात का अनुभव करता चला आ रहा है कि कमीशनर्स का जो काम है वह किसी दूसरे अधिकारी के पास दिया जा सकता है और कमीशनर का पद है वह समाप्त कर देना चाहिए। और जहां तक मुझे याद है इस प्रकार की घोषणा की थी और सदन ने प्रसन्नता के साथ उस घोषणा का स्वागत किया था । लेकिन हमको इस बात पर दुःख हुआ है कि जितना टाइम निकला था उसमें आई. ए. एस. ऑफिसर्स को कहां पर एब्ज़ॉर्ब किये जायं, तो मैं समझता हूं कि शायद गलत नहीं है कि केन्द्रीय सरकार....

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मन्त्री) : Sir, he is going off the point. The point is location of the Head-Quarters of the Additional Commissioners, which he is not discussing. He says that I. A. S. Officers who ought to have been declared surplus have been accommodated on certain posts. That is not the question.

श्री सभापति : I will request the Hon'ble Member to please confine his speech to the subject matter.

श्री नरोत्तमलाल जोशी (झुन्झुनूं) : On a Point of Order, Sir. In an Half-an-Hour discussion the procedure is that the Hon'ble Member has to satisfy the Speaker that the answer to the question (out of which the Half-an Hour Discussion has arisen) is insufficient and requires further elucidation on a matter of fact. The motion has to be supported by two Members who only will be entitled to participate in the discussion. I want to know whether there are more than two Members in the present case because two have already spoken and a third is going to speak ? This will be against the rules and would not be a good convention. The Member should indicate that he wants such particular information which was not given on the floor of the House in the Question.

In view of this, I raise the Point of Order and I want a ruling from the Chair.

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : In support of [illegible] Point of Order, Sir, I draw your attention to rule 49, sub-clause (5) :—

"There shall be no forma before the House nor voting.'

श्री सभापति : Certainly there is no formal motion and there will be no voting.

श्री पी० के० चौधरी : "The Minister concerned shall reply shortly." Nobody else is allowed to participate. Only if the Member, who has moved the motion, is absent, can the other Member speak.

श्री सभापति : Will you also read further ? "Any Member who has previously intimated to the Speaker may be permitted to ask a question for the purpose of further elucidating any matter of fact :"

श्री दामोदरलाल व्यास : Nobody has put any question to me. There is general debate.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : सभापति महोदय, यह जो कमीशनरीज़ का प्रस्ताव किया गया है मैं इसका दिली सपोर्ट करता हूं। कोई इस पर डिफरेन्स नहीं हो सकता है, न हो सकता था और न होना चाहिए था और माननीय सदस्य ने जिस प्रकार का पोइन्ट ऑफ ऑर्डर रेज़ किया है और जिस प्रकार से कहा है कि हैल्दी कन्वेन्शन ले-डाउन करते तो ज्यादा अच्छा होता। यदि इन हैल्दी कन्वेन्शन्स को ले-डाउन तब से किया जाता उस समय से जो उनकी रूल्स की नॉलेज थी उसका वह उस समय उपयोग करते तो ज्यादा अच्छा होता; मैं भी उसका दिली सपोर्ट करता। इस तरह से हैल्दी कन्वेन्शन नहीं है कि अपनी तरफ के सदस्य के लिए तो अपनी नॉलेज को छिपा कर बैठे रहें और जब विरोधी दल का सदस्य बोले तो दिक्कत की बात पैदा हो सकती है। मैं मानता हूं कि इस बिल पर एक मिनट पहले बोल चुके हैं। हैल्दी कन्वेश्न यही होगा, पोज़ीशन यही है। लेकिन चूंकि चेयर रूल्स को सस्पेन्ड कर सकती है। रूल्स का मैं समझता हूं चेयर ने जो प्रमाण दिया है जिस समय कांग्रेस के दो सदस्य बोल चुके हैं तो वह एक प्रकार की व्यवस्था थी। सस्पेन्शन ऑफ रूल्स उनके लिए होता है, जनसंघ पार्टी का बोले तो उसके लिए नहीं। अगर सरकारी दल यह चाहता है कि वे नहीं बोलें तो कोई विशेष बात नहीं। राजस्व मंत्री ने बोलने पर आपत्ति की है। उनके लिए आपत्ति नहीं थी; वह हमारे लिये है।

श्री सभापति : Order please ! We need not attribute any motives to each other. Hon'ble Member has said what he felt about the compliance of the Rules of Business of this House. Now since the Hon'ble Member has been permitted, he may please resume his speech.

श्री पी. के. चौधरी (फुलेरा) : Point of Order, Sir...

श्री सभापति : What is it ?

श्री पी. के. चौधरी : When an error is committed, it does not mean that it should be continued. It should be corrected when it comes to notice.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : This is

Page No.107

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

nothing but obstructing the business of the House and Hon'ble Member should be removed from the House.

श्री श्रीभानसिंह (बयाना) : How ignorant the Hon'ble Member is !

श्री नरोत्तमलाल जोशी (झुंझुनूं) : Point of Personal Explanation.

श्री सभापति : Just a minute please. Since the time is virtually over, I take it that it is the sense of the House to extend the time by 15 minutes.

Now the Hon'ble Member raising the Point of Explanation may do it.

(५ म. प.)

श्री नरोत्तमलाल जोशी : Sir, I am sorry that my Point of Order has been misunderstood. It is rather very unfortunate ..

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : सभापति महोदय, ५ बज कर १ मिनट हो चुका है, ५ बजे के अन्दर अन्दर समय बढ़ा सकते थे ।

श्री सभापति : It has been done and it has been decided.

श्री नरोत्तमलाल जोशी : It is rather unfortunate, Sir, that my learned friend should have taken may Point of Order in this perspective. What I wanted to say was that the questions are solely meant for elucidating information, and it is only when complete information is not given in a reply, that the Half-an-Hour Discussion is raised to obtain complete information from the Minister on the floor of the House.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : On a Point of Order, Sir, is the Hon'ble Member raising the Point of Order over again ?

श्री सभापति : He is speaking on a matter of Personal Explanation.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : He is just repeating his Point of Order.

श्री सभापति : The position of the Hon'ble Member has been vindicated by the Chair and the matter ends there. Now Shri Vijay may kindly resume his speech and conclude it within three minutes.

श्री दयाकृष्ण विजय : माननीय सभापतिजी, मैं निवेदन कर रहा था कि इस प्रकार से जितने लोग सरप्लस हुए थे उनको दूसरा स्थान नहीं मिलने की दृष्टि से कहां एब्जोर्ब किया जाय, यह समस्या पैदा हुई थी। यह आवश्यक था कि हमारे कानून में किसी प्रकार से संशोधन करते और सैकिन्ड अपील कहां पर लाइ करें। लेकिन इसको हमने एड नहीं किया और एडीशनल कमीश्नर की पोस्ट रखी। आखिर उसके पास भी उतना ही स्टाफ है जितना कमीश्नर के पास था, हो सकता है उससे कुछ कम हो। लेकिन इसके

(श्री दयाकृष्ण विजय)

साथ ही आपने रखा है, जैसे सवाई माधोपुर के माननीय सदस्य ने रखा, यदि इसमें अमेन्डमेन्ट किया जाता तो ठीक प्रकार से किया जा सकता था । मैं यह कहूंगा कि भरतपुर के माननीय सदस्य ने कहा कि कोटा में केसेज बहुत हैं और बहुत केसेज होने से वहां पर एडीशनल कमीश्नर की पोस्ट रखी है। मैं कहूंगा कि वहां से यह पोस्ट नहीं हटनी चाहिये और दूसरों के लिये इन्तजाम होना चाहिये ताकि सब को सुविधा मिल सके ।

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मंत्री) : सभापति महोदय, मेरे सामने बहुत बड़ी दिक्कत है, मैं क्या जवाब दूं क्योंकि किसी माननीय सदस्य ने सिवाय अपनी अपनी दिक्कतें सामने रखने के कोई सवाल नहीं पूछा है। जैसे भरतपुर से आनेवाले माननीय सदस्य ने और सवाई माधोपुर के माननीय सदस्य ने....

श्री आबिदअली (सवाईमाधोपुर) : मैंने दिक्कत नहीं पेश की है, सुझाव रखा है।

श्री श्रीभानसिंह (बयाना) : मैंने भी कोई पर्सनल दिक्कत नहीं पेश की है....

श्री दामोदरलाल व्यास : मैं भरतपुर के लिए कह रहा हूँ ।

मुझे किसी ने कोई प्रश्न पूछा नहीं है। क्योंकि Half-an-Hour Discussion के बारे में जानकारी माननीय सदस्यों को दी वे अगर एडीशनल इन्फॉर्मेशन चाहें या क्लेरिफिकेशन में कमी हो तो किसी माननीय सदस्य ने बताने की कृपा नहीं की कि मेरे जवाब में क्या कमी थी और क्या इन्फॉर्मेशन चाहते हैं। सवाल के जवाब में वे उम्मीद कर सकते हैं लेकिन जो इन्फॉर्मेशन वे इससे ज्यादा चाहते और पूछते तो बता सकता था। लेकिन पर्सनल दिक्कतें बताई उनके लिये मेरे पास कोई जवाब नहीं है....

[श्री दयाकृष्ण विजय (छबड़ा) के खड़े होने पर]

श्री सभापति : I am sorry, questions cannot be asked now.

श्री दामोदरलाल व्यास : So this is the legal position. Still, with your permission, Sir, since some of the Hon'ble Members have mentioned some important points in regard to their Districts, I would lay before the House a few facts.

यहां मैं आप से यह अर्ज करना चाहता हूँ कि कमीश्नरीज का एबोलिशन किया और इन ऑफिसेज में जो ऑफिसर्स थे उनको एकोमोडेट करने के लिहाज से एडीशनल कमिशनर्स कायम किये गये, यह कहना बिल्कुल गलत है। माननीय सदस्य जो कोटा से आये हैं उनको याद दिला दूं कि ये ऑफिसर्स कहां पोस्ट किये जायं, यह समस्या नहीं है। ये आर० ए० एस० की सीनियर पोस्टों के आदमी हैं और सलेक्शन ग्रेड के हैं इसलिये उनको कहां लगाया जाय, यह सवाल पैदा नहीं होता है। दूसरी बात यह है कि जिस समय कमीशनर्स थे उस समय भी चार एडीशनल कमीशनर्स थे और अब भी

(श्री दामोदरलाल व्यास)

हैं। कमिश्नर्स की पोस्टस अबोलिश करने के लिये लॉ में अमेन्डमेन्ट फोरमली करना था और क्योंकि इसमें टाइम लगना था इसलिये डे–टु–डे वर्क करने के लिए एडीशनल कमिशनर्स के हैडक्वार्टर्स रखे गये और इस तरह से रखे कि उनसे ज्यादा से ज्यादा लोगों को सुविधा दे सकें।

जहां तक यह सवाल है कि अमुक जगह रखने से दूसरी जगह के लोगों को असुविधा हुई है तो अगर वहां से दूसरी जगह लगायेंगे तो उस जगह के लोगों को असुविधा होगी। इसलिये यह पोसिबल नहीं है कि एक सब–डिविजन या तहसील से नजदीक ही हो। कोई न कोई पॉइन्ट आयेगा, एक से नजदीक होगा तो दूसरे से दूर हो। लेकिन हैडक्वार्टर सब–डिविजन से दूर होगा। यह नक्शा हर डिस्ट्रिक्ट, हर सब–डिविजन और हर तहसील के लिये हो सकता है। यदि यह देखें कि एक जगह से १३० मील है और दूसरी जगह से १८० मील है तो यह कहना कि इतना दूर नहीं होना चाहिये, इसमें कोई जस्टिफिकेशन नहीं हो सकता।

अब रहा सवाल यह कि बीकानेर में एडीशनल कमीशनर का हैड क्वार्टर क्यों रखा गया, जोधपुर में क्यों नहीं रखा गया और दूसरी बात यह आई कि भरतपुर और सवाई माधोपुर को जयपुर में क्यों रखा गया....

श्री श्रीभानसिंह : कोटा में।

श्री दामोदरलाल व्यास: I am sorry, कोटा के बजाय जयपुर में क्यों नहीं रखा गया? व्यवहार की दृष्टि से मैं मानता हूँ कि कोटा के एडीशनल कमीश्नर के साथ भरतपुर को नहीं लगाना चाहिये। कोटा में एडीश्नल कमिश्नर रखा जाय तो भरतपुर को कोटा से हटाया जाय और जैसा कि सवाई माधोपुर के माननीय सदस्य ने सुझाव दिया है कि कलेक्टर्स को ही पॉवर्स क्यों नहीं दी जाय, वे भी कोटा जाना पसन्द नहीं करते, वहां जाने में उनको तकलीफ होती है.......

श्री आबिद अली: अपीलेट जुरिस्डिक्शन के बारे में सुझाव दिया है।

श्री श्रीभानसिंह : कोटा से एडीशनल कमिश्नर को एबोलिश कर दिया जाय।

श्री दामोदरलाल व्यास : आपके सुझाव पर कि जयपुर में भरतपुर को मिला दिया जाय और कोटा को एबोलिश कर दिया जाय, मुझे बहुत बड़ी आपत्ति नहीं होगी, यदि कोटा के माननीय सदस्य को आपत्ति न हो। एक सुझाव है सरकार उस पर जरूर विचार करेगी आया कोटा के एडीशनल कमिश्नर को एबोलिश करके भरतपुर और सवाई माधोपुर को राहत पहुँचाई जाय और उनको राहत पहुँचाई जाय तो दूसरों को राहत कैसे मिल सके, यह मेरे सामने बहुत बड़ी मुश्किल है....

श्री श्रीभानसिंह : कोटा में एडीशनल कमिश्नर रहे तो कोई हर्ज नहीं है लेकिन भरतपुर और सवाई माधोपुर को जयपुर में मिला दिया जाय।

श्री दामोदरलाल व्यास : आपको दिक्कत नहीं है, लेकिन मुझे दिक्कत है। ऑफिस कायम करना है तो वर्क लोड देखना पड़ेगा आया कम है या ज्यादा।

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : Does not the Hon'ble Minister imply that because there is no work with Kota, therefore the, wants to keep Bharatpur and Sawai Madhopur with Kota ?

श्री दामोदरलाल व्यास : That goes without saying.

मेरे सामने अभी सांचोर से आनेवाले माननीय सदस्य ने ओजस्वी और जो शपूर्ण भाषण में कहा कि उनके डिस्ट्रिक्ट में इतनो पोपुलेशन है और इतना बड़ा डिस्ट्रिक्ट है लेकिन केवल पोपुलेशन का ही सवाल नहीं है, देखना यह होगा कि वहां पर केसेज़ कितने हैं।

जोधपुर और बीकानेर के मामले में दिक्कत यह है कि जोधपुर में ३१३ पेन्डिंग केसेज हैं जब कि बीकानेर में ५०० से ऊपर पेन्डिंग केसेज हैं। मुझे बता दीजिये कि जस्टिफिकेशन जोधपुर में रखने में है या बीकानेर में रखने से ? दूसरी बात यह है कि एडीशनल कमीशनर की कोर्ट से लोगों को अधिक से अधिक सुविधा मिले। कन्वीनियेन्स का पोइन्ट ऑफ व्यू मेरे सामने हमेशा रहता है। हमने एडीशनल कमीशनर्स को हिदायत की है कि वर्क लोड को जस्टिफाई करें और डिस्ट्रिक्ट हैडक्वार्टर्स पर जाकर मुकदमों को सुनवाई करें। जहां तक मुकदमात सुनने का सवाल है, आज भरतपुर के लोगों को जयपुर आना पड़ता है। अब इस नये ऑर्डर से उन्हें जयपुर आने की जरूरत नहीं है क्योंकि एडीशनल कमिश्नर वहीं पर कोर्ट होल्ड करेगा, मुकदमात की तारीख वहीं मुकर्रर हो जायेगी। इसी तरह से जोधपुर के लिए भी कह रहा हूँ। जोधपुर डिविजन के लिए भी यही होगा कि एडीशनल कमिश्नर जोधपुर में जाकर मुकदमात सुनेंगे। तो मैं नहीं समझता कि उसमें क्या दिक्कत है ? अब सवाल रह जाता है स्टे ऑर्डर को लेने के लिए जाना पड़ता है। दूसरा सवाल रह जाता है, प्रजेन्टेशन ऑफ स्टे ऑर्डर के लिए वे कहां एप्लीकेशन दें ? मेरे दिमाग में यह बात है कि प्रजेन्टेशन ऑफ स्टे ऑर्डर की तकलीफ है उसको कैसे दूर करें। उसके लिए हमने बिल ड्राफ्ट कर लिया है। एक कन्सोलिडेटेड बिल पेश करने का मेरा इरादा है, जिसमें एडीशनल कमिश्नर की कलेक्टर को पॉवर देने का मेरा इरादा है। कलेक्टर को पॉवर्स दे दे जिससे उसके सामने प्रजेन्ट कर दी जाय एप्लीकेशन्स और रेकॉर्ड इकट्ठा करके they will transmit it to the Addl. Commissioner और एडीशनल कमिश्नर तारीख मुकर्रर कर देगा for the District HeadQuarter so far asBharatpur and other places are concerned, and atleast for Divisional HeadQuarters so far as Jodhpur Division is concerned, तो वह दिक्कत मिट जायेगी। सिर्फ एप्लीकेशन पेश करने के लिए वहां जाना पड़ेगा। उसमें सहूलियत यह है कि कमिश्नर के पास तो वह एप्लीकेशन पेश करने को आते हैं, अगर कानून बन जाता है कि कलेक्टर को इसकी पॉवर्स हो जायेगी एप्लीकेशन रिसीव करने की; इससे खर्च में कमी हो जायेगी और कन्वीनियेन्स हो जायेगी, आने-जाने का खर्च बचेगा ....

एक माननीय सदस्य : एक पोइन्ट और है....

Page No.111

श्री दामोदरलाल व्यास: मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। चूंकि बिल पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, प्रसीडेन्ट के इन्स्ट्रक्शन्स नहीं आये थे, इसलिए कन्सोलिडेटेड फार्म में बिल पेश नहीं कर सकता। बहरहाल किस किस तरह करना है it is the intention of the Government, मैंने अर्ज किया है वह यह है है कि सवाल रह जाता है स्टे के मामले का। All that is left is obtaining of Stay Order from Additional Commissioner, whom we want to re-designate as Appellate Authority. तो मतलब है कि स्टे के लिए सौ में से पांच, सात केसेज में स्टे लेने जायं, मैं इतना अर्ज कर दूं कि उसके लिए दस मील या बीस मील चले जायं तो मैं उसमें इतनी दिक्कत नहीं समझता। फिर भी मैंने दिमाग में निर्णय नहीं कर लिया है कि फैसला हो गया सो हो गया। मैं फिर विचार कर सकता हूँ। जो माननीय सदस्यों ने विचार प्रस्तुत किये हैं, उनको सुन लिया है।

मैं अर्ज करना चाहता हूँ कि हो सकता है कि कोटा की एडीशनल कमीशनरी एबोलिश की जा सकती है, इस पर विचार हो सकता है कि भरतपुर को जयपुर से मिलावे। यह हो सकता है कि सवाई माधोपुर को जयपुर से मिलाया जाय और एपलेट ऑथोरिटी बीकानेर के बजाय जोधपुर में चली जाय। इन कई मसलों पर विचार करते वक्त, जैसा मैंने बताया, उन पर विचार करना पड़ेगा और जो सुझाव आप सब ने दिये हैं उन पर राज्य सरकार उपयुक्त रूप से विचार करेगी। अभी जवाब देने के लिए नहीं है क्योंकि सवाल कोई पूछा नहीं है।

सवाई माधोपुर से आनेवाले माननीय सदस्य ने एक सवाल पूछा था। उनको कहना चाहता हूँ कि सरकार के विचार में यह बात नहीं है कि कलेक्टर को अपीलेट ऑथोरिटी बना दिया जाय। मैं इस पर विचार कर रहा हूँ। तहसीलदार के पास ऑर्डर की कॉपी होती है, कलेक्टर के पास कॉपी पेश होती है। उसके लिए लॉ में प्रोविजन कर लें कि डिविजनल ऑफिसर के पास अपील हो।

श्री लक्ष्मीचन्द : जब तक ऑर्डर नहीं होता तब तक कलेक्टर को ऑर्डर दे दें कि वह अपील ले ले।

श्री दामोदरलाल व्यास : माननीय सदस्य कानून में माहिर हैं। मैंने जो कुछ कहा वह सब आप की बात से खत्म हो गया। मैंने कहा कि लॉ बनाना पड़ेगा then only I can delegate the Powers, otherwise not और उसके लिए कहा है कि कन्सोलिडेटेड अमेंडिंग बिल लायेंगे; that has to be enacted and then only the Powers can be given to the Collector. And he is again putting the same question!

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : The extended time is over, Sir.

श्री सभापति : The House stands adjourned to 11 A. M. tomorrow.

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही म० प० ५ बज कर १३ मिनट पर दिनांक २२ सितम्बर, १९६१ के म० पू० ११ बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

संक्षिप्त विवरण

(गुरुवार, २१ सितम्बर, १९६१)

स्कम्भ

तारांकित प्रश्नों के शीर्षक १९१६

राजस्थान नहर फीडर।

आबकारी विभाग में प्रशिक्षित निरीक्षक।

ग्राम पंचायतों में गबन के मामले।

नगरपालिकाओं के निलम्बित सदस्य।

जयपुर शहर में चोरियां।

विभागीय खरीद।

बलात्कार।

निरीक्षकों की होम डिविजन से बाहर नियुक्ति।

श्री जलालखां, सी० आई० के नियुक्ति सम्बन्धी कागजात।

रतनगढ़ अस्पताल में चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के क्वार्टर।

कृषि विस्तार अधिकारी।

बामनवास में जुलूस निकालते समय झगड़ा।

टोंक में सिंचाई की दरें।

अनिवार्य बीमा के प्रीमियम की रकम।

चम्बल योजना के माल की चोरी, खयानत, कमी।

जालोर में सिंचाई की योजनायें।

पुलिस चौकी की स्थापना।

आर० ए० सी० की चौकियां, तहसील कोलायत।

खान के पत्थरों की चोरी का मामला।

जयपुर-भरतपुर सरकारी बसें।

बसों की यात्रा की दरें।

बीकानेर जिले के बांध।

राजस्थान प्रेमिसेज (कन्ट्रोल ऑफ रेन्ट एण्ड एविक्शन) एक्ट का विस्तार।

स्कम्भ

स्कम्भ

स्थगित प्रश्न

सन् १९५६ में बून्दी जिले में स्थित गुढ़ा बांध की टूट तथा उससे सम्बन्धित जांच।

नगरपालिका भीलवाड़ा के निर्माण कार्यों में घोटाला।

लालसोट रेंज का क्षेत्रफल, तहसीलें इत्यादि।

सदन की मेज पर रखा गया पत्र

श्री मोहनलाल सुखाड़िया, मुख्य मन्त्री ने राजस्थान लोक सेवा आयोग का नवां प्रतिवेदन सदन की मेज पर रखा।

विशेषाधिकार प्रश्न १९७४

श्री अर्जुनदास, सदस्य विधान सभा ने अजमेर के साप्ताहिक पत्र 'जनता' के विरुद्ध एक विशेषाधिकार प्रश्न प्रस्तुत करने की आज्ञा के लिये प्रस्ताव किया। उक्त प्रश्न सभा की अनुमति के पश्चात् विशेषाधिकार समिति के सुपुर्द किया गया।

स्कम्भ

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर ध्यान आकर्षित किया जाना २०१५

श्री लक्ष्मीचन्द, सदस्य विधान सभा ने जालोर जिले के ग्राम सांतू के पुरोहित स्वामियों की खुदकाश्त भूमि पर लगान वसूल किये जाने की ओर राजस्व मन्त्री का ध्यान आकर्षित किया।

राजस्व मन्त्री ने इस सम्बन्ध में एक वक्तव्य दिया।

विचारार्थ लिये गये विधेयक

१. राजस्थान आबकारी (संशोधन) विधेयक, १९६१ २०१८

उपरोक्त विधेयक पर आज भी अग्रेतर खण्डशः विचार किया गया।

खण्ड ७ से ११ :—स्वीकार किये गये।

खण्ड १२ :—संशोधित रूप में स्वीकार किया गया।

खण्ड १३ से १८ :—स्वीकार किये गये।

Page No.114

	स्कम्भ
खण्ड १ आदि :—स्वीकार किये गये।	
प्रभारी मन्त्री के प्रस्ताव पर विधेयक सदन द्वारा पारित भी किया गया।	
२. राजस्थान पंचायत समिति तथा जिला परिषद् (द्वितीय संशोधन) विधेयक, १९६१	२०६१
श्री हरिभाऊ उपाध्याय, पंचायत मन्त्री ने प्रस्ताव किया कि उक्त विधेयक को विचारार्थ लिया जाय।	
(विधेयक पर विचार आस्थगित किया गया)	
३. राजस्थान विक्री कर (संशोधन) विधेयक, १९६१	२०६७
श्री हरिभाऊ उपाध्याय, वित्त मन्त्री के इस प्रस्ताव पर कि उपरोक्त विधेयक को विचारार्थ लिया जाय, श्री लक्ष्मीचन्द ने यह संशोधन प्रस्ताव किया कि विधेयक को एक प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाये।	
श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल ने संशोधन प्रस्ताव का समर्थन किया।	

	स्कम्भ
आधे घण्टे की चर्चा	२०१२
श्री लक्ष्मीचन्द, सदस्य विधान सभा ने तारांकित प्रश्न संख्या १६४ (४६। आर० एम०) पर जिसका उत्तर दिनांक १८ सितम्बर, १९६१ को दिया गया था, आधे घण्टे की चर्चा आरम्भ की जिसमें निम्नांकित सदस्यों ने भाग लिया:—	
१. श्री श्रीमानसिंह २. श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी ३. श्री आबिदअली ४. श्री दयाकृष्ण विजय।	
राजस्व मन्त्री ने बहस का उत्तर दिया।	
सदन की बैठक ५ बज कर १३ मिनट पर शुक्रवार, दिनांक २२ सितम्बर, १९६१ को प्रातः ११ बजे तक के लिये स्थगित की गई।	

शुक्रवार, दिनांक २२ सितम्बर, १९६१ की कार्य–सूची

१. राजस्थान विक्री कर (संशोधन) विधेयक, १९६१ (अग्रेतर विचार, खण्डशः विचार–विमर्श एवं पारित)

स्कम्भ स्कम्भ

२. राजस्थान पंचायत समिति एवं जिला परिषद् (द्वितीय संशोधन) विधेयक, १९६१ (खण्डशः विचार-विमर्श एवं पारित)

३. राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों एवं सदस्यों के परिलाभ) संशोधन विधेयक, १९६१ (विचार-विमर्श एवं पारित)

४. राजस्थान राज्य पशु-मेला विधेयक, १९६१ (विचार आस्थगित)

५. राजस्थान बाट व माप (प्रवर्तन) संशोधन विधेयक, १९६१ (विचार-विमर्श एवं पारित)

६. राजस्थान स्थानीय निधि, अंकेक्षण (संशोधन) विधेयक, १९६१ (विचार-विमर्श एवं पारित)

७. राजस्थान गोदाम (संशोधन) विधेयक, १९६१ (विचार-विमर्श एवं पारित)

८. अजमेर शामलात कमेटियां (विघटन) विधेयक, १९६१ (विचार आस्थगित)।

परिशिष्ट १

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या २४४ का उत्तर देखिये)

LIST OF INSPECTORS WHO ARE NASIK TRAINED WITH THEIR PLACES OF POSTINGS

S. No.	Name	Place of posting.
1.	Shri Raj Singh Mehta	Excise Inspector, Pali.
2.	Shri Gautam Lal Talesra.	Excise Inspector, Girva.
3.	Shri Ganesh Lal Bomb.	Intelligence Inspector, Jodhpur.
4.	Shri Zorawar Singh Ranawat.	Excise Inspector, Salumbar.
5.	Shri Ganesh Nath Purohit.	Distillery Inspector, Udaipur.
6.	Shri Zorawar Singh Bapna.	Excise Inspector, Kherwara.
7.	Shri Tej Raj Bhandari.	Prosecuting Inspector, Sirohi.
8.	Shri Inder Singh Kothari.	Excise Inspector, Sirohi.
9.	Shri Jodh Singh Ranka.	Excise Inspector, Nimbahera.
10.	Shri Manohar Gopal.	Distillery Inspector, Banswara.
11.	Shri Bhopal Singh Bapna.	Excise Inspector, Bundi.

परिशिष्ट २

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या २४५ का उत्तर देखिये)

गबन के मामलों की सूची

क्र०सं०	पंचायत नाम	वर्ष ५७–५८ में गबन	वर्ष ५८–५९ में गबन	वर्ष ५९–६० में गबन	विशेष
१	२	३	४	५	६
१.	रतनपुरा	–	–	१२५) रु०	
२.	बड़विराना	–	–	४४२.१५	
				५६.२५	
				१००.००	
३.	दलपतपुरा	–	–	१२.३७	
४.	मेघाना	–	२००) रु०	–	
५	ललानिया	–	४.५०	–	
६.	पांडूसर	–	२१८.००	–	
७.	बिकली (बरकाली)	–	–	२००.००	
				७१२.१२	
८.	गोरखाना	–	२,२७८.००	–	
९.	भेदासर	–	–	४.००	
१०	नीसरासर	३५.००	५.००	–	
११.	पल्लू	–	१३.००	–	
१२.	रावतसर	१९.५०	४,९३७.८९	१९.७५	
			३,३५८.७८		
			१३५.००		

१	२	३	४	५
१३.	थालड़का	६६०.६५	–	–
१४.	ढढोला	–	६७.१०	–
१५.	मूरका	१०.००	१३.५०	२०.००
१६.	फेफाना	–	१,१०८.५६	–

परिशिष्ट ३

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या २५५ का उत्तर देखिये)

सेवा में मुन्शीजी साहब बामनवास । श्रीमानजी निवेदन है कि मैं बामनवास का रहनेवाला हूं । तुम ! सुबह मेरे लड़के छाजू व हजारी बजरी लेने गये और बजरी की गाड़ी भर के घर को आ रहे थे कि रास्ते में कुई के पास भरतलाल व बनवारी मीना बामनवास ने मेरे दोनों लड़कों की मार पीट की । १० व ११ बजे शंकर व भरतलाल श्री नारायण, रामलली, कालू, नानगा, नारायण, चिंरजी, किशोरी, जगन, नन्दा, हजारी हमारे घर आये और गाली दी । हम भाग गये । फिर शाम को टीक पढ़ते समय जुलूस शंकर प्रधान लेकर आये । अपनी घर की तरफ से छोटी पट्टी की तरफ आ रहा था । इस जुलूस में ३००–४०० आदमी थे । ये लोग नादोती से बामनवास आने की खुशी में निकाल रहे थे । हम डोला मंडी ऊपर छोड़ कर जुलूस देखने के लिए बैठे थे । किसी ने पत्थर मारे । जो मेरे बायीं आंख पर मूं पर व एक गाल पर एक सीधी तरफ लगा । जिससे मेरे मामूली चोट आई । जुलूस की भीड़ भाग निकली । हजारी, छाजू, हरेंजी, सम्पत, भूला के भी चोटें आई । इस भाग दौड़ में बन्दूक की आवाज आई मालूम नहीं कि किसने बन्दूक चलाई । जुलूस में बन्दूक चल रही थी । बादू, हजारी, सम्पत, हरेंजी भूला के नामालूम कैसे बन्दूक के छर्रे लगे हैं । रिपोर्ट के लिये आया हूं । हमारा इलाज कराया जाय । रात को हम लोग थाने के लिए चले गये थे । कम्पोन्डर ने बिना पुलिस के पर्चे के इलाज नहीं किया । रात को नहीं आये । अब रिपोर्ट करने आये हैं ।

ता० २६–५–६१ द० नारायण

———

परिशिष्ट ४

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या २५६ का उत्तर देखिये)

Rajasthan Gazette Dated 22 December, 1958

PART V (A)

Rates (Per Acre) in respect of old Tanks of the areas of the former States named below :-(Extract copy.).

Sl No.	Name of crops.	Chain 165 ft. Areas of the Former States of Jaipur and Jhalawar	Chain 165 ft. Areas of the Former State of Shahpura and Tonk	Remarks.
1	2	3	4	5
1.	Sugarcane.	16.00	12.16	Per year
2.	Garden. Pan	12.16	8.96	Per H· Year.
3.	Vegetable and Singhara	12.16	8.96	Per Crop
4.	Lucern, Tobacco and Poppy	9.92	8.00	Per year.
5.	Rice	8.64	7.68	—do—
6.	Spices and oil Seeds Except Zeera.	3.20 for Ist Watering 1.92 for more than I watering	3.84	—do—
7.	Wheat, Barley, Gojra, Gochani and Bejhar.	2.88 for Ist watering and 1.60 for more than I watering.	3.84	—do—

1	2	3	4	5
8.	Maiz, Cotton and Gram	2.88 for Ist watering and 1.60 for more than I watering.	3.20	Per year.
9.	Bajra, Gaor, Til, Moth, Pulses, Fooder and other crops.	2.56 for Ist watering and 1.28 for more than I watering.	2.88	do
10.	Palewa Hot followed by crop.	2.88	1.92	do
11.	Zeera	4.16 for Ist Wataring and 2.88 for more than watering.	4.04	do
12.	Cotton	3.84 for Ist watering and 2.56 for every subsequent waterings.	4.16	do

Sd/-
Executive Engineer Irrigation,
West Division, Jaipur.

परिशिष्ट-५

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या २५७ का उत्तर देखिये)

पंचायत समिति, सांगानेर में माह अक्टूबर, १९५९ से जुलाई १९६१ तक अध्यापकों के वेतन से अनिवार्य बीमा कटौती के रूप में काटी गई धन राशि की सूंची

क्रमांक	माह	अध्यापकों की संख्या	बीमा कटौती के रूप में काटी गई धन राशि
१	२	३	४
१.	अक्टूबर ५९	६१	२७७) रुपये
२.	नवम्बर ५९	६१	२७७) ,,
३.	दिसम्बर ५९	६१	२७७) ,,
४.	जनवरी ६०	७६	३३४) ,,
५.	फरवरी ६०	१२८	५३७) ,,
६.	मार्च ६०	१२९	५३३) ,,
७.	अप्रेल ६०	१२७	५३८) ,,
८.	मई ६०	१२५	५१९) ,,
९.	जून ६०	१२७	५३५) ,,
१०.	जुलाई ६०	११०	४८२) ,,
११.	अगस्त ६०	११२	४७०) ,,
१२.	सितम्बर ६०	११०	४७५) ,,
१३.	अक्टूबर ६०	११५	४८४) ,,
१४.	नवम्बर ६०	११५	४८५) ,,
१५.	दिसम्बर ६०	११५	४८५) ,,
१६.	जनवरी ६१	११४	४८१) ,,

१		२		३	
१७.	फरवरी	६१	११४	४८१)	रुपये
१८.	मार्च	६१	११४	४६८)	,,
१६.	अप्रेल	६१	११३	४६१)	,,
२०.	मई	६१	११७	५११)	,,
२१.	जून	६१	१२७	५५४)	,,
२२.	जुलाई	६१	१२०	५३०)	,.

योग :- १०,२५४) रुपये

सूची नं० २

बीमा कटौती के रूप में काटी गई धन राशि को जमा कराने की सूची

क्रमांक	किस माह से किस माह तक की राशि जमा कराई गई		जमा कराने की तारीख	उप कोष
१	२		३	४
१.	अक्टूबर, नवम्बर एवं दिसम्बर,	५६	२७-२-६०	सांगानेर
२.	जनवरी एवं फरवरी	६०	२३-३-६०	,,
३.	मार्च से अक्टूबर	६०	८-११-६०	,,
४.	नवम्बर	६०	२-१२-६०	,,
५.	दिसम्बर, ६० से जुलाई	६१	२४-८-६१	,,

रकम माह समाप्त होने के साथ ही जमा होनी चाहिए थी लेकिन खजान्ची के पास कार्य अधिक होने से नहीं कराई जा सकी।

परिशिष्ट ६

(कृपया अतारांकित प्रश्न संख्या ६ का उत्तर देखिये)

क्रमांक	नाम रेंज	रेंज का क्षेत्रफल वर्गमील	संख्या तहसील	स्टाफ	प्रबन्ध के लिये स्टाफ की संख्या	चैकिंग के हेतु अफसरों की नियुक्ति संख्या	चैक करने का साधन
१	२	३	४	५	६	७	८
१	लालसोट	४०२	१०	४६	३८	१ रेंजर १ डि० रेन्जर २ फॉरेस्टर ४ हैडगार्ड ८	समय समय पर हैडगार्ड, फॉरेस्टर, डि०रेन्जर, रेन्जर व डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर चैकिंग करते हैं।
२	बैराठ	८६.३६	३	३५	३०	१ रेन्जर १ फॉरेस्टर ३ हैडगार्ड ५	”

परिशिष्ट

१	२	३	४	५	६	७	८
३	सीकर	२५०	६	२०	१८	१ रेन्जर १ हैडगार्ड २	समय समय पर हैडगार्ड, फॉरेस्टर, डि० रेन्जर, रेन्जर व डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर चैकिंग करते हैं।
४	खंडार	१६१.४७	१	२१	१८	१ रेन्जर १ फॉरेस्टर १ हैडगार्ड ३	,,
५	सवाईमाधोपुर	१६४.२०	३	४६	३६	१ रेन्जर १ डि० रेजर २ फॉरेस्टर	,,

परिशिष्ट

१	२	३	४	५	६	७	८
						३ हैडगार्ड	
						७	
६	भरतपुर	१६	२	३५	३०	१ रेन्जर २ फॉरेस्टर २ हैडगार्ड	समय समय पर हैडगार्ड, फॉरेस्टर डि० रेन्जर, रेन्जर व डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर चैकिंग करते हैं।
						५	
७	करोली	१,१००	२	६०	५२	१ रेन्जर ३ फॉरेस्टर ४ हैडगार्ड	”
						८	

परिशिष्ट

१	२	३	४	५	६	७	८
८	बयाना	१३०	३	१६	१३	१ रेन्जर १ फॉरेस्टर १ हैडगार्ड ३	समय समय पर हैडगार्ड, फॉरेस्टर, डि० रेन्जर, रेन्जर व फॉरेस्ट ऑफिसर चैकिंग करते हैं।

शुद्धि-पत्र

(गुरुवार, दिनांक २१ सितम्बर, १९६१)

स्कम्भ संख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्धि	शुद्धि
१	२	३	४
१९२४	अन्तिम से ३	तक कब	कब तक
१९३५	अन्तिम से १०	लो	जो
१९४५	१५	कहेगे	कहेंगे
१९५९	शीर्षक	तारांकित प्रश्नोर	तारांकित प्रश्नोत्तर
१९६५	अन्तिम	२९०	९०
१९६६	अन्तिम से ४	बन्ध	बांध
१९६९	१९	दिया था बांध; टूटने	दिया था; बांध टूटने
१९७३	६	दूरी क्या है इन	दूरी क्या है, इन
१९८२	शीर्षक	विलम्बित	निलम्बित
१९९५	शीर्षक	विशेषाधिकार प्रस्ताय	विशेषाधिकार प्रस्ताव
,,	१९	कॉग्नजेन्स	कॉग्निजेन्स
,,	२६	चयर	चेयर
१९९७	अन्तिम से ५	it	its
२००८	,, ,, ५	माननीय सदस्य ने कहां कि	माननीय सदस्य ने कहा कि
२०१२	३-४	Mem-be	Members
,,	अन्तिम से ४	(मुख्य मंत्री)	(मुख्य मंत्री)
२०१३	शीर्षक	प्रस्ताय	प्रस्ताव
२०१७	८	जिकसा	जिसका
२०३४	शीर्षक	राजस्थान आबगारी	राजस्थान आबकारी
२०३८	५	जो विधेयक	जो विधायक
२०४७	८	आवश्य-	आवश्यकता
२०५१	२५	उनके	उनको
२०५६	१५	नहीं	नहीं
२०५८	२८	चेप्टा	चेष्टा
२०७०	अन्तिम से ३	आथकि	आर्थिक
२०७६	१३	मश्किल	मुश्किल
२०९९	अन्तिम से ७	रजिस्ट्रिंग	रजिस्टरिंग
२१०५	,, १५	व्यापरियों	व्यापारियों

(२)

१	२	३	४
२१०६	५	स्टेर्न्डिग	-स्टेन्डिंग
२१०८	७	परर्फोर्मेन्स	परफोर्मेन्स
२११२	२	नकल जावेगी	निकल जावेगी
२११५	१७	सदरय	सदस्य
२११६	शीर्ष	(श्री श्र भानसिंह)	(श्री श्रीभानसिंह)
,,	७	मिलत नहीं	मिलती नहीं
२१२८	अन्तिम से ३	may	my
२१४७	३	वर्प	वर्ष
२१५८	४	फॉरेस्टर	फॉरेस्टर